तृतीय माला, खंड 34, अंक 11 सोमवार, 21 सितम्बर, 1964/30 भाद्र, 1886 (शक)

Third Series, Vol. XXXIV, No. 11 Monday, September 21, 1964/Bhadra 30, 1886 (Saka)

601
5-1-65

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 3rd
# LOK SABHA DEBATES

[ नवां सत्र / Ninth Session ]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XXXIV contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड 34—नवां सत्र, 1964]

**अंक 11—सोमवार, 21 सितम्बर, 1964/30 भाद्र, 1886 (शक)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

***तारांकित**

| **प्रश्न संख्या** | **विषय** | **पृष्ठ** |
|---|---|---|
| 291 | मिग परियोजनायें . | 1093—97 |
| 292 | नागा विद्रोही . . | 1097—1101 |
| 293 | तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन . | 1101—06 |
| 294 | जवाहर लाल नेहरू का स्मारक . | 1106—12 |

**अल्प सूचना**

**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| 3 | मथुरा जिले को बाढ़ का खतरा . . | 1112—16 |

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**तारांकित**

**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| 295 | दक्षिण अफ्रीका में देश द्रोह संबंधी मुकदमे . . | 1116—17 |
| 296 | दिल्ली-कलकत्ता टेलीप्रिंटर सम्पर्क . . | 1117—18 |
| 297 | भारतीय नौसेना के लिये फ्रिगेट . . . | 1118 |
| 298 | अन्य देशों से दूर-संचार सम्बन्ध स्थापित करना | 1118—19 |
| 299 | फारमोसा को भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल . . | 1119—20 |
| 300 | भारत-पाक सीमा का सीमांकन . | 1120—20 |
| 301 | साइप्रस में भारतीय जनरल . | 1121 |
| 302 | अफ्रीकी राष्ट्रीय नेता श्री एनकोमो . . . | 1121—22 |
| 303 | पाकिस्तान द्वारा गिलगित में सैनिक महत्व सम्बन्धी संचार व्यवस्था का विस्तार | 1122 |
| 304 | भारी औद्योगिक परियोजनायें . . . | 1123 |

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

# CONTENTS

[Third Series, Vol. XXXIV—Ninth Session, 1964]

*No.* 11—*Monday, September* 21, 1964/*Bhadra* 30, 1886 (*Saka*)

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| **Starred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 291 | M.I.G. Projects . . | 1093—97 |
| 292 | Naga Hostiles . . . . . | 1097—1101 |
| 293 | Summit Conference of Non-Aligned Nations | 1101—06 |
| 294 | Memorial for Jawaharlal Nehru . | 1106—12 |
| *Short Notice Question No.* | | |
| 3. | Flood Threat to Mathura District | 1112—16 |


## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 295 | Treason Trials in South Africa | 1116—17 |
| 296 | Delhi-Calcutta Teleprinter Link . | 1117—18 |
| 297 | Frigates for Indian Navy . . . | 1118 |
| 298 | Tele-Communications Link with other countries . | 1118—19 |
| 299 | Indian Parliamentary Delegation to Formosa | 1119—20 |
| 300 | Demarcation of Indo-Pak Border | 1120—21 |
| 301 | Indian General in Cyprus . . | 1121 |
| 302 | African National Leader, Mr. Nkomo . . . | 1121—22 |
| 303 | Pakistan Expanding Strategic Communications in Gilgit .. | 1122 |
| 304 | Heavy Industrial Projects . . . . . | 1123 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**तारांकित**


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 305 | डाक और तार बोर्ड | 1123 |
| 306 | चीन का नौसेना अड्डा | 1124 |
| 307 | लाटी टीला डूमाबारी क्षेत्र में पाकिस्तानियों की गतिविधि | 1124 |
| 308 | सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग पद्धति | 1124—25 |
| 309 | डाक और तार कर्मचारियों के लिये रेलवे के पास | 1125 |
| 310 | डाक और तार बोर्ड | 1125—26 |
| 311 | फ्रांसीसी न्यूज एजेन्सी द्वारा भारत विरोधी प्रचार | 1126—27 |
| 312 | बोरियाबारी गांव पर अवैध कब्जा | 1127 |
| 313 | ट्राम्बे में अणु शक्ति वैज्ञानिक की मृत्यु | 1128 |
| 314 | पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय | 1128—29 |
| 315 | आसाम के पहाड़ी जिलों के लिए स्वायत्तता | 1129 |
| 316 | अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन | 1129—30 |
| 317 | एक्सपैरिमेंट्स इन इन्टरनेशनल लिविंग | 1130 |
| 318 | हिन्द महा सागर में अमरीकी अड्डे | 1130—31 |
| 319 | लंका में भारतीय व्यापारी | 1131—32 |
| 320 | भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश | 1132 |


**अतारांकित**

**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| 921, | विद्यार्थियों के लिये पारपत्र | 1132—33 |
| 922 | प्रतिरक्षा अधिकारियों के विदेशों के दौरे | 1133—34 |
| 923 | पाकिस्तानियों द्वारा भारतीयों का अपहरण | 1134 |
| 924 | उड़ीसा में डाकघर | 1134—35 |
| 325 | उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन | 1135 |
| 926 | उड़ीसा के डाकघरों में रुपया जमा करना | 1135 |
| 927 | आकाशवाणी, दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी | 1136 |
| 928 | प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये सैनिक अधिकारी | 1136 |
| 929 | राजस्थान में रिक्त स्थान | 1136—37 |
| 930 | तार प्रपत्र | 1137 |
| 931 | बैरागनिया में टेलीफोन एक्सचेंज | 1137—38 |
| 932 | केरल में मनी आर्डर के प्रपत्रों की कमी | 1138 |
| 933 | प्रतिरक्षा कर्मचारियों को विभागीय कमीशन का दिया जाना | 1138 |
| 934 | सैनिक कर्मचारियों को पदक्रम वेतन | 1139 |
| 935 | सैनिक शिक्षा प्रदर्शिनी | 1139 |
| 936 | जोधपुर का आकाशवाणी केन्द्र | 1139—40 |
| 937 | विश्व मेले में पंडित नेहरू के चित्रों की प्रदर्शिनी | 1140 |

| *Starred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 305 | P. and T. Board | 1123 |
| 306 | Chinese Naval Base | 1124 |
| 307 | Pak Activities in Latitila Dumabari Area | 1124 |
| 308 | Subscriber Trunk Dialling System | 1124—25 |
| 309 | Railway Passes for P. and T. Officials. | 1125 |
| 310 | P. & T. Board | 1125—26 |
| 311 | Anti-Indian Propaganda by French News Agency | 1126—27 |
| 312 | Illegal Occupation of Boriabari Village | 1127 |
| 313 | Demise of an Atomic Scientist at Trombay | 1128 |
| 314 | Indians kidnapped by Pakistanis | 1128—29 |
| 315 | Autonomy for Hill Districts in Assam | 1129 |
| 316 | Afro-Asian Conference | 1129—30 |
| 317 | Experiments in International Living | 1130 |
| 318 | U.S. Bases in Indian Ocean. | 1130—31 |
| 319 | Indian Traders in Ceylon | 1131—32 |
| 320 | Pak. Trespass into Indian Territory | 1132 |

| *Unstarred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 921 | Passports for Students | 1132—33 |
| 922 | Defence Officials' Foreign Tours | 1133—34 |
| 923 | Indians kidnapped by Pakistanis | 1134 |
| 924 | Post Offices in Orissa | 1134—35 |
| 925 | Telephone Connections in Orissa | 1135 |
| 926 | Deposits in Post Offices in Orissa | 1135 |
| 927 | S.C. and S.T. employees in A.I.R., Delhi | 1136 |
| 928 | Military Officers sent Abroad for Training | 1136 |
| 929 | Vacancies in Rajasthan | 1136—37 |
| 930 | Telegram Forms | 1137 |
| 931 | Telephone Exchange at Bairagania | 1137—38 |
| 932 | Scarcity of M. O. Forms in Kerala | 1138 |
| 933 | Departmental Commissions to Defence Personnel | 1138 |
| 934 | Grade Pay to Defence Personnel | 1139 |
| 935 | Exhibition of Army Education | 1139 |
| 936 | AIR Station at Jodhpur | 1139-40 |
| 937 | Exhibition of Pandit Nehru's Photographs at World Fair. | 1140 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 939 | क्रिकेट के चल-वृत्तांत का प्रसारण | 1140—41 |
| 940 | पैकेट सी—119 परिवहन विमान | 1141 |
| 941 | आयुध कारखाने | 1141—42 |
| 942 | समुद्री बेड़ा . . . | 1142 |
| 943 | पश्चिमी एशिया तथा अफ़्रीका को सद्भावना मण्डल | 1142—43 |
| 944 | विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियां | 1143 |
| 945 | गुलमर्ग के ऊपर अज्ञात विमान | 1143 |
| 946 | दूर-संवाद उपकरण | 1144 |
| 947 | मिग विमान दुर्घटनायें . | 1144 |
| 948 | डाक विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी . | 1144—45 |
| 949 | डाक विभाग के कर्मचारियों की वर्दियां | 1145 |
| 950 | डाक डिवीज़न पंजाब . | 1145 |
| 951 | भारत में केनिया का उच्चायुक्त | 1145—46 |
| 952 | सोंग आफ दी ग्रेप | 1146 |
| 953 | सेना में सेवानिवृति आयु . | 1146 |
| 954 | जूनियर कमिशन प्राप्त पदाधिकारी . | 1146—47 |
| 955 | समितियों में संसद सदस्यों को सम्मिलित करना | 1147 |
| 956 | तिकोनिया में टेलीफोन एक्सचेंज | 1147 |
| 957 | भारत-नेपाल टेलीफोन सम्पर्क . | 1148 |
| 958 | न्यासालैंड के साथ राजनयिक सम्बंध | 1148 |
| 959 | पाकिस्तान जाने वाले सिख तीर्थ यात्री . | 1148 |
| 960 | नेपाल को परिवहन ट्रक उपलब्ध करना | 1149 |
| 961 | उत्तर प्रदेश में मनीआर्डर सेवा | 1149 |
| 962 | नौसेना की "सी हौक" की दुर्घटना | 1149 |
| 963 | योजना प्रचार सबंधी अध्ययन दल | 1150 |
| 964 | चण्डीगढ़ में ट्रांसमीटर | 1150 |
| 965 | भारी पानी का उत्पादन . | 1150—51 |
| 966 | अणुशक्ति केन्द्र . . | 1151 |
| 967 | विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ सहयोग | 1151—52 |
| 968 | रेडियो आईसोटोप्स . | 1152 |
| 969 | आगरा के पास विमान दुर्घटना | 1152—53 |
| 970 | सरदार पटेल स्मारक भाषण . | 1153 |
| 971 | नेपाल में सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें | 1153 |
| 972 | पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी | 1153—54 |
| 973 | पश्चिम बंगाल निर्वाह व्यय सूचकांक | 1154 |
| 974 | प्रतिरक्षा व्यय में कमी . | 1154 |
| 975 | सेना में कार्यकारी पदोन्नतियां | 1155 |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 939 | Broadcasting of Cricket Commentary | 1140—41 |
| 940 | Packet C-119 Transport Plane . | 1141 |
| 941 | Ordnance Factories . . | 1141—42 |
| 942 | Naval Fleet . . . . . | 1142 |
| 943 | Goodwill Missions to West Asia and Africa . | 1142—43 |
| 944 | Activities of Naga Hostiles . . . | 1143 |
| 945 | Unidentified Jets over Gulmarg . . | 1143 |
| 946 | Tele-Communications Equipment | 1144 |
| 947 | MIG crashes . . . | 1144 |
| 948 | Ex-Servicemen in Postal Department . | 1144—45 |
| 949 | Liveries for Postal Employees . | 1145 |
| 950 | Postal Divisions, Punjab . . | 1145 |
| 951 | Kenya's High Commissioner in India . | 1145—46 |
| 952 | Film entitled 'Song of the Grape' | 1146 |
| 953 | Retirement Age in Army | 1146 |
| 954 | J.C.Os. . . . . | 1146—47 |
| 955 | Inclusion of M.P.s in Committees | 1147 |
| 956 | Telephone Exchange at Tikonia . | 1147 |
| 957 | Indo-Nepal Telex Link . . | 1148 |
| 958 | Diplomatic Ties with Nyasaland | 1148 |
| 959 | Sikh Pilgrims to Pakistan . . | 1148 |
| 960 | Supply of Transport Trucks to Nepal . | 1149 |
| 961 | M.O. Service in U.P. . . | 1149 |
| 962 | Crash of Navy Sea Hawk Aircraft | 1149 |
| 963 | Study Team on Plan Publicity | 1150 |
| 964 | Transmitter at Chandigarh . | 1150 |
| 965 | Production of Heavy Water | 1150—51 |
| 966 | Nuclear Power Stations . . . | 1151 |
| 967 | Collaboration with Foreign News Agencies | 1151—52 |
| 968 | Radioisotopes . | 1152 |
| 969 | Flying Accident near Agra . | 1152—53 |
| 970 | Sardar Patel Memorial Lectures . . | 1153 |
| 971 | Irrigation and Power Projects in Nepal | 1153 |
| 972 | Firing by Pak Troops . | 1153—54 |
| 973 | West Bengal Cost of living Index | 1154 |
| 974 | Saving in Defence Expenditure . | 1154 |
| 975 | Acting Promotions in the Army . | 1155 |

| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 976 | भारत में विदेशी सैनिक प्रशिक्षणार्थी | 1155 |
| 977 | नेफा रिपोर्ट | 1155—56 |
| 978 | केरल में स्वचालित टेलीफोन | 1156 |
| 979 | विदेश से लौटने वाले भारतीय | 1156—57 |
| 980 | नागा विद्रोही | 1157 |
| 981 | पाकिस्तानी आक्रमणों में मारे गये भारतीय सैनिक | 1157—58 |
| 982 | पाकिस्तान दूतावास द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति | 1158 |
| 983 | पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, नागपुर | 1158 |
| 984 | जवानों और अफसरों के वेतन क्रम | 1159 |
| 985 | दिल्ली के डाक तार कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास स्थान | 1159—60 |
| 986 | पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, नागपुर | 1160 |
| 987 | विदेशों में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण | 1160 |
| 988 | अन्तर्दूर संचार संगठन | 1161 |
| 989 | डाक जीवन बीमा | 1161—62 |
| 990 | काश्मीर में युद्ध विराम रेखा | 1162—63 |
| 991 | भारत-नेपाल सीमा पर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय | 1163 |
| 992 | नेफा प्रशासन द्वारा अनुदानों की राशि का लौटाया जाना | 1163 |
| 993 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय में व्यय | 1163—64 |
| 994 | आई० एन० एस० विक्रान्त | 1164—65 |
| 995 | कुर्नूल में नया टेलीफोन इंजीनियरिंग डिवीजन | 1165 |
| 996 | दूर संचार सम्पर्कों का ठप्प हो जाना | 1165 |
| 997 | नेपाल के साथ डाक करार | 1165—66 |
| 999 | कोठागुडियम में बहुप्रयोजन संस्था | 1166 |
| 1000 | सिंगरैनी की कोयला खानें | 1166 |

**स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)** 1166—67

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** 1167—68

मंहगाई भत्ते के लिये एक सदस्यीय स्वतंत्र निकाय के निर्देश-पदों में मंहगाई भत्ता सूत्र के पुनरीक्षण के प्रश्न का सम्मिलित किया जाना

श्री स० मो० बनर्जी 1167

श्री ब० रा० भगत 1167—68

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)** 1168

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** 1169

**सदस्य को दोष सिद्धि** 1170

**प्रतिरक्षा मंत्री की अमरीका तथा रूस की यात्राओं के बारे में वक्तव्य**

श्री यशवन्तराव चह्वाण 1170

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 976 | Foreign Military Trainees in India | 1155 |
| 977 | NEFA Report | 1155—56 |
| 978 | Automatic Telephones in Kerala | 1156 |
| 979 | Indians returning from abroad | 1156—57 |
| 980 | Naga Hostiles | 1157 |
| 981 | Indian soldiers killed in Pak. Raids | 1157—58 |
| 982 | Communique issued by Pakistan High Commission | 1158 |
| 983 | P.M.G. Office, Nagpur | 1158 |
| 984 | Pay Scales of Jawans and Officers. | 1159 |
| 985 | Government Accommodation for P. and T. Employees, Delhi | 1159—60 |
| 986 | P.M.G. Office, Nagpur | 1160 |
| 987 | Training Abroad in Telegraph Engineering | 1160 |
| 988 | Inter-Tele-Communication Organisation | 1161 |
| 989 | Postal Life Insurance | 1161—62 |
| 990 | Cease-Fire Line in Kashmir | 1162—63 |
| 991 | P.C.Os. at Indo-Nepal Border | 1163 |
| 992 | Surrender of Grants by NEFA Administration | 1163 |
| 993 | Expenditure in the I. and B. Ministry | 1163—64 |
| 994 | I.N.S. Vikrant | 1164—65 |
| 995 | New Telegraph Engineering Division at Kurnool | 1165 |
| 996 | Breakdown of Tele-Communication Links | 1165 |
| 997 | Postal Agreement with Nepal | 1165—66 |
| 999 | Multipurpose Institute at Kothagudium | 1166 |
| 1000 | Singareni Collieries | 1166 |
| | Re: Motion for adjournment (Query) | 1166—67 |
| | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 1167—68 |
| | Non-inclusion of revision of D.A. formula in terms of reference of one man independent body for D.A. | |
| | Shri S. M. Banerjee | 1167 |
| | Shri B. R. Bhagat | 1167—68 |
| | Re : Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Query) | 1168 |
| | Papers laid on the Table | 1169 |
| | Conviction of Member | 1170 |
| | Statement re: Defence Minister's visits to USA and USSR Shri Y.hB. Chavan | 1170 |

विषय पृष्ठ

**पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के केथल कूची स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य**

श्री शामनाथ . 1170—73

**निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य**

श्री हरि विष्णु कामत 1173

श्री अ० कु० सेन . . . 1173—74

**केरल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये प्रतिवेदन का सारांश विधेयक पर:स्थापित—**

(1) केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1174

(2) समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक 1175

**कार्य मंत्रालय समिति—**

तीसवां प्रतिवेदन 1175—76

**समवाय (संशोधन) विधेयक—** 1176—85

विचार करने का प्रस्ताव . 1176

श्री ब० रा० भगत . 1176

श्री नारायण दांडेकर 1177

श्री प्रभात कार 1177

श्री हेडा 1177—78

श्री बड़े . 1178

श्री व० बा० गांधी 1179

श्री उमानाथ 1179—80

श्री प्र० चं० बरुआ 1180

श्री बागड़ी . 1180—81

श्री गो० ना० दीक्षित 1181

श्री काशीराम गुप्त . 1181

डा० सरोजिनी महिषी 1181—82

श्री श्यामलाल सर्राफ . 1182—84

खंड 2, 3 और 1 . 1184

पारित करने का प्रस्ताव 1184

श्री ब० रा० भगत . . . 1184—85

**अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1964-65** . 1185—98

श्री प्र० के० देव . 1197

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . 1188—89

श्री स० मो० बनर्जी . . . 1189—91

श्री व० बा० गांधी 1191

| *Subject* | PAGES |
|---|---|
| Statement re: railway accident at Kaithalkuchi on NEF Railway | |
| Shri Sham Nath . . . . . | 1170—73 |
| Statement by Member under Direction 115 | |
| Shri Hari Vishnu Kamath . . | 1173 |
| Shri A. K. Sen. . . . . | 1173—74 |
| Summary of Report of Governor of Kerala to the President | |
| Bills introduced . . . . . | |
| 1. Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill | 1174 |
| 2. Companies (Second Amendment) Bill . | 1175 |
| Business Advisory Committee . | |
| Thirtieth Report adopted . | 1175—76 |
| Companies (Amendment) Bill . | 1176—85 |
| Motion to consider . | 1176 |
| Shri B.R. Bhagat | 1176 |
| Shri N. Dandekar | 1177 |
| Shri Prabhat Kar | 1177 |
| Shri Heda . | 1177—78 |
| Shri Bade . | 1178 |
| Shri V.B. Gandhi | 1179 |
| Shri Umanath . | 1179—80 |
| Shri P. C. Barooah | 1180 |
| Shri Bagri . | 1180—81 |
| Shri G. N. Dixit . | 1181 |
| Shri Kashi Ram Gupta | 1181 |
| Dr. Sarojini Mahishi . | 1181—82 |
| Shri Sham Lal Saraf . | 1182—84 |
| Clauses 2, 3 and 1 | 1184 |
| Motion to pass . | 1184 |
| Shri B. R. Bhagat | 1184—85 |
| Demands for Supplementary Grants (General) 1964-65 | 1185—98 |
| Shri P. K. Deo . | 1187 |
| Shrimati Renu Chakravartty | 1188—89 |
| Shri S. M. Banerjee . | 1189—91 |
| Shri V. B. Gandhi | 1191 |

श्रीमती रेणुका राय . . . . . 1191—92
श्री त्यागी . . . . 1192—93
श्री यशपाल सिंह . . . . . 1193—94
श्री शिव नारायण . . . . . 1194
श्री ओंकार लाल बेरवा . . . 1194—95
श्री हाथी . . . . 1195—96
श्री उमानाथ . . . . 1196—97
श्री विभुधेन्द्र मिश्र . . . . . 1197
श्री काशीराम गुप्त . . . . 1197—98
श्री प० ला० बारू पाल . . . . 1198
श्री बाल्मीकी . . . . . 1198
श्री सुब्बरायन . . . . . 1198

| *Subject* | PAGE |
|---|---|
| Shrimati Renuka Ray . . . . . | 1191—92 |
| Shri Tyagi . . . . . | 1192—93 |
| Shri Yashpal Singh . . . . . | 1193—94 |
| Shri Sheo Narain . . . . . | 1194 |
| Shri Onkar Lal Berwa . . . . . | 1194—95 |
| Shri Hathi . . . . . | 1195—96 |
| Shri Umanath . . . . . | 1196—97 |
| Shri Bibudhendra Mishra . . . . . | 1197 |
| Shri Kashi Ram Gupta . . . . . | 1198—98 |
| Shri P.L. Barupal . . . . . | 1198 |
| Shri Balmiki . . . . . | 1198 |
| Shri Subbaraman . . . . . | 1198 |

[यह लोक–सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजीमें अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English / Hindi]

# लोक-सभा

## LOK SABHA

**सोमवार, 21 सितम्बर, 1964/30 भाद्र, 1886 (शक)**

*Monday, September 21, 1964/Bhdara 30, 1886 (Saka)*

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**मिग परियोजनायें**

\+

*291. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दाजी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री प्र० के० देव :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री बृजराज सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिग परियोजनाओं की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या रूस इस देश में लाइसैंस के अधीन आधुनिक किस्म के मिग लड़ाकू विमानों का निर्माण करने की भारत की मांग पूरी करने के लिये सहमत हो गया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) नासिक और कोरापुट के विमानों के ढांचों और इंजनों के कारखानों में असैनिक निर्माण कार्य प्रगतिशीलता से हो रहा हैं।

(ख) जी हां ।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने हाल में जो उस देश की यात्रा की थी क्या उसके दौरान मिग परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो इस परियोजना को, शीघ्रता से पूरा करने में क्या कठिनाई थी . . .

**श्री अ० म० थामस** : करार के संबंध में . . .

**श्री प्र० चं० बरुआ** : श्रीमन्, अभी मैं ने अपना प्रश्न पूरा नहीं किया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको पूरा कर लेना चाहिये था । संक्षिप्त और छोटे प्रश्न पूछने चाहिये । तीन या चार प्रश्नों को मिला कर एक लम्बा भाषण नहीं देना चाहिये । आप दो प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं ।

**श्री अ० म० थामस** : अभी जिस करार पर हस्ताक्षर हुए हैं उसके बारे में प्रतिरक्षा मंत्री आज प्रश्नकाल के बाद एक वक्तव्य देंगे । निस्संदेह कुछ काय इस करार को अंतिम रूप दे देने पर ही निर्भर करता था । खैर, कुछ असैनिक कार्य, विशेष रूप से नासिक में किया गया है जहां एक हवाई अड्डा बन रहा है । हमने नासिक के कारखाने के प्रथम चरण के लिये 17·88 करोड़ रुपये और कोरापुट कारखाने के लिये 2·81 करोड़ रुपये भी मंजूर कर दिये हैं।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मिग विमानों के बारे में हमारे आग्रह को पश्चिमी देशों ने आग्रह भारत के गुटों से अलग रहने की नीति में परिवतन माना है । क्या उन्होंने भारत से यह कहा है कि वह मिग और एच एफ 24 दोनों में से किसी को चुन ले, और यदि हां, तो उन्हें गुटों से अलग रहने की नीति में भारत के दृढ़ विश्वास का भरोसा दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्री अ० म० थामस** : प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य में इस पहलू पर भी प्रकाश डाला जायेगा ।

**Shri M L Dwivedi:** What would be the difference between the M.I.G. aircrafts received earlier from the U.S.S.R. and those to be produced here? Whether the aircrafts that would be manufactured now will be of the same type or they would be somewhat different ? How many aircrafts would be manufactured annually and of what type ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : अब जो नये मिग विमान बनाये जायेंगे वे पहले से कुछ सुधरे हुए होंगे ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : प्रतिवर्ष कितने बनेंगे ?

**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : जब हम उत्पादन आरम्भ करेंगे तो मैं यह बता सकूंगा कि प्रति वर्ष कितने बनेंगे ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : इस समय क्या कार्यक्रम है ?

***श्री यशवन्तराव चह्वाण** जब हम उत्पादन के स्तर पर पहुंचेंगे, तो मैं उत्पादन का कार्यक्रम बता सकूंगा ।

**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या कुल उत्पादन निर्धारित करने के लिये पूरी परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है या नहीं, कुल कितना उत्पादन होगा और कारखाने कब चालू होंगे ।

**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि मैं ने बताया कोरापुट कारखाने और नासिक कारखाने दोनों की और हैदराबाद के निकट सनतनगर में इलेक्ट्रोनिक्स के कारखाने की भी परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है । अब रूसी विशेषज्ञों की सहायता से कार्य-संचालन की परियोजनायें तैयार की जानी हैं । वे शीघ्र पहुंचने वाले हैं ।

**श्री सुबोध हंसदा** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूगा कि क्या रायल्टी या लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बारे में करार में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो करार में क्या परिवर्तन हुआ है ।

**श्री अ० म० थामस** : करार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अगस्त, 1962 का पुराना करार उसी प्रकार विद्यमान है, केवल एक अनुपूरक करार किया गया है ।

**श्री स० चं० सामन्त** : कितने प्रतिशत पुर्जे भारत में तैयार किये जायेंगे कितने प्रतिशत पुर्जे रूस से मंगाये जायेंगे और अन्य देशों से कितने प्रतिशत पुर्जे मंगवाये जायेंगे ?

**श्री अ० म० थामस** : जो पहले 60 मिग विमान बनाये जायेंगे उनके अधिकांश पुर्जे और अन्य चीजें रूस से मंगवायी जायेंगी और यहां उन्हें जोड़ कर विमान बनाये जायेंगे ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : रूस के साथ यह करार करने से पहले क्या सरकार ने इस सौदे के बारे में अमरीकनों की राय और उसके फलस्वरूप भारत को मिलने वाली अमरीकन सैनिक सहायता पर होने वाली प्रतिक्रिया को जानने का कोई प्रयत्न किया ?

**श्री अ० म० थामस** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ और वास्तव में हमने तो एक करार अगस्त, 1962 में ही कर लिया था । और उस करार के बारे में आगे और कोई बातचीत नहीं हो सकती ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : रूस ने चीन में भी कुछ मिग कारखाने स्थापित किये हैं । हम जो मिग विमान बनायेंगे क्या वे उसी तरह के होंगे जैसे कि चीन में बने रहे हैं अथवा ये चीन में बनने वाले विमानों का सुधरा हुआ रूप होंगे और बिल्कुल नवीनतम और अद्यतन प्रकार (मांडल) के होंगे ?

**श्री अ० म० थामस** : ये संशोधित टाइप के मिग–21 विमान होंगे । इसलिए हम जो यहां बनायेंगे ये अधिक अच्छे होंगे ।

**Shri K N Tiwary :** Are any arrangements being made to train Indian pilots to fly these M.I.G. aircrafts and if so, the location thereof?

**श्री अ० म० थामस :** प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था होगी। रूस से जो विशेषज्ञ आयेंगे वे भारतीय कारीगरों को ये विमान बनाना सिखायेंगे।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Has the question of getting American aid for this factory has been postponed ?

**Mr. Speaker :** American aid for this purpose ?

**Shri Onkar Lal Berwa:** Yes, Sir. Getting aid for development purposes.

**श्री अ० म० थामस :** जी, नहीं ।

**श्री नाथ पाई :** क्या मैं प्रतिरक्षा मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या अब उनके सामने यह चुनाव करने का प्रश्न है कि या तो वे एच० एफ० –24 बनायें या मिग बनायें, क्योंकि इस देश को दोनों नहीं मिल सकते ? विशेष रूप से जो अमरीकन यहां आये थे और जिन्होंने एच०एफ०––24 की जांच की थी उन्होंने यह प्रतिवेदन दिया है कि उनके पास एक इंजिन है जो एच०एफ०––24 के लिये उपयुक्त है और जिसकी गति ध्वनि की गति से दुगुनी है, परन्तु भारत इसको नहीं बना सकता । यदि हां, तो माननीय मंत्री कौनसा विमान बनाने जा रहे हैं। और जिस पक्ष के साथ वह करार करने जा रहे हैं उनके विचार क्या हैं ?

**श्री अ० म० थामस :** हमारा इरादा मिग और एच०एफ०––24 दोनों बनाने का है । जहाँ तक एच एफ––24 का सम्बन्ध है हमने मैक ––I के लिये उपयुक्त विमान बनाने की पूरी तैयारी कर ली है , परन्तु हमारा विचार ऐसा इंजिन बनाने का है, जो मैक––II के लिये भी उपयुक्त हो। तथापि इस प्रकार के विमान के ढांचे के लिये विद्युत संयंत्र का प्रश्न उठता है । हमारा इरादा बंगलौर कारखाने में मैक-II विमान बनाने के लिये उपयुक्त समझौता करने का है ।

**श्री नाथ पाई :** आप किसके साथ समझौता करना चाहते हैं और उस पक्ष का क्या विचार है ?

**श्री अ० म० थामस :** अभी इस पर विचार किया जा रहा है ।

**Dr. L. M. Singhvi :** What arrangements are being made to ensure continuous supply of spare parts for these fighter planes and the modernisation M.I.Gs. which we propose to import, since new inventions are made every day.?

**श्री अ० म० थामस :** प्रथम चरण में पुर्जे रूस से मंगवाने पड़ेंगे । इस करार में पुर्जो के आयात की भी व्यवस्था है ।

**श्री कपूर सिंह :** क्या हमारे देश में मिग परियोजनाओं के आरम्भ होने का अर्थ यह है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं पर कुछ विदेशी नियंत्रण अथवा सलाह देने का कुछ ढंग निकल आयेगा ।

**श्री अ० म० थामस :** मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है । वास्तव में हम सब मित्र देशों से टैक्निकल सलाह लेते हैं।

**श्री कपूर सिंह :** मुझे उत्तर समझ में नहीं आया। क्या उनका कहना यह है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता अथवा प्रश्न सारवान नहीं है ?

**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सच नहीं है कि मेरे माननीय मित्र श्री नाथ पाई ने जिस विमान का उल्लेख किया है, जो अमरीकन हमें देना चाहते हैं उसकी मार कम है, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता और सम्पूर्ण रूप से उस विमान से, अर्थात एफ–104 से जो कि उन के शस्त्रागार में सबसे अच्छा विमान है, और जो पाकिस्तान को दिया गया है, घटिया है ।

**श्री अ० म० थामस :** वास्तव में उन्होंने कोई अतिस्वन विमान देने का प्रस्ताव नहीं किया है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री शं० ना० चतुर्वेदी :** इन मिग विमानों की, जो हमें दिये जा रहे हैं, गति, मार आदि चीन को दिये गये मिग विमानों की तुलना में कैसी है ? ?

**श्री अ० म० थामस :** हम नहीं कह सकते, परन्तु यह मैक–II के बराबर होंगे ।

**श्री भाग त झा आजाद :** क्या यह सच है कि सरकार का मिग परियोजना को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का निश्चय इस कारण किया गया है, क्योंकि वह अमरीका सरकार को किसी परियोजना के लिये सहायता देना तो दूर रहा अतिस्वन विमान का एक माडल देने के लिए भी राजी नहीं कर सकीं ?

**श्री अ० म० थामस :** इसका इस से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री भागवत झा आजाद :** यह अजीब बात है । माननीय मंत्री सीधा उत्तर क्यों नहींनहीं देते ?

**नागा विद्रोही**

\+

*292. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री इन्द्र जीत गुप्त :**
**श्री रविन्द्र वर्मा :**
**श्री कपूर सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री पु०र० पटल :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डय :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री शं० ना० चतुर्वेदी :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री स्वैल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1964 से 6 सितम्बर, 1964 तक नागा विद्रोहियों ने भारतीय क्षेत्र में जान व माल को कितनी हानि पहुंचाई है ;

(ख) उस अवधि में भारतीय सुरक्षा सेनाओं से हुई भिड़न्त में कितने नागा विद्रोही पकड़े गये तथा मारे गये ;

(ग) क्या उनके पास से विदेश-निर्मित शस्त्र तथा गोलाबारूद प्राप्त हुए तथा यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू )** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) 1 जून, 1964 से 6 सितम्बर, 1964 तक की अवधि में सुरक्षा सेनाओं की निम्न-जन तथा सम्पति की हानि हुई है :—

(1) सेना का **एक**, असम राइफल्ज़ के **पांच** और पोलीस के **छः** सेविवर्ग मारे गए थे ।

(2) 2 हल्की मशीन गनें, आठ .303 राइफलें, दो स्टेन गनें, एक जी०एफ० राइफल, 5 संगीनें, 570 गोलिएं और 4 हथगोले खोए गए थे ।

नागा प्रदेश, सरकार, उनके कर्मचारीगण और अन्य असैनिक हताहतों के आंकड़े सहज प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) 1 जून, 1964 से 6 सितम्बर, 1964 तक सुरक्षा सेनाओं के साथ संघर्ष में 78 नागा मारे गए थे, और 12 घायल हुए थे ।

(ग) विद्रोहियों से छीने गए शस्त्रों में ( ब्रिटिश और अमेरीकन दोनों प्रकार की ) द्वितीय विश्व युद्ध के समय की मदें हैं, और उसके पश्चात् बोए की गई, तथा तस्करी से लाई गई मदें भी । अभी ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाया, कि उपरोक्त किस देश की थीं । निरीक्षण अभी प्रगतिशील है । ।

(घ) नागा विद्रोही एक लम्बे अर्से से हिंसात्मक कार्य करते रहे हैं । उनका सामना करने के लिए सुरक्षा सेवाएं फैला दी गई थीं । तदपि आशा है, कि 5/6 सितम्बर की मध्यरात्रि से समाप्त हुई सक्रियाओं के पश्चात्, ऐसी घटनाएं पुनः नहीं होंगी ।

**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि श्री फिजो हाल ही में आसाम के मंत्री श्री फकरुद्दीन अली अहमद से ब्रिटेन में मिले थे ? यदि हां, तो क्या उसने भारत आकर बातचीत में भाग लेने की इच्छा प्रकट की थी ? यदि हां, तो सरकार का क्या रुख है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री ( श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : यह प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

**श्री रामेश्वर टांटिया** : विवरण में यह कहा गया है कि "नागा प्रदेश सरकार, उनके कर्मचारीगण और अन्य असैनिक हताहतों के आंकड़े सहज प्राप्य नहीं हैं ।" चूंकि नागालैण्ड हमारे देश का एक अंग है, अतः ये आंकड़े, जो अन्य आंकड़ों की तुलना के लिए बहुत जरूरी हैं, किस कारण उपलब्ध नहीं हैं ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैंने यह नहीं कहा कि ये उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु ये तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं जिससे इन्हें इस प्रश्न के उत्तर में सम्मिलित किया जा सके । इसका यही मतलब है ।

**Shri Yashpal Singh:** As had been stated by our Prime Minister yesterday, Nagaland is being pursuaded to accept the terms, may I know whether the position has not been finalised in this connection ? And if it has been finalised, who is taking part in the negotiations on behalf of the Government of India ?

**The Minister of External Affiars (Shri Swaran Singh):** The negotiations have not started as yet.

**Shri Yashpal Singh:** Who will take part in the negotiations ?

**Shri Swaran Singh:** A deputation will be appointed to represent the Government of India, but nothing has been decided so far.

**श्री स० मो० बनर्जी** : वैदेशिक-कार्य मंत्री के उत्तर से उत्पन्न क्या यह सच है कि नागा विद्रोही नेता श्री फिजो ने भारत आने और बातचीत के लिये नागालैण्ड में उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त की है ? यदि हां, तो क्या उसने प्रधान मन्त्री को यह एक पत्र लिखा है जिसमें यह इच्छा व्यक्त की गई है ? यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब प्रतिरक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने यह कहा था कि इसका सम्बन्ध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से है । अब वैदेशिक-कार्य मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि बातचीत शुरू नहीं हुई है किन्तु वे शुरू करेंगे । मैंने प्रश्न पूछा है । दोनों मंत्री पहले उत्तर दे चुके हैं । क्या मुझे उत्तर नहीं मिलना चाहिये ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दे दिया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर अलग से दिया जा सकता है ; इसे इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल जन-हानि और अन्य बातों से है ।

**श्री स्वैल** : प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह आशा प्रकट की है कि लड़ाई बन्द कर देने की घोषणा के बाद सम्भवतः हमारी सुरक्षा सेनाओं और नागाओं के बीच और कोई घटनायें न हों । क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गत 5 अगस्त को एक हजार से अधिक नागा स्त्रियों ने कोहिमा की गलियों में जलूस निकाला और सुरक्षा सेनाओं को हटाने की मांग की, क्योंकि सुरक्षा सेनाओं के छै आदमियों ने एक नागा स्त्री के साथ, जब वह कोहिमा से अपने गांव लौट रही थी, बलात्कार किया और उसके अंगों को काट कर उसकी हत्या कर दी ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : व्यक्तिगत रूप से मुझे इस घटना का ब्यौरा पता नहीं है जिसका ब्यौरा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

**श्री स्वैल** : क्या आप इसकी जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : अवश्य, मैं इसकी जांच करूंगा ।

**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं प्रतिरक्षा मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या विद्रोहात्मक कार्यवाहियां रोकना', 'गोली चलाना बन्द करना' या सी प्रकार की अन्य शब्दावली से नागा विद्रोहियों के साथ हमारे वर्तमान सम्बन्ध ठीक प्रकार से व्यक्त हो जाते हैं ।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : विद्रोहात्मक कार्यवाहियां रोकना ।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार यह बता सकती है कि अब भी लगभग कितने नागा विद्रोही देश से बाहर हैं, और यह भी कि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं जिस से कि वे शांति वार्ता में कोई विघ्न न डाल सकें ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितने नागा विद्रोही देश से बाहर हैं। परन्तु जहां तक हमारी सीमा का सम्बन्ध है, हमारी सुरक्षा सेनायें उनकी रक्षा कर रही हैं ।

**श्री प्र० के० देव** : क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों के साथ किये गये करार में इन नागा विद्रोहियों को 'नागा संघ सरकार' बताया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने एक ही देश में एक और सरकार को मान्यता दे दी है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : भारत सरकार किसी अलग सरकार को मान्यता नहीं देती । कोई अलग सरकार कैसे हो सकती है ? परन्तु यदि कोई पक्ष अपना नाम कुछ रखना चाहे तो वह पक्ष अपने आप को झुठमूठ में जो चाहे कह सकता है ।

**श्री प्र० के० देव** : हमें उन्हें मान्यता नहीं देनी चाहिये ।

**श्री स्वर्ण सिंह** : हम ने नहीं दी है ।

**श्री कपूर सिंह** : चूंकि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का इस प्रश्न से सम्बन्ध है इसलिये हमारे मन में यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि इन नागा विद्रोहियों को एक और सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इन्कार भी कर दिया है ।

**श्री हेम बरुआ** : नागालैण्ड में सैनिक कार्यवाही बन्द कर दी गई है इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या उपाय किये हैं कि नागा विद्रोही अब तक जो हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान और चीन से लाये हैं उन्हें इस बीच आपस में न बांट लें, और इसके साथ ही क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार को पाकिस्तान की नागा विद्रोहियों से सांठ-गांठ के बारे में पाकिस्तान को भेजे गये हमारे विरोध-पत्र का कोई उत्तर मिल गया है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मेरे विचार में माननीय सदस्य इन दोनों बातों में कुछ घपला कर रहे हैं। जब हम यह कहते हैं कि वे विद्रोहात्मक कार्यवाहियां बन्द करने के लिये राजी हो गये हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे विद्रोहात्मक कार्यवाहियां बन्द करने के जो नियम हैं उनका निश्चय

ही पालन करेंगे। अतः इस बात का ध्यान रखने के लिये और कोई सुरक्षात्मक प्रबन्ध करना आवश्यक नहीं समझा गया, परन्तु सामान्य सुरक्षात्मक प्रबन्धक पूर्ववत लागू रहेंगे।

**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ? उन्होंने मेरे प्रश्न का पूरी तरह उत्तर नहीं दिया। मैं यह जानना चाहता था कि नागा विद्रोहियों के साथ पाकिस्तान की सांठ-गांठ के बारे में हम ने पाकिस्तान को जो विरोध पत्र भेजा था, क्या हमारी सरकार को अभी तक उसका कोई उत्तर मिला है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस को प्रनुमति नहीं दी है। क्योंकि यह यहां संगत नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं यह बता सकता हूं कि यह संगत है? प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है :—

> "क्या उनके पास से कोई विदेश-निर्मित शस्त्र तथा गोलाबारूद प्राप्त हुए तथा यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?"

इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त शस्त्र तथा गोला-बारूद का उल्लेख है। और हमारी सरकार ने सभा मंच पर हमें यह आश्वासन दिया था कि वह नागा विद्रोहियों के साथ पाकिस्तान की सांठ-गांठ के बारे में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं और आप भी यह जानना चाहते होंगे कि नागा विद्रोहियों के साथ पाकिस्तान की सांठ-गांठ और गठ-जोड़ के बारे में पाकिस्तान से उन्हें अब तक कोई उत्तर मिला है या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : बड़े आदर और धैर्य के साथ माननीय सदस्य की बात सुनने के बाद मैं फिर इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह प्रश्न यहां नहीं उत्पन्न होता।

**Shri Vishwa Nath Pandey :** It has been stated in the last lines of the statement placed before the House that Naga hos iles would not commit acts of sabotage from 5th and 6th September I would like to know whether Naga hostiles have committed any acts of sabotage after the 5th/6th September, and if so, how it has affected the cease fire agreement ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : 5 या 6 सितम्बर के बाद किसी विद्रोहात्मक कार्यवाही की सूचना नहीं मिली है।

## तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन

\+

*293. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
**श्री विश्राम प्रसाद सिंह :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री कजरोलकर :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटस्थ राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के लिये कोई तिथि निर्धारित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से राष्ट्र भाग लेंगे; और

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री दिनेश सिंह)**: (क) जी हां। 5 अक्तूबर, 1964।

(ख) और (ग). अब तक जिन देशों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है, उनकी सूची और सम्मेलन की कार्यसूची का मसौदा सभा पटल पर रख दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०-3191/64]।**

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या प्रधान मंत्री, जो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये जा रहे हैं, चीन की अर्ध-उपनिवेशवादी गतिविधियों तथा अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों में उसके बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के लिये तटस्थ राष्ट्रों के समक्ष कोई विशिष्ट योजना रखेंगे, जिससे कि ये सब राष्ट्र चीन की विस्तारवादी गतिविधियों को सफलता से रोक दें ?

**श्री दिनेश सिंह** : कार्यवलि के प्रारूप में दूसरी मद इसी प्रश्न के बारे में हैं और पहली मद सामान्य अन्तराष्ट्रीय स्थिति के बारे में है। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि प्रधान मंत्री इन शीर्षों के अन्तर्गत वक्तव्य देंगे ।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : इंडोनेशिया और मलेशिया के झगड़े से फायदा उठाने और इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बनने की पाकिस्तान की हाल की चाल को देखते हुए क्या प्रधान मंत्री इंडोनेशिया और मलेशिया में समझौता कराने के लिये बातचीत आरम्भ करने के लिये कोई कदम उठायेंगे ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्री स्वर्ण सिंह )**: तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में किन्हीं दो पक्षीय विवादों के लिये जाने की संभावना नहीं है यह एक अलग प्रश्न है कि क्या भारत मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच आज कल विद्यमान तनाव को कम करने के लिये कोई कार्यवाही शुरू कर सकता है। यह ध्येय बड़ा अच्छा है, किन्तु इसके लिये कौन सा अवसर उपयुक्त रहेगा इसका पक्का पता नहीं है ।

**Shri Vishram Prasad :** May I know whether the question of Chinese agression over India would be raised in this conference and whether any action would be taken by the conference to settle that?

**श्री स्वर्ण सिंह** : श्रीमन्, सामान्यतया सम्मेलन में भाग लेने वाले दो देशों के बीच द्विपक्षीय विवाद अथवा भाग लेने वाले किसी देश और भाग न लेने वाले किसी अन्य देश के बीच द्विपक्षीय विवादों के लिये जाने की सम्भावना नहीं है। सभा को याद होगा कि चीन इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है। क्योंकि चीन तटस्थ देश नहीं है . . . . (**अन्तर्बाधा**)

**श्री नाथ पाई** : यह पहले भाग से कैसे मेल खाता है ?

**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि चीन तटस्थ राष्ट्रों का सदस्य नहीं है . . . . (**अन्तर्बाधायें**) :

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह सामान्य परम्परा है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले और भाग न लेने वाले देश के बीच भी द्विपक्षीय विवाद साधारणतया वहां उठाये नहीं जाते ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : यह स्थिति असंगत है ।

**श्री नाथ पाई** : श्रीमन्, आपको भी इस स्थिति के कारण भ्रम हो गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच के झगड़े नहीं उठाये जाते। परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले किसी

देश और न भाग न लेने वाले किसी देश के बीच का झगड़ा भी नहीं उठाया जा सकता। तो वहां क्या उठाया जा सकता है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : श्रीमन्, आप का कहना बिल्कुल ठीक है। यह सच है कि इस प्रकार के सम्मेलन में किन्हीं दो देशों के बीच के झगड़े नहीं निबटाये जाते। मैं केवल यही अन्तर बताने की कोशिश कर रहा था कि यदि दोनों देशों में से कोई भी भाग न ले रहा हो, तो जाहिर है कि उस विषय पर चर्चा नहीं होती। यह सच है कि इस प्रकार के सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा और विचार करने के लिये होते हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : किस के सम्बन्ध में ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : अधीर होने की जरूरत नहीं है। कार्यावलि का एक मसौदा है जो कि सभा पटल पर रख दिया गया है। यह सच है कि प्रत्येक देश की अपनी खास समस्यायें हो सकती हैं। जिनको कि वह महत्व देता हो, परन्तु यदि इस प्रकार के सम्मेलन को कोई ऐसा सामान्य सिद्धान्त बनाना है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर लागू हो, तो व्यक्तिगत झगड़ों पर चर्चा करने की प्रथा अच्छी नहीं है क्योंकि सारी शक्ति उसी में लग जायेगी। यह नहीं भूलना चाहिये कि इस प्रकार के सम्मेलनों में कुछ देशों के विचार विवाद में एक के पक्ष में होंगे और अन्य कुछ देशों के विचार बिल्कुल उस के विपरीत होंगे .... (**अन्तर्बाधायें**)

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें खत्म कर लेने दीजिये।

**श्री नाथ पाई** : उन्होंने खत्म कर लिया है। वे बैठ गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि आप इतने जने खड़े हो गये इसलिये वे बैठ गये।

**श्री स्वर्ण सिंह** : श्रीमन्, मैं इसलिये बैठ गया क्योंकि आप खड़े हुए थे। वे भी खड़े होते तो बैठ जाता। मैं यह कह रहा था कि कार्यावलि का मसौदा सभा पटल पर रख दिया गया है और इस में एक मद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर सामान्य चर्चा के बारे में भी है।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : हम ने इसे पढ़ लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : फिर भी, यदि वे कुछ स्पष्ट करना चाहें या किसी खास प्रविष्टि की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने का हक है।

**श्री स्वर्ण सिंह** : कार्यावलि का मसौदा ही ऐसा है कि इस में द्विपक्षीय विवादों को उठाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है और भारत की यह नीति रही है कि द्विपक्षीय विवाद इस सम्मेलन में न उठाये जायें .....(**अन्तर्बाधायें**)

**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ...(**अन्तर्बाधायें**)

**अध्यक्ष महोदय** : कितने व्यवस्था के प्रश्न हैं ?

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मन्त्री महोदय का कहना है कि द्विपक्षीय विवाद उठाना अच्छा नहीं है। परन्तु विवाद तो द्विपक्षीय ही होता है। आप कृपा करके मन्त्री महोदय से कहें कि वह सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण को पढ़ें। उसमें बताया गया है कि इस सम्मेलन में मुख्यत: विश्व-

शांति तथा नये राज्यों की सुरक्षा तथा उनकी प्रगति के बारे में विचार होगा। इसलिये यह प्रश्न पूछा जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यही बताने का प्रयत्न कर दूं। शान्ति स्थापना पर चर्चा की जा सकती है परन्तु दो देशों के बीच विवाद के प्रश्न पर चर्चा नहीं की जा सकती है। मैं उनकी तथा मन्त्री महोदय दोनों की बात सुन चुका हूं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं आपका ध्यान प्रधान मन्त्री द्वारा कही गई उस बात की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय बोलते हुए कही थी। उन्होंने श्री मेनन के सुझाव का जिक्र करते हुए बताया था कि वह समझौता कराने के प्रश्न को उठाने का प्रयत्न करेंगे और उन्होंने इण्डोनेशिया तथा मलेशिया के बीच समझौता कराने के लिए एक टीम बनाने के बारे में श्री मेनन के सुझाव की सराहना की थी। परन्तु वैदेशिक-कार्य मन्त्री का उत्तर इस बात के बिल्कुल उल्टा है। मेरा यही औचित्य प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री स्थिति स्पष्ट करें।

**श्री हरि विष्णु कामत** : आपने भी स्वयं कहा है कि बैलग्रेड में 1961 में हुए पहले तटस्थ सम्मेलन में अणु बम परीक्षण पर प्रतिबन्ध, जिसके बारे में सन्धि भी हो चुकी है, का मामला उठाया गया था तथा मुझे याद है कि अमरीका की भर्त्सना की गई थी। अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को यहां पर नहीं उठाया जा सकता है। मेरे मित्र डा० सिंघवी ने ठीक ही कहा है कि विवाद दो पक्षों में होता है। एक देश सम्मेलन में उपस्थित होता है तथा दूसरा वहां नहीं होता है। भारत सम्मेलन में था तथा चीन नहीं था। इसलिये मेरे मित्र श्री विश्राम प्रसाद ने ठीक ही प्रश्न पूछा है कि क्या इस सम्मेलन में कोई ऐसा प्रयत्न किया जायेगा कि भारत के प्रति सहानुभूति प्रकट हो तथा चीन के विरुद्ध हो। यह प्रश्न पूछा जाना ठीक है ?

**अध्यक्ष महोदय** : ये प्रश्न औचित्य प्रश्न के रूप में पूछे जा रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों ने मन्त्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा होता तो सम्भवतया वह इस प्रकार के औचित्य प्रश्न नहीं पूछते। मैं इन प्रश्नों को औचित्य प्रश्न नहीं समझता हूं। माननीय सदस्य केवल यह कहना चाहते हैं कि या तो वक्तव्य ठीक नहीं है अथवा वक्तव्य में गड़बड़ी है। इस सम्बन्ध में मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि कृपा करके प्रधान मन्त्री पर इसका दायित्व छोड़ दें कि वहां पर वह क्या प्रश्न पूछना ठीक समझते हैं।

**श्री स्वर्ण सिंह** : वैदेशिक-कार्यों पर भी चर्चा होने वाली है।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां। माननीय सदस्य तभी ये सब बातें पूछ सकते हैं। यह समय इस प्रकार बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

**श्री भागवत झा आजाद** : श्रीमान्, मेरा औचित्य प्रश्न अन्य औचित्य प्रश्नों से भिन्न है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संसद् ने चीनी आक्रमण की एकमत से निन्दा की थी। हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं कि प्रधान मन्त्री पर वहां पूछे जाने वाले सवालों की जिम्मेदारी छोड़ दें। परन्तु वैदेशिक-कार्य मन्त्री ने चीनी आक्रमण को केवल राष्ट्रों के बीच विवाद मान लिया है और संसद् के निर्णय को सीमित कर दिया है तथा सरकार और प्रधान मन्त्री को तटस्थ सम्मेलन में इस बात को न उठाने के लिये बांध दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह केवल एक औचित्य प्रश्न है तो इसका उत्तर नहीं है।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Mr. Speaker, Sir, I also want to raise a point order. It may be that disputes between two countries cannot be taken up there. It is wrong. But a general principle can be settled that an attempt to change the borders between two countres by force, whether it is made by whites or blacks, is tentamount to imperialism and colonialisn. So I want to know whether Prime Minister will take up this question there and get it accepted?

**Mr. Speaker :** I daily observe here that a point of order can be raised when the provisions of the constitution are violated or Rules of the Rules of Procedure is not properly adhered to. A Point of order is meant only to assist Speaker in conducting the proceedings of the house. But now point of order is being raised here to abstruct the smooth running of proceedigs. Therefore I would appeal to Members to raise point of orders properly and not to raise them only to elicit any information or to point out that the statement given by the Minister is not correct. If any Hon. member wants to point out that the Statement is not correct than he should give notice for discussion and not to raise a point of order.

**Dr Ram Manoher Lohia :** Mr. Speaker. My intention was never to obstruct the proceedings. Secondly you observed regending principl . .

**Mr. Speaker :** Doctor Saheb why you take all this personally. This observation is for all members.

**Dr Ram Monohar Lohia :** But Hazrat—Huzur you observed all this on my point order.

**Mr Speaker :** Hazrat Saheb. I . . . . . .

**Dr Ram Manahar Lohia :** I ultered the word 'Hazrat' by mistake and corrected it afterwards.

**Mr. Speaker :** I honoured you by the word 'Hazrat Saheb' Hon. Member only said 'Hazrat' but I said 'Hazrat Saheb'

**Dr. Ram Manohar Lohia :** But you observed about a principle also . .

**Mr Speaker :** Kindlly take you seat. Now I want to hear Prime minister.

**The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri)** I also think that the question asked by Dr. Lohia was not a point of order. But the question he asked was a general question whether a country can attack other country without any justice. How far is such agression justified or proper? It has to be prevented for the maintenance of peace in the world. I think in that form, the question can be raised in the non-aligned conference. As regards the dispute between Malayasia and Indonesia, that is limited question and not a general question. But this can lead to breach of peace in South East Asia and the world. At first an attempt was made that Malayasia and Indonesia should settle their dispute through negotiations. I accepted all the suggestions of Shri Krishna Menon that if they settled their dispute through negotiation that would be better. Every dispute should not be raised in the conference. We should therefore try to find out a way to bring them together so that the two countries could settle their dispute by sitting together.

**श्री नाथ पाई** : आपने मेरा नाम पुकारा था।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां। परन्तु प्रधान मन्त्री द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद मैं ठीक नहीं समझता कि अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूं।

**श्री नाथ पाई :** अध्यक्ष महोदय यह एक बड़ी ही ग़लत प्रथा होगी । आपने मुझे पुकारा है । मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था । आपने मुझे उसकी अनुमति भी दे दी थी । अब आप मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि माननीय प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दे दिया है इसलिये मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि अनुपूरक प्रश्न न पूछें ।

**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान् मेरा औचित्य प्रश्न यह है । माननीय वैदेशिक कार्य मन्त्री ने स्पष्टतया कहा था कि दो देशों के बीच विवाद सम्मेलन में नहीं उठाया जायेगा । परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि चीन-भारतीय सीमा विवाद पर वहां पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि सम्भवतः सम्मेलन में कुछ देश ऐसे उपस्थित हों जो चीन के समर्थक हों । इसी कारण उन्होंने बताया कि यह विवाद वहां पर नहीं उठाया जायेगा । परन्तु प्रधान मन्त्री ने कहा है कि सम्मेलन में इस विवाद को उठाया जा सकता है । उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया विवाद को भी बताया कि सम्मेलन में उठाया जा सकता है ।

मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि क्या एक मन्त्री दूसरे मन्त्री की बात के विपरीत बात वक्तव्य में कह सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इससे संविधान का किस प्रकार उल्लंघन होता है ?

**श्री हेम बरुआ :** सभी नियमों आदि को याद रखना तो बड़ा कठिन काम है ।

**जवाहरलाल नेहरू का स्मारक**

+

*294. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
**श्री श्रीनारायणदास :**
**श्री अ० सिं० सहगल :**
**श्री प्र० क० देव :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बड़े :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :**
**श्री प० ला० बारुपाल :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू का स्मारक बनाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह कार्य एक समिति को सौंप दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री ललित सेन)** : (क) से (घ) जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि के सम्बन्ध में 17 अगस्त, 1964 को एक राष्ट्रीय समिति बनायी गयी है । राष्ट्रपति इस समिति के अध्यक्ष हैं और देश के कई प्रमुख नागरिक इसके सदस्य हैं। इस सम्बन्ध में ठोस योजनायें बनाने के लिये उक्त समिति ने एक कार्यक्रम उप-समिति की नियुक्ति की है । इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अलग से कोई और योजना नहीं बनायी है ।

**Dr. L. M Singhvi :** May I know how their committee has been constituted and whether Prime Minister has himself nominated some members to their committee.

**The Prime Minister and Miniteer of Atomic energy. (Shri Lal Bahadur Shastri ):** No. A meeting was held in this connection and specially Vice-President took the initiative. In that meeting it was decided to call a big meeting and that big meeting was attended by 400 persons. There the names of the members the names of Board of Trustees and the names to the members of executive committee was decided.

**Dr. L. M. Singhvi:** May I know whether the recommendations motions and resolution passed in this committee will be laid on the table and they will be implemented after the approval of Parliament?

**Shri Lal Bahadur. Shastri :** No. The fund, collected by National Momorial Committee will be spent by this committee. Government will have no say. If that committee will demand any assistance from Government, then we will consider. If Mr. Speaker will order we will gladly put all those recommendations on the table.

**Dr. L. M. Singhvi :** May I know whether it is a fact that all papers, letters and correspondence is being sent by Government departments and if so, the statement of P.M. that Government is not connected with it is also not correct?

**Shri Lal Bahadur Shastri :** I dont think that letters etc. are being sent by Government departments. I want to tell that the work of first committee was handled by us but since the constitution of their Memorial committee, separate staff is working In addiion if the staff working in National Movement would like to work, they can do that.

**श्री रंगा :** जब उपराष्ट्रपति ने उस समिति की बैठक बुलाई थी उस समय क्या सरकार ने यह ठीक नहीं समझा कि अध्यक्षा लोकसभा तथा राज्य विधान मण्डलों के अध्यक्षों तथा सभापतियों को बुलाया जाये जिससे वह समिति देश के राजनीतिक तथा सामाजिक सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर सके ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम भी यही चाहते हैं कि यह समिति सरकारी समिति न बन जाये और इस सम्बन्ध में हमने निर्णय भी ले लिया है । समिति में हम विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी रखना चाहते हैं और वह समिति में हैं भी ।

**श्री हेम बरुआ** : कौन कौन से दलों के लोग उसमें हैं ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं सभी दलों के नाम बताना नहीं चाहता हूं परन्तु बहुत से राजनैतिक दल इसमें हैं। इसमें मुख्य मन्त्री भी हैं परन्तु मैंने समिति में रहने से इन्कार कर दिया है।

**श्री रंगा :** क्यों।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** क्योंकि मैं चाहता था कि दूसरे ही लोग यह काम करें तो ठीक रहेगा उप-राष्ट्रपति इस समिति के प्रधान हैं। मैं यह भी बताना चाहता कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस समिति का उप-प्रधान बनना स्वीकार कर लिया है। हम और लोगों का भी स्वागत करेंगे।

**श्री रंगा :** सम्भवतया भविष्य में वह राज्य विधान मण्डलों के अध्यक्षों तथा सभापतियों को भी ऐसी महत्वपूर्ण समितियों में स्थान दिया करेंगे।

**Shri M. C. Dwivedi :** I want to know that in addition to the funds collected by Memorial committee for having a Memorial whether Government will also construct a separate Memorial and if not what subscription Government will give to this committee.

**Shri Lal Bahadur Shastri :** Government have not decided yet in this regard. But we would like to share any work of this programme. Education Ministry is thinking to start a programme in accordance to the memory of Panditji.

**श्री प्र० के० देव :** यह बताते हुए कि श्री जवाहरलाल नेहरू की यादगार यही सबसे अच्छी होगी कि हम उनके द्वारा बनाये हुए लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को उसी रूप में आगे बढ़ायें तथा मूर्ति आदि न बनाये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमारे देश में लोकतन्त्र तो शत प्रतिशत रूप में आगे बढ़ रहा है क्योंकि श्री जवाहरलाल जी का नेतृत्व रहा है।

**श्री प्र० के० देव :** मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** उन सभी बातों पर यहां विचार नहीं हो सकता है। उस राज्य में भी विधान मण्डल है तथा उड़ीसा सरकार है।

**श्रीमती सावित्री निगम :** इसमें कितनी सत्यता है कि समिति की गत बैठक में सभी सदस्यों की यह राय थी कि विकलांग बच्चों के लिये संस्था बनाना स्वर्गीय प्रधान मन्त्री का सबसे उत्तम स्मारक होगा क्योंकि उनको बालक बहुत प्रिय थे ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह निर्णय समिति करेगी कि क्या स्मारक बनाया जाये ऐसा तो प्रधान मन्त्री बता चुके हैं। इस प्रकार सरकार इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकती है। माननीय सदस्य चाहें तो समिति को अपना यह सुझाव भेज सकते हैं।

**श्रीमती सावित्री निगम :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या अधिकांश सदस्यों की यह राय थी या नहीं।

**Shri Y. S Chaudhary :** The hon. Prime Minister has just said that there should be a memorial and the wishes and opinions of the late Prime Minister would be taken into consideration. Whether in view of the protest made by all the sections of the House while debating over the acquisitions of Teen Murti House for the purpose, the Government are prepared t give some assurance changing their decisions ?

**Mr. Speaker :** That has been replied to. That is final.

**Shri Y. S. Chaudhary :** Whether in view of the last debates, the Government are not prepared to change their decisions?

**Mr. Speaker :** He has finally replied to that.

**Shri Bade :** The hon. Prime Minister has just said that different parties are represented there. I want to know the parties that are represented and whether the other parties, which are left out, were asked to represent?

**Mr. Speaker :** That is not yet complete. Some co-options work remains.

**श्री रंगा :** हम यह समझते हैं कि यह सब कुछ मनमाने ढंग से किया गया है।

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री ललित सेन) :** समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :

डा० जाकिर हुसैन
श्री लाल बहादुर शास्त्री
श्री गुलजारी लाल नन्दा
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
श्रीमती इन्दिरा गांधी
श्री के० कामराज
श्री हुकम सिंह
श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित
कुमारी पद्मजा नायडू
श्रीमती कृष्णा हठीसिंह
श्री वी० पी० नायक
श्री पी० सी० सेन
श्री अशोक मेहता
श्री के० एम० मुन्शी
श्री पी० ए० नारियलवाला
श्री हीरेन मुकर्जी
श्री जय प्रकाश नारायण
श्री फ्रेंक एन्थनी
बीकानेर के महाराजा
श्री जगजीवन राम
श्री फखरुद्दीन अहमद
श्री डी० एस० कोठारी
श्री डी० एरिंग
प्रो० एम० मुजीब
श्री के० डी० मालवीय
भोपाल की नवाब सजेदा सुल्तान
श्री जे० आर० डी० टाटा

श्री जी ० डी ० बिरला
डा ० कर्ण सिंह
डा ० सी ० पी ० रामस्वामी अय्यर
श्री एम ० चालापति राव
श्री एम ० सी ० चागला

**श्री रंगा** : यह कहना गलत है कि इसमें सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। **(अन्तर्बाधा)**

**Dr. Ram Monohar Lohia :** May I know the general rules under which such memorials will be built and are being built ?

**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधत्व दिया गया है। लेकिन जब सभा-सचिव ने सूची पढ़ी तो उससे पता लगता है कि इसमें कांग्रेसी लोग ही भरे हैं।

**श्री दी० चं० शर्मा** : इसमें अन्य लोग भी हैं। जैसे डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर कांग्रसी सदस्य नहीं हैं। **(अन्तर्बाधा)**

**अध्यक्ष महोदय** : आज प्रश्न-काल में हम केवल तीन ही प्रश्न ले सके हैं और माननीय सदस्य अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं।

**श्री हेम बरुआ** : मैं समझता हूं कि श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री के० एम० मुन्शी के अतिरिक्त बाकी सभी सदस्य कांग्रेसी हैं। यह बात प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य के विरुद्ध है कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। सभा-सचिव ने जो अभी सूची पढ़ी है वह प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से भिन्न है। क्या इस सभा में इस प्रकार भिन्न बातें हो सकती हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : बाज दफा भिन्न बातें हो सकती हैं लेकिन उन्हें ठीक कराने का तरीका यह नहीं है। जब कभी मतभेद हो, तो माननीय सदस्य मुझे लिखें, मैं मंत्री महोदय से इस बारे में बताने को कहुंगा और यदि वह संतुष्ट न हों तो मैं उन्हें इस पर वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

**श्री हेम बरुआ** : हम सही बात जानना चाहते हैं।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने जो कुछ कहा उसमें कोई मतभेद नहीं है। मैंने यह नहीं कहा था कि सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है।

**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री जी ने कहा था 'विभिन्न राजनीतिक दल' :

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : 'विभिन्न' का मतलब है भिन्न राजनीतिक दल, यह संख्या एक भी हो सकती है, दो भी और तीन भी। इसका मतलब यह नहीं कि सभी आठ या दस राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है।

**श्री हेम बरुआ** : इसका मतलब दो या तीन भी नहीं है। **(अंतर्बाधा)**

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बड़ी अजीब बात है; माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुन लें और फिर जो चाहें प्रश्न पूछें।

**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा है कि इस समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है और सभा सचिव ने सूची पढ़ी है। इससे पता चलता है कि 'विभिन्न राजनीतिक दलों' से प्रधान मंत्री का तात्पर्य केवल कांग्रेस दल से है और अन्य किसी दल से नहीं। **(अंतर्बाधा)**

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। श्री एच० एन० मुकर्जी कांग्रेस दल के सदस्य नहीं हैं।

**श्री हेम बरुआ** : इतनी बड़ी सूची में श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री के० एम० मुन्शी दो ऐसे सदस्य हैं जो कांग्रेस दल से नहीं हैं। इनके अतिरिक्त सारी समिति कांग्रेसी लोगों से भरी है।

**अध्यक्ष महोदय** : बीकानेर के महाराजा भी इसमें हैं।

**श्री रंगा** : इन तीन या चार सदस्यों के बावजूद भी मेरी प्रार्थना है कि इसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

**श्री उमा नाथ** : इसमें सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

**श्री रंगा** : मुसीबत यह है कि इन्होंने अन्य दलों के केवल एक या दो सदस्यों को ले लिया है और बाकियों को छोड़ दिया है। **(अन्तर्बाधा)**

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। प्रश्न पूछा गया था और नाम बता दिये गये। जो कुछ मैंने सुना उनमें से मैं उन सदस्यों के नाम छांट रहा हूं जो कांग्रेस दल के नहीं हैं।

**श्री उमानाथ** : प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि सभी राजनीतिक दलों अथवा विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन सूची से एसा पता नहीं चलता है।

**Shri Bade** : I asked about the parties and he told the names of the members.

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बड़ी समिति में जनसंघ का भी एक प्रतिनिधि है। हमने इस समिति के लिये श्री वाजपेयी को निमंत्रण भेजा था। पता नहीं शायद श्री बड़े भी....

**श्री बड़े** : मैंने प्रश्न इसीलिये पूछा था कि क्योंकि इसमें जनसंघ का प्रतिनिधित्व नहीं है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : कृपया मेरी बात सुनें। अजीब बात है। मैंने अभी अपना वाक्य पूरा नहीं किया है।

कार्यकारी समिति और न्यास समिति का चयन करना उस बड़ी समिति का काम था। हमने किसी को कार्यकारी समिति में मनोनीत नहीं किया। उस बड़ी समिति ने,

जिसमें श्री मुन्शी को आमंत्रित किया गया था, श्री वाजपेयी को और अन्यों को आमंत्रित किया गया था, न्यास बोर्ड और कार्यकारी समिति का चयन किया। इस पर किसी को असन्तोष नहीं हुआ। अतः यदि कार्यकारी समिति में अन्य दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

जहां तक अन्य बात का सम्बन्ध है, हमारा विचार प्रादेशिक समितियां स्थापित करने का है। स्मारक समिति, राष्ट्रीय समिति का विचार यह है कि प्रादेशिक समितियां राज्य समितियां स्थापित की जायें। निःसन्देह हमें सभी का सहयोग प्राप्त कर प्रसन्नता होगी। जो इस काम में सहयोग करना चाहते हैं, जिनकी वास्तव में इस काम में रुचि है, उनका स्वागत है।

तीसरे इसमें सदस्यों को शामिल किये जाने का भी अधिकार है। यदि समिति उचित समझे तो यह अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकती है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : औचित्य प्रश्न के हेतु।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है। अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3। श्री दिगम्बर सिंह चौधरी।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यह औचित्य प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री बड़े ने एक प्रश्न पूछा था कि इस समिति में किन किन दलों को शामिल किया गया है। उत्तर में सभा सचिव ने नाम बताये। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रश्न का उत्तर गलत दिया। क्या किसी मंत्री को एक ऐसा उत्तर देकर सभा को धोखा देने का अधिकार है.....

**अध्यक्ष महोदय** : धोखा देने का कोई प्रश्न नहीं है। एक यह प्रश्न पूछा गया था कि इसमें किन किन दलों का प्रतिनिधित्व है। मंत्री महोदय एकदम इसका उत्तर नहीं दे सके। अतः उन्होंने नाम पढ़ दिये ताकि यह पता लग सके कि प्रतिपक्ष के कौन सदस्य उसमें हैं और कौन से दलों का प्रतिनिधित्व है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : प्रश्न का उत्तर सीधे दिया जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3।

---

## अल्प-सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION
### Flood threat to Mathura District

SNQ No. 3 **Shri D. S. Chaudhuri**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that water from Punjab has started rushing into Mathura district in Uttar Pradesh *via* Rajasthan and is likely to cause heavy loss of crops in that district ;

(b) whether Government of Punjab has started releasing water before the scheduled plan of 1965 ;

(c) the steps suggested to Punjab Government by the Union Government in this connection ;

(d) the measures being taken by Government for protecting the crops in Mathura district ; and

(e) whether any negotiations are going on between the Government of Uttar Pradesh and the Union Government in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Shyam Dhar Misra):** (a) Yes, Sir.

(b) Ujjina drain of Punjab which is called Paharı Kaman Drain in Rajasthan and Goverdhan Drain in Uttar Pradesh, was scheduled to be com leted by June, 1964, and not 1965. The portions of the drain in Rajasthan and U. P. could not be completed by that date and the Central Water & Power Commission and Rajasthan requested the Punjab authorities not to let out water in the Ujjina drain during the flood season this year. However, water was released and is flowing in Ujjina drain.

(c) The Government of Punjab has been requested to stop the water coming out from Ujjina Drain so long as the water level in the Ujjina Lake does not exceed 621·1 as mentioned in their project report. The Punjab Government was also advised to close the breaches in the Chandaini and other bunds from which water is flowing into the Ujjina Lake.

(d) and (e). The water let down from Punjab is collecting in Pahari and Kama depressions and after these are filled will flow into U.P. In order to avoid heavy rush of water, it has been suggested to U.P. Government to gradually release 50 cusecs to 200 cusecs into Goverdhan Drain and additional waters to the extent that can be pumped into Bharatpur feeder. U.P. authorities have informed that a start has been made with 50 cusec —and now 100 cusecs are being let down into Goverdhan lake—and that pumps are being installed at Bharatpur feeder crossing of Goverdhan Drain.

**Shri D. S. Chaudhuri:** Whether it is a fact that Punjab Government suggested to give some amount for the construction of Goverdhan drain but that amount was not given? Whether the Central Government have taken up the matter with the Punjab Government?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):** गोवर्धन ड्रेन बनाने के लिये पंजाब सरकार ने 30 लाख रुपये देने हैं। यह धनराशि अभी नहीं दी गयी है।

**Shri D. S. Chaudhuri:** Whether in view of the loss sustained by agriculturists there due to the faults of the Punjab Government, the Central Government would ask the Punjab Government for the payment of some compensation to those agriculturists?

**डा० कु० ल० राव:** अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हानि कितनी हुई है। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण यह कहना बड़ा कठिन है कि हानि के लिये पंजाब सरकार मुआवजा दे।

**Shri Y. S. Chaudhary:** On the one hand it is said that by the Punjab Government that the Dhasa bund is illegal, on the other hand the Government have stated that Punjab Government are to pay some compensation for the water being released and on the third hand it is being said that a number of villages submerged due to the water of Dhasa bund. I want to know whether

the Government are prepared to appoint some committee or some impartial person to resolve the water-dispute between Delhi, Punjab and U.P. so that this might not be left over to States and the agriculturists could be saved.

**डा० कु० ल० राव** : साबी नदी और नजफगढ़ क्षेत्र के नियंत्रण के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जा चुकी है और आशा है कि यह समिति तीन महीनों में अपना प्रतिवेदन दे देगी।

**Shri Prakash Vir Shastri :** For the last two or three years, the convention is that the water from Punjab flows towards Bharatpur and Alwar *via* Mathura and that causes heavy loss to crops. Now since the Government are inclined to increase food production, whether an assurance would be given to the House that next year this work would be completed before the monsoon comes and that now no laxity would be allowed in the work.

**डा० कु० ल० राव** : यह सच है और सरकार को खेद है कि गोवर्धन नाले का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारा इरादा भी यही है और हम इस नाले को इस वर्ष पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

**Shri Bagri :** Alike U.P. and Punjab States, Rajasthan did not allow water to go into the Ghaggar river, situated between Punjab and Rajasthan by putting a bund for the irrigation of 100 acres of land resulting in loss to crops due to the submerge of 15,000 acres of land in Punjab. Whether some action is contemplated to take ?

**डा० कु० ल० राव** : घग्घर नदी से भी हानि हो रही है। इन हानियों को रोकने के लिये एक योजना बनायी गयी है और उसका तकनीकी मंत्रणा समिति ने अनुमोदन कर दिया है और उस पर सरकार की मंजूरी होनी बाकी है।

**Shri Jagjev Singh Siddhanti :** The loss to Rajasthan people, U.P. people and Delhi people is much less but they make much noise. But in Punjab a large area of Jhajjar is submerged and who is to pay the loss due to that. All these States should compensate that loss. The water should be allowed to flow on its natural way and control over that is a crime.

**डा० कु० ल० राव** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य के पास ठीक जानकारी नहीं है। साहबी-नजफगढ़ नाले से पंजाब में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र और दिल्ली राज्य में लगभग 60,000 एकड़ क्षेत्र जलमग्न हुआ है।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या यह सच है कि एक स्थान पर किसान परिवारों की महिलाओं ने मजबूर हो कर एक इंजीनियर को उठा कर नाले में फेंक दिया और यदि हां, तो इस घटना के क्या कारण हैं ?

**डा० कु० ल० राव** : समाचारपत्रों की यह खबर है। लेकिन जो हम समझते हैं वह यह है कि पंजाब सरकार ने यह आदेश दिया था कि जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने सलाह दी है, उज्जिना झोज से आने वाले पानी को कम किया जाये और वहां कार्यकारी इंजीनियर स्थानिय व्यक्तियों द्वारा विरोध किये जाने के कारण ऐसा नहीं कर सके। हमने फिर कहा

कि पानी कम किया जाये और अब वे पुलिस की सहायता से व्यवस्था करने और उज्जिना झील से आने वाले पानी को नियमित करने के लिये कार्रवाई कर रहे हैं ?

**Shri Onkar Lal Berwa :** While constructing the Dhasa bund, whether it was not surveyed as to the area that would submerge of that? I want to know he loss due to this and the loss due to dismentling it and whether there is a scheme to reconstruct it ?

**डा० कु० ल० राव :** ढासा बांध के बारे में सारी समस्याओं पर विचार किया जा रहा है और जैसा मैं बता चुका हूं, एक समिति नियुक्त की गई है और इस समिति की पड़ताल और निष्कर्षों के आधार पर ही हम यह तै करेंगे कि ढासा बांध आवश्यक है या नहीं ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** The extent of damage after dismantling it ?

**डा० कु० ल० राव :** हानि के बारे में मैं यह बता चुका हूं कि हमें इसका ठीक पता नहीं कि कितनी हानि हुई क्योंकि पानी निकलने के बाद ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस से कितने मकानों आदि को क्षत्ति पहुंची । लेकिन सामान्यतः इससे पंजाब में लगभग 10,000 एकड़ और दिल्ली राज्य में लगभग 15,000 एकड़ भूमि जलमग्न हुई ।

**Shri Kashi Ram Gupta :** The water from Sahibi river in Rajasthan causes damage to Alwar district of Rajasthan, Gurgaon district of Punjab and Delhi and for that the Rajasthan Government have prepared a scheme to construct a bund in the Alwar district . Whether the Government of India have under consideration a detailed scheme to control this Sahibi river. ?

**डा० कु० ल० राव :** यह सच है कि इस वर्ष साहिबी नदी अत्यधिक चढ़ी । दिल्ली और राजस्थान और इन सब क्षेत्रों में बाढ़ से हुई क्षत्ति पर नियंत्रण करने के लिये साहिबी नदी पर बांध बनाये जायेंगे, इस पर भी विचार किया जायेगा ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** जब कि राजस्थान और दिल्ली में फसलों को हुई हानि के बारे में मूल्यांकन किया गया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा करना क्यों संभव नहीं हो सका है ? मथुरा के आस पास स्थिति को और बिगड़ने देने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि पानी के कई बांधों को खतरा हो गया है ?

**डा० कु० ल० राव:** पता नहीं के माननीय सदस्या क्या कह रही हैं । ये आंकड़े मैं ने झज्जर-नजफगढ़ क्षेत्र के बारे में बताये हैं । उस क्षेत्र में पानी उत्तर प्रदेश में बह रहा है और हमें पता नहीं है कि इससे कितनी हानि हुई है ।

**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या पंजाब सरकार के लिये झील में पानी 621 फुट तक पहुंचने से पूर्व ही पानी का छोड़ा जाना मजबूरन आवश्यक हो गया । और क्या इससे पंजाब में जलमग्न क्षेत्र को कोई सहायता मिली क्योंकि समय से पूर्व इसी पानी के छोड़े जाने से उत्तर प्रदेश और राजस्थान को हानि हो रही है ?

**डा० कु० ल० राव:** यह बात पंजाब सरकार को बता दी गयी है कि उन्हें उज्जिना झील के बहाव पर नियंत्रण रखना चाहिये ; अभी भी झील का स्तर 621·1 फुट है ; उनको पानी का स्तर कम करने को कहा गया है ।

**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या पंजाब सरकार को इतने पहले पानी छोड़ना मजबूरन आवश्यक हुआ और इससे पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को कोई लाभ हुआ या नहीं ।

**डा० कु० ल० राव** : मैं तो केवल यह समझ सकता हूं कि पंजाब सरकार को और अधिक वर्षा की प्रत्याशा थी और इसलिये वे उज्जिना झील में और अधिक पानी छोड़ना चाहते थे ।

**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या सरकार ने उन क्षेत्रों के बारे में कोई अनुमान लगाये हैं जहां कि वर्षा के बाद गेहूं बोया जाता है और कितने क्षेत्र में गेहूं नहीं बोया जा सकेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त हैं ?

**डा० पं० शा० देशमुख** : जी , हां ।

**डा० कु० ल० राव**: उज्जिना–गोवर्धन क्षेत्र में पंजाब में लगभग 3,000 एकड़ और राजस्थान में लगभग 25,000 एकड़ क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसके बारे में अभी पता नहीं है। जैसा मैंने बताया है पानी अभी भी उत्तर प्रदेश में बह रहा है और हमें पता नहीं है कि क्षेत्र कितना होगा। यदि वर्षा और न हुई और यदि हम इस सारे क्षेत्र से पानी निकाल सके तो अधिकांश क्षेत्र में रबी की फसल बोई जा सकती है ।

**श्री इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि अधिकांश पानी राजस्थान से आता है और पंजाब और उत्तर प्रदेश से हो कर गुजरता है और यदि इसको नहरबद्ध नहीं किया गया तो सरकार इस काम को अन्तर्राज्यीय बोर्डों के जरिये कराने के लिये क्या कदम उठायेगी और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में कोई प्रभावी कार्यवाही की जायगी ताकि लोगों को कठिनाई न हो ?

**डा० कु० ल० राव** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, वह ठीक नहीं है। उज्जिना झील से जो पानी आ रहा है वह अधिकांश पंजाब से आता है। राजस्थान और पंजाब से हो कर जो नाला गुजरता है उज्जिना में गिरता है वह केवल लंढौवा नाला है। लंढौवा नाले का पंजाब में 120 वर्गमील और राजस्थान में 140 वर्ग मील जलमग्मन क्षेत्र है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि पानी सारा राजस्थान का है या पंजाब का। जो भी हो, हमें इसे राजस्थान का पानी या पंजाब का पानी ही नहीं समझना चाहिय । यह भारतीय पानी है ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### दक्षिण अफ्रीका में देशद्रोह संबंधी मुकदमे

*295 **श्री सरकार मुरमू** :
**श्री विश्राम प्रसाद** :
**श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
**डा० रानेन सेन** :
**डा० सारादीश राय** :

**क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका में श्री मन्डेला तथा दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध हाल में ही चलाए जाने वाले मुकद्मे के बारे में भारत सरकार ने क्या रवैया अपनाया है; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने इस संबंध में हाल ही में कोई कदम उठाया था ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में श्री मन्डेला और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने की निंदा की है क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका की जाति-भेद की घृणित नीति का एक और उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव-गरिमा की जो गारंटी दी गई है, उस के प्रति ये तथाकथित 'देशद्रोह के मुकदमें' चुनौती है।

(ख) जी हां। जून, 1964 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की जो बैठक हुई थी, उसमें भारत के प्रतिनिधि ने श्री मन्डेला तथा सात अन्य व्यक्तियों को दिए गए आजीवन कारावास के दंड को 'कठोर और अन्यायपूर्ण' कह कर निंदा की थी और उस प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें वर्णभेद के शिकार व्यक्तियों के मुकदमे समाप्त करने और उन्हें क्षमादान देने के लिए कहा गया था।

## दिल्ली-कलकत्ता टेलीप्रिंटर सम्पर्क

*296 श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-कलकत्ता टेलीप्रिंटर सम्पर्क 23 जून, 1964 को और फिर 19 अगस्त, 1964 को 30 घंटे तक बन्द रहा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन पर ऐसा सदैव होता रहता है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) दिल्ली और कलकत्ता के बीच के कुल 60 टेलीप्रिंटर परिपथों में से 43 परिपथ 23 जून, 1964 को 25½ घंटे के लिए और 26 परिपथ 19 अगस्त, 1964 को 15 घंटे के लिए सहधुरीय केबल तारों पर बिजली गिरने से खराबी होने के कारण बन्द रहे।

(ख) सहधुरीय केबल प्रणाली, जिसके माध्यम से नई दिल्ली और कलकत्ता के बीच के टेलीप्रिंटर सम्पर्क सामान्यत: काम करते हैं उस में खास कर वर्षा के मौसम में बिजली गिर जाने के कारण कभी कभी गड़बड़ी हुई है।

(ग) उन क्षेत्रों में जहां बिजली गिरने की घटनायें होती रहती हैं इस प्रकार की खराबियों को कम करने के लिये रोकथाम के उपाय किये गये हैं, जिनके परिणामस्वरूप जहां तक खराबियों का प्रश्न

है स्थिति में काफी सुधार हुआ है और अभी तक 1964 में सिर्फ पांच बार खराबियां हुई हैं, जब कि 1963 में 13 बार खराबियां हुई थीं। इस वर्ष मानसून खत्म होने पर रोकथाम के उपायों को आगे और ठोस बनाने के लिये उनकी फिर से जांच की जाएगी।

**भारतीय नौसेना के लिये फ्रिगेट**

*297. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मं० रं० कृष्णा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार से प्रतिरक्षा सहायता संबंधी बातचीत के लिये अमरीका जाते हुए प्रतिरक्षा मंत्री अथवा उन के मंत्रालय के किसी उच्च अधिकारी ने माजागांव में भारतीय नौसेना के लिये फ्रिगेट बनाने के बारे में ब्रिटेन की जहाज बनाने वाली कुछ फर्मों से उस समय बातचीत की थी जब वे लन्दन में थोड़ी देर के लिये रास्ते में रुके थे; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, नहीं। तदपि, भारत सरकार ब्रिटिश पोतनिर्माताओं के सहयोग से जगांव डाक्स में फ्रिगेटों के निर्माण के बारे में विदेशी लागत के लिए निधि जुटाने सम्बन्धी लम्बे अर्से के ऋणों की सहायतार्थ ब्रिटिश सरकार से बातचीत करती रही है।

(ख) यह बातचीत अभी प्रगतिशील है।

**Tele-Communications link with other Countries**

*298. **Shri M. L. Dwivedi :**
**Shrimati Savitri Nigam :**
**Shri S. C. Samanta :**
**Shri Subodh Hansda :**
**Shri Bagri :**
**Shri Solanki :**
**Shri Narasimha Reddy :**
**Maharajkumar Vijaya Ananda :**
**Shri B. N. Kureel :**
**Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) the broad features of the proposal regarding linking India with other countries through tele-communication services ;

(*b*) the expenditure likely to be incurred on the project of laying submarine cables and the length of the cables to be laid and the order in which link with different countries will be established ;

(*c*) the time likely to be taken in coordinating the trans-oceanic telephone and telegraph services and the advantages financially and otherwise likely to accrue therefrom ; and

(*d*) whether any foreign assistance is likely to be obtained for this work?

**The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati)** : (a) to (d) India's Overseas Communications system is presently worked mainly on high frequency radio. This system has not only certain inherent limitations, but its capacity is also considerably limited and is inadequate to cope with the increasing demands of the country. With a view to providing a better service both in quality and extent, Government are considering proposals for participation in the Commonwealth Submarine Cable system and the Global Commercial Satellite Communication system. The cost, the method of financing and other details of the proposals are being worked out.

**फारमोसा को भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल**

*299. श्री महाराजकुमार विजय आनन्द :
डा० रानेन सेन :
श्री दिनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० सारादीश राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री नम्बियार :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री प० कुन्हन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अ० सिंह० सहगल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री चांडक :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फारमोसा को जाने वाले एक गैर-सरकारी भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा दिये गये उस वक्तव्य से अवगत है, जो उन्होंने ताइपेह में दिया था और जिसमें

उन्होंने यह कहा था कि दोनों देशों (भारत तथा कुओमितांग) के बीच राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करना भविष्य में संभव है;

(ख) क्या उक्त नेता ने इस वक्तव्य के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था; और

(ग) क्या विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों को हमारी विदेशी नीति के सम्बन्ध में कोई संक्षिप्त हिदायतें दी जाती हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री दिनेश सिंह )** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विदेशों को जाने वाले गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल जब कभी आवश्यक सूचना मांगते हैं, तो वह उन्हें अनौपचारिक आधार पर दे दी जाती है ।

**भारत–पाक सीमा का सीमांकन**

*300. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री च० का० भट्टाचार्य :**
**श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
**श्री कजरोलकर :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1964 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के उस समाचार की ओर गया है जिस में कहा गया है कि पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान सीमा पर पश्चिमी बंगाल के महानन्दा-कारातोआ क्षेत्र के सीमांकन के काम में विलम्ब हेतु गतिरोध पैदा कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सरकार ने अखबार की यह खबर देखी है। पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा के महानंद-कारातोआ क्षेत्र में सीमांकन के काम में बहुत प्रगति नहीं हुई है और इसका मुख्य कारण यह था कि पूर्व पाकिस्तान के सर्वेक्षण कर्मचारियों ने पर्याप्त सहयोग नहीं दिया। 10 जून, 1964 को पूर्व पाकिस्तान ने अपने आप उन कर्मचारियों को हटा लिया जो इस क्षेत्र में सीमांकन के काम में लगे थे।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार से बार बार जोर दे कर यह बात कही है कि इस क्षेत्र में सीमांकन जल्दी करना जरूरी है। 17-18 जुलाई, 1964 को ढाका में भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों का जो 78 वां सम्मेलन हुआ था उस में पश्चिम बंगाल सरकार के

भूमि अभिलेख निदेशक (डाइरेक्टर आफ लैंड रिकार्डस) ने इस बात पर बल दिया था। फलस्वरूप, यह समझौता हो गया है कि नवम्बर से शुरू होने वाले आगामी फसल के दिनों में महानंद-कारातोआ क्षेत्र में सीमांकन का काम किया जाएगा।

**साइप्रस में भारतीय जनरल**

*301. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री कृष्ण पाल सिंह :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइप्रस में एक भारतीय जनरल को संयुक्त राष्ट्र सेना का प्रधान बनाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) क्या इस मामले में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बीच कोई लिखा पढ़ी हुई है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख) जी, हां। लैफ्टिनेंट जनरल पी० एस० ज्ञानी संयुक्त राष्ट्र के अधीन गाजा में संयक्त राष्ट्र आपातिक सेना के कमांडर के पद पर थे। रिटायर होने के बाद, जनवरी, 1964 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवा करते रहने की अनुमति दे दी गई थी और संयुक्त राष्ट्र महा सचिव ने उन्हें साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का कमांडर नियुक्त किया था। जनरल ज्ञानी ने जब निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया तब संयुक्तराष्ट्र महा सचिव ने साइप्रस में उनका स्थान लेने के लिए हमसे जनरल के० एस० थिमैया की सेवायें प्रदान करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र महा सचिव की इस विशष प्रार्थना के उत्तर में भारत सरकार जनरल थिमैया की नियुक्ति पर सहमत हो गई।

**अफ्रीकी राष्ट्रीय नेता श्री एनकोमो**

*302. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीका के राष्ट्रीय नेता, श्री एनकोमो की रिहाई के सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार से किसी समय यह अनुरोध किया था कि वह दक्षिणी रोडेशिया की सरकार पर इसके लिये दबाव डाले;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन की ओर से कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ था; और

(ग) क्या भारत ने सैलिसबरी स्थित अपने उच्चायुक्त के द्वारा कोई अभ्यावेदन सीधे दक्षिणी रोडेशिया की सरकार को भी भेजा है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख). भारत सरकार ने श्री जोशुआ एनकोमो पर लगाए गए प्रतिबन्धों के प्रति यूनाइटेड किंगडम सरकार से अपनी चिंता और दुःख प्रकट किया है और उस से अनुरोध किया है कि वह दक्षिणी रोडेशिया सरकार से उन प्रतिबन्धों को हटाने और श्री एनकोमो के जीवन की सुरक्षा की गारंटी देने के लिये कहे। लेकिन, हमें यह सूचना दी गई कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार दक्षिणी रोडेशिया के आंतरिक मामलों के और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के विषय में अब जिम्मेदार नहीं है, और इसलिये वह कोई दखल देने की स्थिति में नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

**पाकिस्तान द्वारा गिलगित में सैनिक महत्व सम्बन्धी संचार व्यवस्था का विस्तार**

*303. **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री मा० ला० जाधव :**
**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री बासप्पा :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री बड़े :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री गुलशन :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में माल संभरण करने की भारतीय व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने तथा स्कारदू तथा गिलगित के बीच 156 मील लम्बी सड़क का निर्माण करने के हेतु पाकिस्तान चीन के सहयोग से युद्ध-विराम रेखा के बिल्कुल निकट गिलगित में सैनिक महत्व की संचार-व्यवस्था का विस्तार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) स्कारदू से गिलगित जाने वाले मार्ग समेत, युद्धविराम रेखा के निकट, गिलगित क्षेत्र में, पाकिस्तान युद्धनीतिक संचार सुविधाओं का विकास किए जा रहा है। तदपि इस मामले में चीन-पाकिस्तान सहयोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ख) आवश्यक पूर्वोपाय किये जा रहे हैं।

## भारी औद्योगिक परियोजनायें

*304. श्री वासुदेवन् नायर :
श्री चांडक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रियों को हाल ही में भेजे गये एक पत्र में उन्होंने यह सुझाव दिया है कि भारी औद्योगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करना स्थगित कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). यह देखा गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में जो भारी उद्योग प्रायोजनाएं शुरू की गई थीं, उनमें से कई प्रायोजनाओं क पूरा करने की प्रगति पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुई । यह विचार किया गया कि नई प्रायोजनाओं का काम हाथ में लेने से पहले यह अच्छा होगा कि इन प्रायोजनाओं पर ही सारा ध्यान केन्द्रित कर दिया जाय ताकि वे निश्चित रूप से जल्दी पूरी की जा सकें । इससे उपलब्ध साधनों का—सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि इस्पात, सीमेंट वगैरह का भी—अत्यंत किफ़ायत के साथ इस्तेमाल हो सकेगा । फिर भी, बोकारो जैसे राष्ट्रीय महत्व के कारखानों की योजनाओं में ढील नहीं दी जायगी ।

## डाक और तार बोर्ड

*305. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्तशासी निकाय के रूप में डाक और तार बोर्ड के कायकरण का कोई मूल्यांकन अथवा पुनरीक्षण किया गया है जैसा कि इसके गठन के समय आश्वासन दिया गया था

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का पुनरीक्षण अथवा मूल्याकंन किया गया है तथा क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो पुनरीक्षण कब किये जाने का विचार है , और

(घ) इस परिवर्तन से निश्चित रूप से क्या लाभ हुए हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) से (ग). इस विषय में, 26 नवम्बर, 1963 को लोक सभा में दिये गये प्रश्न सं० 204 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें बताया गया था कि संसद् की प्राक्कलन समिति (एस्टिमेट्स कमेटी) ने 1960–61 में, डाक और तार बोर्ड के कार्यकरण का अध्ययन किया था और इस की विभिन्न सिफारिशों की जाच में डाक और तार बोर्ड के कार्यकरण का पुनरीक्षण भी हो गया । इससे अलग कोई सामान्य पुनरीक्षण या मूल्यांकन नहीं किया गया ।

(घ) अतिरिक्त शकितयों और दायित्वों के प्रतिनिधान द्वारा डाक और तार बोर्ड अधिक प्रभावी बना दिया गया है । बोर्ड में विचार-विमर्श द्वारा महत्वपूर्ण मामलों में अब यह अधिक शीघ्र निर्णय कर सकता है ।

**चीन का नौसेना अड्डा**

*306. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के समाचार प्राप्त हुए हैं कि चीन हिन्द महासागर के क्षेत्र में एक नौसेना अड्डे का निर्माण कर रहा है अथवा ऐसा करने की सोच रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस परियोजना की कार्यान्विति के लिए चीन ने इण्डोनेशिया की सरकार का सहयोग प्राप्त किया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख). सरकार को कोई जानकारी नहीं है, कि चीन इण्डोनेशिया के सहयोग से, हिन्द सागर में नौसेना अड्डा बनाने का विचार कर रहा है ।

**लाटीटीला डूमाबारी क्षेत्र में पाकिस्तानियों की गतिविधि**

*307. **श्री स्वैल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान आसाम में कछार के लाटीटीला डूमाबारी क्षेत्र में अपनी ओर की सीमा पर युद्ध की तरह की तैयारी कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों ने सीमा के भारतीय भाग में भारतीय किसानों को धान की फसल बोने से रोक दिया है ; और

(ग) गत वर्ष गोलीकाण्ड में पाकिस्तान ने बलपूर्वक जो भारतीय भूमि दबाली थी क्या वह उससे वापस हट गया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) लाटीटीला डूमाबारी में पाकिस्तानियों द्वारा यौद्ध तैयारियां तरक्की पर हैं ।

(ख) संकेत शायद हल चलाने की ओर है, फसल काटने की ओर नहीं । 23 जुलाई, 1964 से दोनों ओर लाटीटीला के यथापूर्वस्थित क्षेत्र में कोई हल नहीं चलाए गए ।

(ग) जी नहीं । इस क्षेत्र में सीमा-बन्दी के लिए लिखा-पढ़ी जारी है ।

**सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग पद्धति**

*308. **श्री गु० सिं० मुसाफिर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा भारत के अन्य नगरों के बीच सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग पद्धति लागू कर दी गई है तथा की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के बाहर के एक सब्सक्राइबर से टेलीफोन के खम्भे पर लगे हुए पौट-हैंड से सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग पद्धति के अधीन बातचीत की जा सकती है और बिल सब्सक्राइबर को, जिसके नाम वह टैलीफोन नम्बर हो जिस पर बातचीत की गई है, भेज दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सब्सक्राइबर के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां । उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली दिल्ली–आगरा और दिल्ली–जयपुर के बीच पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी हैं। आशा है कि उसका

विस्तार कानपुर और लखनऊ तक छः महीने में और मेरठ तक लगभग एक वर्ष के भीतर कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग). जी हां। उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली के काल उन खंभों और बक्सों से किये जा सकते हैं जहां जमीन के नीचे बिछाये गए केबल तारों का अंत होता है और इस प्रकार किये गए काल उस उपभोक्ता के मीटर पर अंकित हो जाएंगे, जिसके टेलीफोन के साथ वह विशेष केबल-युग्म जुड़ा होगा। फिर भी उन खंभों और बक्सों में ताले लगे रहते हैं, जिन्हें सिर्फ़ अधिकृत विभागीय स्टाफ ही खोल सकता है। बिना किसी विशेष टेलीफोन व्यवस्था के बीच से ही काल करने के लिए किसी केबल-युग्म का प्रयोग करना भी आसानी से संभव नहीं है।

**डाक और तार कर्मचारियों के लिये रेलवे के पास**

*309. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग के किन श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सबडिविजनों/डिविजनों/पोस्टल सर्किलों तथा समस्त भारत के लिये उपलब्ध रेलवे कार्ड पास जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या ये पास अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम में जारी किये जाते हैं अथवा उन पर केवल उनका पदनाम होता है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है कि ये अधिकारी तथा कर्मचारी जब कर्त्तव्यपालन के लिये यात्रा न कर रहे हों तब इन पासों का दुरुपयोग न करें ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) उन डाक-तार अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सूची, जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा ड्यूटी पास देने का अधिकार दिया गया है, सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3192/64**]

(ख) इन पासों पर केवल पदनाम लिखे रहते हैं।

(ग) पासों का दुरुपयोग करने पर कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बड़े बड़े दफ्तरों में ये पास जिम्मेदार अधिकारियों की सुरक्षा में रखे जाते हैं और रेलवे कर्मचारी उनकी जांच कर सकते हैं।

**डाक और तार बोर्ड**

*310. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में डाक और तार बोर्ड के गठन में कुछ परिवर्तन किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या थे ;

(ग) गत एक वर्ष में डाक और तार निदेशालय में डिप्टी-डायरेक्टर जनरल तथा उससे ऊपर के कितने पदों का पुनः प्रवर्तन तथा सर्जन किया गया था ; और

(घ) इन पदों पर किस प्रकार नियुक्तियां की गई थीं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) सदस्य, डाक और तार बोर्ड (संभरण और उत्पादन), का जो अस्थायी-पद 19 अगस्त, 1963 से 29 फरवरी, 1964 तक की अवधि के लिये लाया गया था, २ दिसम्बर, 1963 से प्रसुप्तावस्था में रखा गया, और उसी तारीख से सदस्य (दूरसंचार परिचालन) के पद के धारक के

छुट्टी जाने के कारण इस पद को सदस्य (दूरसंचार परिचालन) के पद से संयुक्त कर दिया गया। बाद में, सदस्य (दूरसंचार परिचालन) के पद का धारक छुट्टी से नहीं लौटा, बल्कि 31 मार्च, 1964 से उसने सेवा से निवृत्त होना चाहा। उसके छुट्टी पर जाने की तारीख यानी 2 दिसम्बर, 1963 को जो व्यवस्था की गयी थी वही उसके सेवा-निवृत होने के बाद भी जारी रखी गयी और डाक और तार बोर्ड का कोई नया सदस्य नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि सदस्य (संभरण तथा उत्पादन) का अस्थायी-पद 29 फरवरी, 1964 से आगे नहीं बढ़ाया गया था।

(2) 19 अगस्त, 1963 से, जब कि सदस्य (संभरण तथा उत्पादन) के अस्थायी-पद का निर्माण किया गया, उप-महानिदेशक (टी) का पद प्रसुप्तावस्था में रखा गया था। 2 दिसम्बर, 1963 को जब सदस्य (संभरण और उत्पादन) का अस्थायी-पद प्रसुप्त अवस्था में रखा गया तो उप-महानिदेशक (टी) का पद पुनर्जीवित कर दिया गया। इसके बाद उप-महानिदेशक (टी) का पद बराबर बना रहा क्योंकि सदस्य (संभरण और उत्पादन) का पद 29 फरवरी, 1964 तक प्रसुप्त रहा और उस तारीख से आगे उसे बढ़ाया नहीं गया।

उपर्युक्त (1) और (2) के अधीन किये गये परिवर्तनों का निवल प्रभाव यह रहा कि 2 दिसम्बर, 1963 से वही स्थिति बनी रही जो कि 19 अगस्त, 1963 से पहले थी अर्थात् डाक और तार बोर्ड के सदस्यों और उप-महानिदेशकों के पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(3) उप-महानिदेशक के स्तर के विशेषकार्य-अधिकारी (नियमपुस्तक संशोधन) के एक अस्थायी-पद का निर्माण 29 फरवरी, 1962 से किया गया था और 30 नवम्बर, 1963 से इसे समाप्त कर दिया गया। भारतीय डाक सेवा का एक अधिकारी इस पद पर रहा।

(4) उप-महानिदेशक (संभरण और संधारण) का एक नया अस्थायी-पद 8 सितम्बर, 1964 से बनाया गया है। इसके साथ ही उप-मख्य-इंजीनियर का एक स्थायी-पद समाप्त कर दिया गया है।

(घ) उप-महानिदेशक और इससे उपर के स्तर के पदों की पूर्ति उस विभागीय-पदोन्नयन-समिति द्वारा तैयार की गयी चयन-सूची से की जाती है जिसका अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है। इन पदों की पूर्ति करने से पहले मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति का अनमोदन भी प्राप्त कर लिया जाता है।

## फ्रांसीसी न्यूज एजेन्सी द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

*311. **श्री हेम बरुआ**: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1964 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस लेख "फ्रान्स स्टेजिंग कम-बैक इन माइर्ड कम्बोडिया" की ओर दिलाया है जिसमें एक फ्रांसीसी न्यूज एजेन्सी की भारत-विरोधी प्रचार करने के कारण आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विदेशी न्यूज एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है जो हमारे इस आतिथ्य का दुरुपयोग कर रही है; और

(ग) क्या सरकार ने इसके द्वारा परिचालित ऐसे समाचारों के नमूने इकट्ठे किए हैं जिनमें भारत-विरोधी बातें हैं?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली के संबद्ध एजेंसी कार्यालय प्रमुख को सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार निहित प्रयोजन वाली अथवा भ्रम फैलाने वाली खबरों को अत्यन्त अप्रसन्नता की दृष्टि से देखेगी।

(ग) जब कभी हमारे विदेश-स्थित मिशनों से विदेशी अखबारों में छपने वाली भारत-विरोधी टिप्पणियां प्राप्त होती हैं, तब भारत सरकार उन पर ध्यान देने का प्रयत्न करती है।

## बोरियाबारी गांव पर अवैध कब्जा

*312. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने बोरियाबारी गांव को हमारे हवाले करने तथा बल संबंधी सैनिक नियमों का पालन करने के संबंध में हमारे अभ्यावेदनों का उत्तर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी उत्तर की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है तो बोरियाबारी गांव पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को समाप्त करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख) 1 जून 1964 को लोक-सभा में बोरियाबारी पर जो वक्तव्य दिया गया था उसके बाद, बोरियाबारी गांव भारत को हस्तांतरित कर देने के बारे में पाकिस्तान सरकार को, एक ज्ञापन दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है।

(ग) भारत सरकार पाकिस्तान सरकार पर बराबर इस बात के लिए जोर देती रहेगी कि वह भूमि नियमों (ग्राउन्ड रूल्स) को माने और इन नियमों के अनुसार बोरियाबारी गांव भारत को हस्तांतरित कर दे।

## ट्राम्बे में अणु शक्ति वैज्ञानिक की मृत्यु

*313. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जुलाई, 1964 को अथवा उसके आसपास किसी तारीख को अणु शक्ति आयोग में नियुक्त एक युवा वैज्ञानिक की बम्बई में एक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी दुखद मृत्यु के क्या कारण थे ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--3193/64]**

## पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय

*314. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री घवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जून, 1964 को उत्तर बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले के एक सीमावर्ती गांव से पाकिस्तानियों, जिनमें पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक भी शामिल थे, ने 9 भारतीयों का अपहरण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनको भारत में वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) 28 जून, 1964 को 10 भारतीय राष्ट्रिक भूल से कुछ गज़ पाकिस्तानी प्रदेश में घुस गए, जहां उन्हें पूर्व पाकिस्तानी राइफलधारी सिपाहियों ने पकड़ लिया, ये लोग जिला जलपाइगुड़ी, थाना राजगंज में नारायण जोट नामक गांव की सीमा सड़क के सहारे ट्रक में बैठकर जा रहे थे। भारतीय राष्ट्रिक, वह ट्रक और बहुत-सा सामान, जिसे वे ले जा रहे थे, 10 जुलाई, 1964 को लौटा दिए गए और बाकी कुछ चीजें भी 16 जुलाई, 1964 को लौटा दी गईं।

## आसाम के पहाड़ी जिलों के लिए स्वायत्तता

*315. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** 4 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी जिलों के लिए स्वायत्तता संबंधी प्रस्तावित आयोग के गठन तथा निर्देश पदों के बारे में सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) इन पर अभी विचार हो रहा है।

## अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

*316. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वर्ष होने वाले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या भाग लेने वाले देशों की सूची अंतिम रूप से बना ली गई है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) द्वितीय अफ्रो-एशियाई सम्मेलन की तैयारी मीटिंग के समय सम्मेलन का प्रबंध करने के लिए 15 देशों की एक स्थायी समिति मनोनीत की गई थी। चूंकि इस समिति की बैठक नहीं हुई है, इसलिए स्थिति वैसी ही है जैसी कि तैयारी मीटिंग के बाद थी।

(ख) जी नहीं। इसके लिए अभी काफी समय पड़ा है क्योंकि मार्च 1966 में सम्मेलन के होने की संभावना है।

## एक्सपैरिमेंट्स इन इन्टरनेशनल लिविंग

*317. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा अमरीका के बीच "एक्सपैरिमेंट्स इन इन्टरनेशनल लिविंग" के कार्यक्रम को कौन विनियमित करता है ;

(ख) क्या भारत से जा रहे विद्यार्थियों को छांटने के लिये कोई परीक्षण समिति है ; और

(ग) चुनाव की कसौटी क्या है?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) "एक्सपेरिमेंट्स इन इन्टरनेशनल लिविंग" की भारतीय शाखा कई देशों के साथ यात्रा-विनिमय का प्रबंध करती है ; इनमें संयुक्त राज्य भी सम्मिलित है।

(ख) इस संगठन ने प्रादेशिक और राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है जिसमें कुछ प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है।

(ग) 18 से 30 वर्ष तक की आयु के नवयुवक और नवयुवतियां जिनमें शिक्षा संबंधी पर्याप्त योग्यता हो।

## हिन्द महासागर में अमरीकी अड्डे

*318. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने अड्डे बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य से ; और

(ग) क्या अमरीका सरकार ने इस संबंध में अपना निर्णय भारत सरकार को बताया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के प्रवक्ता के वक्तव्य के अनुसार अमरीका और और ब्रिटेन की सरकारें हिन्द महासागर क्षेत्र में एक सम्मिलित रेडियो संचार प्रसार केन्द्र की स्थापना के लिए बातचीत कर रही हैं।

## लंका में भारतीय व्यापारी

*319. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री प्र० च० बरुआ :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री कोल्ला वेंकैया :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री बै० ना० कुरील :**
**श्री स्वैल :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लंका सरकार द्वारा हाल में ही किए गए इन निर्णयों के परिणामों का अध्ययन किया है कि भारतीयों तथा अन्य व्यक्तियों, जो लंका के नागरिक नहीं हैं, को द्वीप में थोक तथा खुदरा व्यापार करने से रोका जाए ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि लंका में भारतीयों के हितों की रक्षा हो तथा आवश्यक होने पर उनकी आस्तियों को भारत में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाए ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). श्रीलंका के गवर्नर-जनरल ने राजगद्दी से 2 जुलाई 1964 को जो अभिभाषण किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार राज्य व्यापार संगठन (स्टेट ट्रेडिंग आर्गेनाइजेशन) स्थापित

करना चाहती है जो खास-खास वर्गों के माल का आयात अपने हाथ में ले लेगा और अन्य वर्गों के माल के आयात का तथा निर्यात-व्यापार का श्रीलंकीयंकरण कर दिया जाएगा। लेकिन, यह नहीं मालूम कि इस नीति पर कब और कैसे अमल किया जाएगा। जब इस नीति पर अमल करने का विवरण मालूम हो जाएगा तब श्रीलंका में भारतीय व्यापारियों के न्यायोचित हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

**भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश**

*320. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री विशनचन्द्र सेठ :**
**श्री धवन :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री नि० र० लास्कर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तानी राइफलमनों के सहारे कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन 1 जून 1964 को बेरूबाड़ी के दक्षिण में एक कस्बे 'बालीकोग्राम' में अनधिकृत रूप से घुस आये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कुछ सम्पत्ति लूट ली थी तथा उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को मार डाला था ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को इस संबंध में कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). 31 मई 1964 को इस तरह की एक घटना हुई थी जब कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिक जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) जिले के कोतवाली थाने के अन्तर्गत बानाग्राम नाम के भारतीय प्रदेश में घुस आए थे और एक भारतीय राष्ट्रिक का बैल हांक ले गए थे। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं मिली।

(ग) और (घ). पाकिस्तनियों ने 1 जून 1964 को वह बैल लौटा दिया जिसे वे हांक ले गए थे।

**विद्यार्थियों के लिये पारपत्र**

921. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये विदेशों में जाने के लिये (देश वार) कितने विद्यार्थियों ने अब तक प्रार्थना पत्र भेजे हैं ;

(ख) कितने प्रार्थना पत्र मंजूर किये गये और कितने पारपत्र जारी किये गये; और

(ग) कितने प्रार्थना पत्र नामंजूर किये गये और कितने अभी लम्बित पड़े हैं?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) 1-1-1964 से 31-7-1964 तक 1304 प्रार्थना पत्र आये थे। देशवार ब्योरा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| आस्ट्रेलिया | 5 |
| कैनेडा | 44 |
| डेन्मार्क | 3 |
| फ्रांस | 11 |
| जर्मनी | 34 |
| इराक | 1 |
| जापान | 3 |
| नार्वे | 1 |
| रुमानिया | 1 |
| स्विटजरलैंड | 1 |
| संयुक्त अरब गणराज्य | 1 |
| इन्गलैंड | 213 |
| अमरीका | 984 |
| रूस | 1 |
| यूगोस्लोविया | 1 |
| | 1304 |

(ख) 1245

| | |
|---|---|
| (ग) अस्वीकृत | 5 |
| लम्बित | 54 |

## प्रतिरक्षा अधिकारियों के विदेशों के दौरे

**922. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1963 से 31 जुलाई, 1964 तक की अवधि में उनके मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विदेशों के दौरों में कितने सैनिक तथा असैनिक अधिकारी गये थे;

(ख) इन दौरों का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) 1 नवम्बर, 1963 से 31 जुलाई, 1964 के बीच की अवधि में 51 सैनिक अधिकारियों और 13 असैनिक अधि-

कारियों ने प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्यों के रूप में विदेशों का दौरा किया। जिन देशों का दौरा किया गया वे इस प्रकार हैं:

| | |
|---|---|
| अर्जेन्टाइना | स्विट्जरलैंड |
| कैनेडा | स्वेडन |
| डेन्मार्क | संयुक्त अरब गणराज्य |
| फिन्लैंड | इन्गलैंड |
| फ्रांस | अमरीका |
| इराक | रूस |
| इटली | पश्चिम जर्मनी |
| स्पेन | यूगोस्लाविया |

(इसमें वे अधिकारी शामिल नहीं हैं जिनको प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजा गया)।

(ख) प्रतिरक्षा सामग्री, उपकरणों और पशुओं की खरीद/प्राप्ति/निर्माण के संबंध में, सरकारी मिशनों के सदस्यों के रूप में तकनीकी चर्चाओं के लिये और सम्मेलनों/गोष्ठियों, आदि में भाग लेने के लिये ये दौरे किये गये।

(ग) लगभग 1,22,000 रु०।

**पाकिस्तानियों द्वारा भारतीयों का अपहरण**

923. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1961, 1962 और 1963 में जो भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय प्रदेश से उठा कर ले जाये गये थे क्या उनको इस बीच छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनको छुड़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं तथा उठायेगी?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) 1961-63 में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा जो भारतीय राष्ट्रजन भगा कर ले जाये गये थे उनमें से बहुत से व्यक्ति भारत वापस आ चुके हैं। जो भारतीय राष्ट्रजन भगा कर ले जाये गये थे उनमें से बहुत से व्यक्ति भारत वापस आ चुके हैं। जो भारतीय राष्ट्रजन अभी नहीं छोड़े गये हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारतीय प्रदेश से उठाये गये व्यक्ति के प्रत्येक मामले पर आधारभूत नियम करार के उपबन्धों के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ लिखा पढ़ी की जाती है। अपहरित भारतीय राष्ट्रजनों की विमुक्ति के लिये किसी विशेष अवस्था पर राजनयिक स्तर पर भी कार्यवाही की जाती है।

**उड़ीसा में डाकघर**

924. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
**श्री धुलेश्वर मीना** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 1964 को उड़ीसा में कितने (एक) शाखा डाकघर (दो) उप-डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर थे;

(ख) शाखा डाकघर खोलने के लिये उड़ीसा सरकार से प्राप्त कितने प्रस्ताव अभी लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) (एक) शाखा डाकघर : 4,046

(दो) उप डाकघर : 374

(तीन) ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन घर जहां से दूर के स्थानों पर टेलीफोन किया जा सके : 196

(ख) और (ग). शाखा डाक घर खोलने के 127 प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है क्योंकि उनके संबंध में डाकघरों के अधीक्षकों से लिखा पढ़ी चल रही है।

## उड़ीसा में टेलीफोन के कनेक्शन

925. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1964 को उड़ीसा में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिये कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे : और

(ख) शीघ्र कनेक्शन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) 1545

(ख) एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में 'केबल' बिछाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

## उड़ीसा के डाकघरों में रुपया जमा करना

926. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **संचार** मंत्री 21 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1964 तक छोटी बचत आंदोलन की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में कुल कितना रुपया जमा था ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: 1 फरवरी, 1964 से 31 जुलाई, 1964 तक उड़ीसा के समस्त डाकघरों में विभिन्न विनियोजनों में कुल 1,90,03,042 रु० जमा था और 31 जुलाई, 1964 तक उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में कुल 20,63,89,533 रु० जमा था।

**आकाशवाणी दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी**

927. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1964 को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्टाफ आर्टिस्ट और कर्मचारी थे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :**

| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित आदिम जाति |
|---|---|---|
| स्टाफ आर्टिस्ट | 5 | |
| कर्मचारी . . . . . | 39 | 1 |

**प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजे गये सैनिक अधिकारी**

928. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्रीमती लक्ष्मीबाई :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1964 में प्रशिक्षण के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के कितने अधिकारियों को विदेशों में भेजा गया ; और

(ख) वे किन किन देशों को भेजे गये ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) 46 ।

(ख) फ्रांस, इंगलैण्ड और अमरीका ।

**राजस्थान में रिक्त स्थान**

929. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं में कुल कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये ; और

(ख) 30 जून, 1964 तक विभिन्न रोजगार दिलाऊ दफ्तरों द्वारा इन स्थापनाओं में कितने रिक्त स्थानों को भरा गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख)

| क्षेत्र | जनवरी–जून, 1964 में अनुसूचित किये गये रिक्त स्थानों की संख्या | जनवरी–जून, 1964 में भरे गये स्थानों की संख्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| सरकारी | 13,258 | 8,171 |
| गैर सरकारी . . . . . | 1,099 | 224 |

## तार प्रपत्र

930. श्री राम हरख यादव
श्री बसवन्त :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में नये डिजाइन के तार प्रपत्र चलाना चाहती है ;

(ख) नये प्रपत्रों के उपयोगिता और सम्भाव्यता के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ; और

(ग) उन्हें कब चालू किया जायेगा ।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) पहले सन्देश अलग प्रपत्र पर होता था और उसे अलग लिफाफे में बन्द किया जाता था जिस पर पता दिया जाता था परन्तु इस प्रपत्र में सन्देश और तार पाने वाले के पते दोनों के लिये व्यवस्था होगी और इसको इस प्रकार मोड़ा जा सकेगा कि पता ऊपर आ जाये और सन्देश अन्दर आ जाये । इससे लिफाफों का खर्चा हट जायेगा और लिफाफों पर पता उतारने का अतिरिक्त समय और परिश्रम बच जायेगा और किसी प्रकार की कमी रहने का भय नहीं रहेगा ।

(ग) नये प्रपत्र 2 अक्तूबर, 1964 नई दिल्ली में जारी किये जायेंगे और तत्पश्चात् धीरे धीरे अन्य स्थानों तक भी इनका विस्तार किया जायेगा ।

## बरागनिया में टेलीफोन एक्सचेंज

131. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सीतामाढ़ी सबडिवीजन में बैरागनिया में एक टेलीफोन एक्सचेंज और भुटाही में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कब खोले जायेंगे ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां ।

(ख) (एक) आशा है कि बैरागनिया में अगले वर्ष एक्सचेंज खुल जायेगा ।

(दो) भूटाही में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि इससे विभाग का बड़ा नुकसान होता है । तथापि यदि कोई इस होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिये राजी हो तो सार्वजनिक टैलीफोन घर खोला जा सकता है ।

**केरल में मनी आर्डर के प्रपत्रों की कमी**

932. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अनेक डाकघरों में तार और मनीआर्डर के प्रपत्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें ये प्रपत्र कई महीनों से नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रपत्रों को उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**प्रतिरक्षा कर्मचारियों को विभागीय कमीशन का दिया जाना**

933. **श्री रा० गि० दवे** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रतापूर्व आई० ए० सी० सी० क्लर्कों को, जिन्हें अब ए० एस० सी० (एस० डी०) कहा जाता है, विभागीय कमीशन दिया जाता था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों को इस समय ऐसी कोई पदोन्नति नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के लिये बहुत सीमित अवसर है ; और

(घ) यदि हां, तो इस श्रेणी के प्रतिरक्षा कर्मचारियों के भविष्य में पदोन्नति के अधिक अवसर देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी हां । आई० ए० सी० सी० में लड़ाकू भारतीय कर्मचारी बहुत छोटी संख्या में थे और उनकी पात्रता और उपयुक्तता के आधार पर उन्हें केवल तदर्थ विभागीय कमीशन दिये गये थे ।

(ख) और (ग) तदर्थ विभागीय कमीशन देने का पुराना तरीका अब बन्द कर दिया गया है । 1953 से स्पेशल लिस्ट केडर में स्थायी नियमित कमीशन देने की पद्धति लागू है । इस श्रेणी में अन्य बातों के साथ साथ क्वार्टर मास्टर और रिकार्ड अफसरों के काफी पदों की नियुक्तियां की जाती हैं । पात्र तथा उपयुक्त क्लर्कों को, जिनमें ए० एस० सी० (एस० डी०) के लिपिक भी शामिल है; इन नियुक्तियों के लिये स्पेशल लिस्ट कमीशन्स की मंजूरी के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### सैनिक कर्मचारियों को पदक्रम वेतन

934. श्री रा० गि० दुबे : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना के कमाण्ड्स क्षेत्रों और उपक्षेत्रों के कर्मचारी मुख्यालयों में कार्य करने वाले क्लर्क कोटि [ए० एस० सी० (एस० डी०)] के कर्मचारियों को नवीन वेतन संहिता के अन्तर्गत कोई पदक्रम वेतन नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवर्ग के सैनिक कर्मचारियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 जुलाई, 1947 से जो नवीन वेतन संहिता लागू की गई थी उसमें वेतन की समेकित दरें निर्धारित की गई थीं और वेतन की ऐसी मदें और जैसे कि उपक्रम वेतन, व्यावसायिक वतन, अतिरिक्त कार्य वेतन आदि जो कि पुरानी वेतन सहिता के अधीन देय थीं वह क्लर्कों को मिला कर सभी सैनिक कर्मचारियों के लिये समाप्त कर दी गई थीं । नई वेतन संहिता की वेतन की दरों के अनुसार वतन के इन मदों को फिर से लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

### सैनिक शिक्षा प्रदर्शिनी

935. श्री राम सेवक यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी नवम्बर में राजधानी में सैनिक शिक्षा की प्रदर्शिनी लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावित प्रदर्शिनी की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह प्रदर्शिनी सैनिक शिक्षा सम्मेलन के समय की जायेगी और इसका उद्देश्य शिक्षा और उससे सम्बन्धित मामलों में सेना के कार्यकलापों को प्रदर्शित करना है । सिपाहियों को दी जाने वाली प्रविधिक तथा गैर-प्रविधिक शिक्षा, सेना छात्रों को कमीशन प्राप्त करने से पूर्व दी जाने वाली शिक्षा, सेना के सांस्कृतिक, ललित कलाओं, हस्तशिल्प और भित्ति-चित्रकारी सम्बन्धी कार्यकलापों तथा सैनिक संगीत के महत्व को भी इसमें प्रदर्शित किया जायेगा । आम जनता भी इस प्रदर्शिनी को देख सकेगी ।

### जोधपुर का आकाशवाणी केन्द्र

936. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 2 दिसम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न 875 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर में रेडियो के रिले केन्द्र की स्थापना में विलम्ब हो गया है क्योंकि सरकार उसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं खोज सकी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) उपयुक्त स्थान की अब व्यवस्था हो गई है । प्रसारण उपकरण केन्द्र स्थल पर पहुंच गया है और उसका प्रतिष्ठापन कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

**Exhibition of Pandit Nehru's Photographs at World Fair**

937. **Shri M. L. Dwivedi :**
**Shrimati Savitri Nigam :**
**Shri Subodh Hansda :**
**Shri S. C. Samanta :**
**Shri Rameshwar Tantia :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Bishanchander Seth :**
**Shri B. P. Yadava :**
**Shri Dhaon :**
**Shri Vishwa Nath Pandey :**
**Shri Ram Harkh Yadav :**
**Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether there was a proposal to hold an exhibition of photographs of late Pt. Jawaharlal Nehru in the New York World Fair ;

(b) Whether the said exhibition has been held ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of External Affairs** (Shri **Swaran Singh**) : (a) and (b). Government was proposing to hold an exhibition dipicting the life and works of Shri Jawaharlal Nehru in the World Fair at New York. However, owing to difficulty in obtaining the required covered space in the Fair for the pericd required and beaucse it was not possible to get the exhibition ready in such a short time, it has been decided to hold similar exhibition in U.K., U.S.A. & U.S.S.R —and possibly in other places—early next year.

(c) Does not arise.

**क्रिकेट के चल-वृतान्त का प्रसारण**

939. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री बड़े :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री दाजी :**
**श्री ही० ना० मुकर्जी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड ने यह मांग की है कि वृत्तकारों द्वारा क्रिकेट के चल-वृतांत का प्रसारण किये जाने के लिये बोर्ड को कुछ स्वामित्व दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उनकी निश्चित मांग क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) से (ग). भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड ने कोई विशिष्ठ मांग नहीं की है। बोर्ड के अध्यक्ष यह सुझाव दिया था कि आकाशवाणी द्वारा चल-वृत्तांत का प्रसारण करने के कारण लोगों के कम संख्य में खेल खने आने से बोर्ड को जो हानि होती है उसके लिये कुछ प्रतिकर देने की सम्भावना पर आकाशवाणी द्वारा विचार किया जाये। सरकार इस सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ है और बोर्ड के अध्यक्ष को तदानुसार सूचित कर दिया गया है।

## पैकेट सी–119 परिवहन विमान

940. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के पैकेट सी-119 परिवहन विमान के लिये हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट लिमिटेड ने एक अतिरिक्त जैट इंजन बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस इंजन से क्या मुख्य प्रयोजन सिद्ध होगा ; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट लिमिटेड ने एक ऐसी अधिष्ठापन प्रणाली निकाली है जिस से उस कारखाने में निर्मित औरफियस जैट इंजन फैयरचाइल्ड पैकेट एयरफ्रेम में लगाया जा सके ताकि अधिक ऊंचाई पर उड़ान में विमान को अतिरिक्त शक्ति मिल सके।

(ग) अनुमानित लागत 5.78 लाख रुपये प्रति इंजन है।

## आयुध कारखाने

941. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1964 में कलकत्ता में हुई औद्योगिक परिषद की बैठक में आयुध कारखानों के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये थे; और

(ख) ये निर्णय कहां तक क्रियान्वित किये गये हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे :—

(एक) आयुध कारखानों में खंड-कार्य पद्धति के संचालन का पुनर्विलोकन करना;

(दो) कि पुरस्कारों के लिये कर्मचारियों का चयन करने के हेतु प्रत्येक कारखाने में एक समिति बनाई जाये। कर्मचारियों का चयन करने के हेतु कसौटी भी निर्धारित की गई थी;

(तीन) जहां तक व्यवहार्य हो सके सभी कारखानों में सुविधायें तथा कल्याणोपाय समान होने चाहियें और इस कार्य की देखभाल मख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिय।

(ख) जहां तक निर्णय (एक) का सम्बन्ध है, जो समिति नियुक्त की गई थी उसके प्रतिवेदन पर महाप्रबन्धकों के परामर्श में विचार किया जा रहा है। अत्यावश्यक संधारण कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस देने की योजना भी मंजूर कर ली गई है। अन्य दो सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं।

### समुद्री बेड़ा

942. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे समुद्री बड़े का एक बहुत बड़ा भाग तेजी के साथ अप्रचलित किस्म का होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाजों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख). भारतीय नौ सेना के बहुत से बड़े-बड़े जहाजों के स्थान पर नये जहाजों की व्यवस्था की जानी है। इसके लिये योजनायें विचाराधीन हैं।

### पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका को सद्भावना मण्डल

943. **श्री सरेन्द्र पाल सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सादिक अली खान तथा जैदी सद्भावना मंडलों ने, जिन्होंने कि पत अप्रैल तथा मई में कुछ पश्चिम एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का दौरा किया था, भारत सरकार को अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं जिनमें उन्हें विदेशों में भारत के प्रभाव के सम्बन्ध में अपनी धारणायें व्यक्त की हैं; और

(ख) इन प्रतिवेदनों की मुख्य-मख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) दोनों सदभावना मण्डलों ने जिन देशों का दौरा किया था उन में यह पाया कि भारत तथा उसकी समस्याओं में लोग बहुत रुचि लेते हैं तथा इनके प्रति उनकी सहानुभूति है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने जिन आन्तरिक और वैदेशिक नीतियों का अनुसरण किया है उनकी उन देशों के लोगों ने प्रशंसा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने यह देखा कि प्रविधिक तथा आर्थिक सहयोग देकर और अन्य ऐसे ठोस कदम उठा कर उन देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को मजबूत किया जा सकता है।

सरकार को इस स्थिति की जानकारी पहिले ही से है और उस ने इन सुझावों पर उचित ध्यान दिया है। सभी मित्र देशों के साथ अधिक निकट सम्बध बढ़ाने के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है।

**विद्रोही नागाओं की कार्यवाइयां**

944. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जून, 1964 को रात्रि को ट्यूनसांग जिले में किफरा और पुंगड़ो के बीच के एक झूलते पुल (ससपैन्शन ब्रिज) को विद्रोही नागाओं ने उड़ा दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने 4 जून, 1964 को मोकोकचुंग क्षेत्र से तीन अध्यापकों का अपहरण कर लिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस माबले में क्या कार्यवाही की गई ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी हां। ट्युनसांग के लगभग 30 मील दक्षिण के क्षेत्र में किफिड़े से पुंगड़ो को जाने वाले रास्ते पर, किफिड़े से लगभग 6 मील की दूरी पर, बने एक झूलते पुल (ससपैन्शन ब्रिज) को नागा विद्रोहियों ने 3 जून, 1964 को नष्ट कर दिया था।

(ख) गैर-सरकारी एम० ई० स्कूलों के तीन अध्यापकों का एका--सागामी (मोकोकचुंग जिला) से 8 जून, 1964 को अपहरण कर लिया गया था, 4 जून, 1964 को नहीं।

(ग) पुलिस ने ये मामले दर्ज कर लिये हैं और उन की जांच की जा रही है।

**गुलमर्ग के ऊपर अज्ञात विमान**

945. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री वीरप्पा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में 29 जून, 1964 को गुलमर्ग के ऊपर दो अज्ञात जैट विमान उड़ते देखे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना के ब्यौरे क्या हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी, नहीं। वे हमारे अपने ही विमान थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## दूर संचार उपकरण

946. श्री प्र० च० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (विश्व बैंक की एक सहायक संस्था) के साथ डाक और तार विभाग को 3 करोड़ 30 लाख डालर के एक ऋण के दिये जाने और उस से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में 6 जुलाई, 1964 को जिस करार पर हस्ताक्षर किये गये थे उसकी शर्तें क्या हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): ऋण के मूलधन का भुगतान अर्द्धवार्षिक किश्तों में किया जायेगा। 15 जनवरी, 1975 से ले कर 15 जुलाई, 2014 तक प्रत्येक 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को एक किश्त देय होगी। प्रारम्भ से ले कर 15 जुलाई, 1981 को दी जाने वाली किश्त तक प्रत्येक किश्त में मूलधन का $\frac{1}{2}$ प्रतिशत रुपया दिया जायगा और इस के पश्चात प्रत्येक किश्त में मूलधन का $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत रुपया दिया जायेगा।

इस के अतिरिक्त ऋण के लिये गये मूलधन पर तथा समय-समय पर अवशिष्ट राशि पर प्रतिवर्ष $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की दर से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था को सेवा शुल्क का भगतान किया जायेगा। सेवा शुल्क प्रत्येक वर्ष में दो बार 15 जनवरी, और 15 जुलाई को देय होगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन डाक और तार विभाग की परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित वस्तुओं की लागत का भुगतान करने के लिये इस ऋण की राशि का उपयोग किया जायेगा। डाक और तार विभाग की कर्मशालाओं, इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटड और हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटड के लिये कच्चे माल और पुर्जों के आयात के मूल्य का भुगतान करने में इस ऋण का विशेष रूप से उपयोग किया जायेगा।

## मिग विमान दुर्घटनायें

947. श्री हेमराज :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 में और 1964 में अब तक विमान दुर्घटनाओं में कितने मिग विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं अथवा नष्ट भ्रष्ट हो गये हैं; और

(ख) क्या उन के स्थान पर नये विमान लाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) दो।

(ख) जी हां।

## डाक विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी

948. श्री हेमराज : क्या संचार मंत्री 10 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टरों के पदों पर डाक भत्ते पर नियुक्त भूतपूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति वेतन में अस्थायी रूप से वृद्धि करने के प्रश्न का पुनर्विलोकन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे भूतपूर्व कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति वेतन में अस्थायी रूप से वृद्धि करने का निश्चय किया गया है ।

**डाक विभाग के कर्मचारियों की वर्दियां**

**949. श्री हेम राज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग के कर्मचारियों की वर्दियों के लिये जो कपड़ा दिया गया है वह बहुत ही घटिया किस्म का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस के स्थान पर अच्छी किस्म की खादी जीन देगी ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जहां तक सर्दियों की वर्दीयों का सम्बन्ध है उनके लिये मिले जुले खाकी और बादामी रंग की सर्ज दी जाती है जो कि बहुत अच्छी किस्म की होती है । गर्मियों की वर्दियों के लिये मिनरल खाकी रंग की खादी दोसूती का उपयोग किया जाता है ।

(ख) सर्दियों की वर्दियों के लिये काम में लाई जाने वाली खाकी सर्ज की किस्म में परिवर्तन करने का विचार नहीं है । खादी कपड़े के सम्बन्ध में, खादी आयोग से कहा गया है कि किस्म में सुधार किया जाये और उसे अधिक मजबूत बनाया जाये ।

**डाक डिवीजन, पंजाब**

**950. श्री हेम राज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब मण्डल के वर्तमान डाक डिवीजनों के सीमा निर्धारण से प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब के पोस्ट मास्टर जनरल अथवा डाक डिवीजन सलाहकार समितियों से सरकार को कोई ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कि जिला प्रशासनिक सीमाओं के अनुसार उनका पुनः सीमा निर्धारण किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भारत में केनिया का उच्चायुक्त**

**951. श्री श्रीनारायण दास** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत में एक उच्चायुक्त नियुक्त करने के अपने आश्वासन को कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उस सरकार ने ऐसा करने का विचार त्याग दिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). केनिया सरकार ने अभी तक भारत में कोई उच्चायुक्त नियुक्त नहीं किया है। तथापि, यह आशा की जाती है कि केनिया सरकार निकट भविष्य में अपना एक राजदूत नियुक्त करेगी।

**सोंग आफ दी ग्रेप**

529. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री नरसिम्ह रेड्डी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदिरा को तैयार करने से सम्बन्धित 'सोंग आफ दि ग्रेप' नामक एक चलचित्र जो कि पुर्तगाल में तैयार किया गया है हाल ही में नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी ऐसे देश के चलचित्रों को प्रदर्शित करने की अनुमति है जिस के साथ हमारे कोई भी राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं। 17 जुलाई, 1964 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में पुरानी दिल्ली में जो 'सोंग आफ दि ग्रेप' नामक फिल्म प्रदर्शित की गई थी वह पूरी तरह से पुर्तगाल में तैयार नहीं की गई थी अपितु उस की एक साइड रील की शूटिंग वहां पर की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सेना में सेवानिवृति आयु**

953. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु समान है; और

(ख) क्या सैनिक शिक्षा कोर के अधिकारियों को उसी आयु तक कार्य करने दिया जाता है जिस आयु तक कि अन्य कोरों के अधिकारी करते हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं, सैनिक शिक्षा कोर के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आम आयु 55 वर्ष है। न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग और सामान्यतया स्पेशल लिस्ट केडर के अधिकारियों के मामले में भी सेवानिवृत्ति की आयु यही है। अन्य अधिकारियों के मामलों में यह उन की कोटियों (रैन्कों) के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है और निम्नतम कोटियों (रैन्कों) में आयुद्ध (आर्मस) कोर में यह 48 वर्ष है। (जो कि 31 दिसम्बर, 1965 तक व्यक्तिगत मामलों में 50 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है), सर्विसेज कोर में सामान्यतया यह 52 वर्ष है और चिकित्सा (मैडिकल) दन्त (डेन्टल) और पशुचिकित्सा (वेटेरिनरी) कोरों में तथा मिलिटरी फार्मस् सर्विस में यह 55 वर्ष है।

**जूनियर कमिशन प्राप्त पदाधिकारी**

954. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों तथा अन्य सैनिकों में विभिन्न वेतन-क्रम और श्रेणियां बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन वर्गों और श्रेणियों को समाप्त करने के मामले पर विचार किया जा रहा है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** (क) जी हां ।

(ख) सेना में अफसरों से नीचे के वेतन क्रमों का वर्तमान ढांचा 1947 में युद्धोत्तर वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था । समिति का यह विचार था कि सभी सैनिकों को आठ वर्गों में बांट कर उन की वृत्ति के अनुसार उन का श्रेणीकरण कर दिया जाये और वर्ग में प्रत्येक श्रेणी को उपयुक्त वेतन क्रम दिया जाना चाहिये । तदनुसार जूनियर कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों और सैनिकों को उन के कार्यानुसार आठ वेतन क्रमों में से एक में रखा जाता है और प्रत्येक वेतन वर्ग में टैक्निकल परीक्षायें पास करने, उन की योग्यताओं और सेवावधि पूरी कर लेने पर (जहां कहीं ऐसी शर्त रखी गई हो) विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है जो कि वर्ग की निम्नतम श्रेणी में प्रवेश पाने और उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति प्राप्त करने के लिये निर्धारित की गई हैं ।

(ग) जी नहीं ।

**955. Sari Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether any rules have been framed or any principle laid down regarding the inclusion of Members of Parliament in various Committees set up by Government ;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) whether it has been laid down that a Member of Parliament cannot remain a member of a particular Committee for more than a specific number of years ?

**The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) :** (*a*) No.

(*b*) *and* (*c*) Do not arise.

## तिकोनिया में टेलिफोन एक्सचेंज

956. **श्री बालगोविन्द बर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के तिकोनिया (खेड़ी) स्थान पर एक टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये सामान पहुंच गया है; और

(ग) कार्य कब तक शुरू होने की आशा है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) शीघ्र ही तिकोनिया में एक ए० पी० सी० ओ० का उद्घाटन किया जाने वाला है । अगले वर्ष एक्सचेंज चालू हो जायेगा ।

भारत-नेपाल टेलिफोन सम्पर्क

957. श्री प्र० के० देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नैपाल के बीच एक नया टेलोफोन सम्पर्क स्थापित किया गया है; और

(ख) क्या यह नैपाल में दूर संचार व्यवस्था से सम्बद्ध है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, नहीं :

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यासालैंड के साथ राजनयिक सम्बंध

958. श्री प्र० के० देव : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में स्वतन्त्र हुए न्यासालैंड को मान्यता दे दी है और उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं;

(ख) क्या न्यासालैंड में कोई भारतीय हित है; और

(ग) वहां कितने भारतीय रह रहे हैं और उन का व्यवसाय क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार की यह सामान्य नीति है कि वह अफ्रीकी स्वतन्त्र देशों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण सम्पर्क बढ़ाने के लिये उत्सुक है मालवी में भारतीय उद्भव के लगभग 10,800 व्यक्ति रह रहे हैं। वे अधिकतर व्यापार करते हैं अथवा अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं ।

पाकिस्तान जाने वाले सिख तीर्थयात्री

959. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में कितने सिख यात्री पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित पवित्र स्थान पंजा साहेब गुरुद्वारे के तीर्थ के लिये गये; और

(ख) भारत सरकार ने उन्हें क्या सुविधायें दीं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1964 में अब तक 627 यात्री पंजा साहेब जा चुके हैं ।

(ख) यात्रियों के लिये विशेष पारपत्रों और रेलवे का प्रबन्ध करने के लिये अतिरिक्त प्रत्येक यात्री को पाकिस्तान में अपना खर्च चलाने के लिये 40 रुपये प्रति व्यक्ति दिये जाते हैं।

जितना समय तीर्थ यात्री पाकिस्तान में रहते हैं उतना समय कराची स्थित भारतीय उच्च आयोग का एक विशेष अधिकारी उन के साथ रहता है।

तीर्थ यात्रियों के रहने और खाद्य वस्तुयें उचित मूल्य पर, उपलब्ध करने का प्रबन्ध पाकिस्तान सरकार करती है ।

## Supply of Transport Trucks to Nepal.

**960. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government have supplied trucks to Nepal to carry essential goods from Raxaul to Kathmandu ; and

(*b*) if so, the number of trucks supplied and the terms thereof?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh):** (*a*) Yes ; the Government of India had provided trucks to Nepal for this purpose.

(*b*) 200 Army trucks were provided, the charges levied being at the rate of Rs. 4·73 per maund.

## M. O. Service in U.P.

**961. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the distribution of M. Os by Post Offices in rural areas in Deoria District, U. P. takes very long time with the result that people do not get money in time ; and

(*b*) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government to remove this inconvenience to the people ?

**The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) :** (*a*) No, Sir. There have been only two complaints of delay in payment out of a total of 2,17,184 M. Os paid from 1st January to 31st July, 1964. Delay in one of these two was due to late attendance of the payee himslef at the Post Office.

(*b*) Does not arise.

## नौसना की 'सी हौक' की दुर्घटना

962. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 30 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एन० एस० विक्रान्त से संलग्न नौसेना की "सी हौक" की दुर्घटना की जांच करने वाले जांच बोर्ड की उपपत्तियों का सरकार ने निरीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० ब० स० राजू) :** (क) अभी नहीं। सरकार अभी मामले की जांच कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### योजना प्रचार संबंधी अध्ययन दल

963. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बुलेश्वर मीना :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 13 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1009 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना प्रसार संबंधी अध्ययन दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति 10 सितम्बर, 1964 को सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

(ग) जैसा कि 14 सितम्बर, 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर के संबंध में सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है, कुछ सिफारिशों को मंत्रालय ने सिद्धान्तत: स्वीकार कर लिया है। अध्ययन दल की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

### Transmitter At Chandigarh

**964. Shri Bagri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1347 on the 1st April, 1963 and state :

(*a*) whether the equipment for installing a transmitter at Chandigarh has since been received ; and

(*b*) if so, when it would start operating.?

**The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi)** (*a*) Yes, Sir.

(*b*) By December, 1964.

### भारी पानी का उत्पादन

965. श्री प्र० क० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारी पानी बनाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या वह देश की वर्तमान और निकट भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) नंगल के भारी पानी सन्यन्त्र में, जो इस समय भारत में भारी पानी का एकमात्र कारखाना है, प्रतिवर्ष लगभग 12 मीट्रिक टन भारी पानी बनाया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 200 मीट्रिक टन क्षमता का एक भारी पानी सन्यन्त्र लगाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । आगामी वर्षों में अणुशक्ति कार्यक्रम को चालू रखने के लिये यह करना आवश्यक है ।

## अणु शक्ति केन्द्र

966. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे तारापुर, राणाप्रताप सागर और कल्पकम स्थित अणुशक्ति केन्द्रों में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जायेगा ;

(ख) क्या वह ईंधन देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अथवा उसका आयात किया जायेगा; और

(ग) इन तीन अणु शक्ति केन्द्रों में बिजली पैदा करने की लागत क्या है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3194/64]**

## विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ सहयोग

967. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रायटर के अतिरिक्त अन्य विदेशी समाचार एजेंसियों के भारतीय समाचार-पत्रों के साथ सहयोग के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) और (ख) सरकार द्वारा मई, 1956 में किये गये निर्णय के अनुसार उन विदेशी समाचार एजेंसियों को विशेष संचार सुविधायें प्रदान की जाती हैं कि जिनका अपनी समाचार सेवाओं के देश में वितरण के लिये किसी भारतीय समाचार एजेंसी के साथ प्रबन्ध रहता है । ये प्रविधिक सुविधायें, जो इन्टरनल टेलीप्रिंटर सरकिटों के किराये पर लेने और अनेक पतों पर वायरलैस द्वारा भेजे गये समाचारों को प्राप्त करने सम्बन्धित हैं, केवल सम्बन्धित भारतीय समाचार एजेंसी के प्रार्थना पत्र पर मंजूर की जाती हैं । किसी विदेशी समाचार एजेंसी को देश के अन्दर अपने समाचार मीडे समाचारपत्रों को भेजने के लिये ऐसी सुविधायें

मंजूर नहीं की जाती हैं। उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रायटर और एजेंसी फ्रांस प्रेस की और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया एसोसिएटेड प्रेस आफ अमेरिका और है (बर्न (पश्चिम जर्मनी) की ड्यूश्चे प्रेस एजेंसी न्यूज सर्विस के विदेशी समाचार को वितरित करता है।

## रेडियो आईसोटोप्स

968. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग के ट्राम्बे संस्थापन ने वह स्थिति प्राप्त कर ली है कि वाणिज्यिक पैमाने पर रेडियो आईसोटोपों का उत्पादन किया जा सके ;

(ख) इन उत्पादों का ब्यौरा और वाणिज्यिक महत्व क्या है ;

(ग) क्या अब देश की समस्त आवश्यकता उनसे पूरी होने लगी है और क्या विदेशों के खरीदारों को भी वे भेजे जाने लगे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क), (ग) और (घ) अणु शक्ति संस्थापन, ट्राम्बे में रेडियो आईसोटोप और लेबिल्ड कम्पाउण्ड का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और इस समय 250 विभिन्न प्रकार के रेडियो-एक्टिव उत्पाद, अनेक विशेष चीजों को सम्मिलित करके, उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध हैं। ट्राम्बे संस्थापन रेडियो आईसोटोपों की भारत की बढ़ती हुई मांग और विदेशों की मांगों को भी अब भली प्रकार पूरी करने की स्थिति में आ गया है। आयात केवल थोड़े से विशिष्ट लेबिल्ड कम्पाउण्ड और हाई स्पेसिफिक एक्टिव कोबाल्ट–60 तक ही सीमित है। ट्राम्बे संस्थापन द्वारा 1958 से अब तक देश में तथा अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, लंका, फ्रांस, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कृषि, उद्योग, अस्पतालों और चिकित्सा तथा गवेषणा संस्थाओं के प्रयोग के लिये रेडियो आईसोटोपों की लगभग 8000 खेपें बेची हैं। हाल में अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी से भी एक व्यादेश प्राप्त हुआ है।

(ख) ट्राम्बे में उत्पादित अनेक रेडियो आईसोटोपों का ब्यौरा, उनके निर्दिष्ट कार्य मूल्य आदि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स नामक प्रकाशन में दिये हुए हैं जिसकी प्रति सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है। रेडियो आईसोटोपों का महत्व कृषि, जीव विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा और गवेषणा के क्षेत्र में उनके प्रयोग में है। जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है रेडियो आईसोटोपों और विकिरण के स्रोतों का प्रयोग वैज्ञानिक प्रानुसन्धान, खोज माप और नियन्त्रण के औजारों के रूप में किया जाता है। इरीडियम—192 और कोबाल्ट—60 के स्रोतों से युक्त रेडियोग्राफी के कैमरे सैण्ड और ढलाई की किस्म की जांच करने के लिये बनाये गये हैं। विभिन्न पत्तनों में रेत के बहाव के अध्ययन में रेडियो ट्रेसर विधि का सहारा लिया गया है। इन अध्ययनों के परिणामों से सम्बन्धित पत्तन प्राधिकारियों का काफी रुपया बच गया है जो ड्रेजिंग के कार्य में लगता है।

## आगरा के पास विमान दुर्घटना

969. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जुलाई, 1964 को आगरा के पास एक विमान दुर्घटना हुई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच करने का आदेश जारी कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) पूरे तथ्य जांच न्यायालय की रिपोर्ट मिल जाने पर ज्ञात होंगे।

## सरदार पटेल स्मारक भाषण

970. श्री हरि विष्णु कामत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है कि इस वर्ष सरदार पटेल स्मारक भाषण कौन देगा ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये भूतपूर्व मन्त्री द्वारा भेजा गया निमन्त्रण स्वीकृत किये जाने के पश्चात् रद्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) भूतपूर्व मन्त्री ने इस कार्य के लिये औपचारिक रूप में किसी को निमन्त्रण नहीं भेजा था, अतः उसे रद्द करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## नेपाल में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें

971. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में भारतीय सहायता मिशन द्वारा सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के कार्यान्वित किये जाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) परियोजनायें कब पूरी होंगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है और उसमें से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3195/64]

## पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी

972. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 अगस्त, 1964 को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू में देवरे बांध के पास भारतीय पंक्तियों पर गोलाबारी की थी जिसमें दो भारतीय पुलिस मारे गये ; और

(ख) यदि हां तो उस बारे में सरकार ने क्या किया ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) 12 अगस्त, 1964 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर भी, 5 अगस्त को पाकिस्तानी सैनिकों ने देवरे के पास गश्ती पुलिस पर अपने आप ही गोलाबारी शुरू कर दी जिससे दो सिपाही मारे गये।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक पर्यवेक्षकों से युद्ध विराम के उल्लंघन की शिकायत की गयी है। मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है।

## पश्चिम बंगाल में निर्वाह व्यय सूचकांक

973. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभीहाल में संकलित पश्चिम बंगाल निर्वाह व्यय सूचकांक में ह्रास दिखायी पड़ा है ;

(ख) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यह केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया है ; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) लेबर ब्यूरो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, हावड़ा, और आसनसोल के लिए 1960-100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित और प्रकाशित कर रहा है। यदि माननीय सदस्य का निर्देश कलकत्ता सूचकांक की ओर हो तो ठीक ठीक स्थिति यह है कि मई में सूचकांक 118 था और जून में 116। दूसरे शब्दों में, मई, 1960 (आधा अवधि) की तुलना में, मई, 1964 में सूचकांक में 18 बिन्दुओं वृद्धि हुई जब कि जून 1960 की तुलना में जून, 1964 में केवल 16 बिन्दुओं की वद्धि हुई। 2 बिन्दुओं का ह्रास मुख्यत: जून, 1964 में फलतया सागभाजी उपसमूह सूचकांक में 21 बिन्दुओं के ह्रास के कारण खाद्य समूह सूचकांक में कमी के कारण हुआ। फल तथा सागभाजी उप समूह सूचकांक में शामिल की गई वस्तुओं की कीमतों में मौसमी परिवर्तन काफी अधिक होते हैं।

(ख) हमने अभी तक पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री का वक्तव्य नहीं देखा है लेकिन उस बारे में हमने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्रतिरक्षा व्यय में कमी

974. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में प्रतिरक्षा व्यय कम करने का विचार है; और

(ख) क्या इससे आयुध कारखानों के विस्तार और स्थापना पर संभवत: कोई असर पड़ेगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण के लिए प्रधान मंत्री ने चालू वर्ष के बजट में शामिल की गयी परियोजना और कार्यक्रमों की सामान्य समीक्षा का प्रस्ताव रखा है। उस दिशा में प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रारम्भिक समीक्षायें आरंभ कर दी हैं।

(ख) प्राथमिकताओं के प्रस्तावित पुनर्निधारण से आयुध कारखानों के और विस्तार और उन की स्थापना पर संभवत: कोई असर नहीं पड़ेगा।

## सेना में कार्यकारी पदोन्नतियां

975. **श्री चांडक** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में सैकन्ड लेफ्टनेन्ट और लेफ्टेनेन्ट से ऊंची श्रेणियों में कार्यकारी पदोन्नतियों के लिये अभी हाल में आर्डर जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न कोर्स/कमान में ये आर्डर अलग अलग ढंग से कार्यान्वित किये जा रहे हैं; और

(घ) कनिष्ठ पदाधिकारियों की शिकायतें दूर करने के लिये सभी कोर्स/कमान में कार्यकारी पदोन्नतियों को युक्तिसंगत बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने वाली है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन उन सभी मामलों में जहां क्षेत्र सेवा रियायतें दी जाती हैं, लेफ्टनेन्ट कर्नल के पद तक एक पद से अगले ऊंचे पद तक कार्यकारी पदोन्नति देने के लिये निर्धारित सामान्य सेवा सीमाएं 20 अगस्त, 1963 से संकटकाल के जारी रहने तक 12 दिसम्बर, 1963 को जारी किये गये आदेशों के अधीन समाप्त कर दी गयी हैं। अन्य क्षेत्रों में जो सेवा सीमाएं जारी हैं वे इस प्रकार हैं :—

कैप्टन के पद पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये 3 वर्ष

मेजर के पद पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये 5 वर्ष

लफ्टेनेन्ट कर्नल के पद पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये 6 वर्ष

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत कुछ श्रेणियों के पदाधिकारी आते हैं अब [illegible] की जा रही है ।

## भारत में विदेशी सैनिक प्रशिक्षणार्थी

976. **श्रीमती लक्ष्मीबाई** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने विदेशी भारत में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: विभिन्न देशों से 120 व्यक्ति इस देश में इस समय सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

## नेफा रिपोर्ट

977. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 1962 की नेफा दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट को, जिसे मेजर जनरल हैन्डरसन ब्रूक्स ने 1963 में सरकार को पेश की थी, पिछले वर्ष टेबल पर रखने से पहले उस में काफी काट-छांट की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निकाले गये अंश अब सभा पटल पर रखे जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)**: (क) से (ग) न तो नेफा जांच की रिपोर्ट और न ही कोई संक्षिप्त अथवा संशोधित संस्करण सभा पटल पर रखा गया था या अन्य किसी प्रकार से प्रकाशित हुआ था। प्रतिरक्षा मंत्री ने नेफा जांच के बारे में 2 सितम्बर, 1963 को सभा में एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में उन्हों ने जांच के केवल मुख्य निष्कर्ष बताये थे।

## केरल में स्वचालित टेलीफोन

978. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन किन शहरों या नगरों में स्वचालित टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जब कि एर्नाकुलम जैसे बड़े शहर में स्वचालित टेलीफोन नहीं है, वहां से कुछ एक मील की दूरी पर मुलंथुरुथी नामक एक बड़े गांव में वह विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—3196 64]

(ख) जी हां।

(ग) दो प्रकार के सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं; एक में सीमित सुविधाओं के साथ अधिक से अधिक 600 लाइनों की व्यवस्था होती है और दूसरा प्रत्येक विशिष्ट स्टेशन के लिये यातायात की वास्तविक आवश्यकताओं तथा अन्य दशाओं के अनुसार खास तौर से बनाया हुआ होता है। बाद वाला एक्सचेंज जिसे मेन आटोमैटिक एक्सचेन्ज (एम ए एक्स) कहते हैं खास तौर से बनायी गयी इमारतों में लगाया जाने वाला है। एर्नाकुलम के लिए एम ए एक्स टाइप के साज सामान की जरूरत है जब कि मुलंथुरुथी में स्माल आटोमैटिक एक्सचेंज (एम ए एक्स) टाइप का साजसामान लगाया जा चुका है। एर्नाकुलम एम ए एक्स की इमारत बनायी जा रही है और साज सामान के लिये आर्डर भेजा चुका है। इस लिए एर्नाकुलम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया

## विदेश से लौटने वाले भारतीय

979. श्री सुरेन्द्र सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बागड़ी :
श्री तो यो र या चदा :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में अर्थात् टांगानियाका, पाकिस्तान बर्मा, जंजीबार, ब्रिटिश गायना और दक्षिण अफ्रीका में, भारतीय उद्भव के कुल कितने व्यक्ति 1 जनवरी, 1964 से विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने घर बार छोड़ने के लिए बाध्य हुए ;

(ख) 1 जनवरी, 1964 से ऐसे कुल कितने आदमी भारत आये;

(ग) उनके लौट आने के क्या कारण थे ; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारतीय उद्भव के कुल कितने लोग इन देशों से आ रहे हैं यह मालूम नहीं है। फिर भी जनवरी-जुलाई 1964 से लगभग 1,12,355 लोग भारत में आये। इनमें पाकिस्तान से आये हुए लगभग 6 लाख व्यक्ति और बर्मा से आये हुए 31,000 व्यक्ति शामिल नहीं हैं। प्रत्येक देश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आगमन के अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को जबर्दस्ती निकाला जा रहा है जैसे पाकिस्तान से। कुछ लोग रोजगार, आश्रितों को रुपया भेजने, निवास अनुमति पत्र, आयात निर्यात के राष्ट्रीयकरण आदि सम्बन्धी बढ़ती हुई पाबन्दियों के कारण चले आ रहे हैं। अनिश्चित की भावना भी एक कारण है।

(घ) पुनर्वास के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : जहाज की रियायतें तथा विमान सुविधाएं, सीमा शुल्क रियायतें, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय सहायता और अनुदान, खेती के लिए जमीन आदि का दिया जाना अनेक सरकारी योजनाओं के अधीन भी इन लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं।

## नागा विद्रोही

980. श्री स्वैल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7/8 अगस्त, 1964 को नागाओं ने नागालैण्ड के त्वेनसांग क्षेत्र में पांच सीमावर्ती रक्षकों को मार डाला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का क्या विवरण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) जी नहीं। 8 अगस्त, 1964 को 8 00 बजे किफ़ यर से लगभग 9 मील पश्चिम में लगभग 60 नागाओं से असम राइफल्स के एक दस्ते की मुठभेड़ हुई थी। साथ ही नागाओं ने सियं चुंग (किफ़ यर से लगभग 9 मील पश्चिम) में हमारी चौकी पर गोलाबारी भी की। असम राइफल्स के तीन अदर रैंक्स मारे गये और तीन घायल हुए। नागाओं के हताहतों की संख्या मालूम नहीं है।

## INDIAN SOLDIERS KILLED IN PAK. RAIDS

981. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the so-called Pakistan occupied Kashmir "Government" have claimed that seven Indian soldiers were killed in an encounter on the 20th August, 1964;

(b) if so, whether this information was given in the communique issued by that Government; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan):** (a) and (b) Government are not aware of any such claim having been made by the so-called Government of Pakistan Occupied Kashmir. However, according to a news-item which emanated from Muzaffarabad and appeared in the *Pakistan Times* of Karachi, dated the 25th August 1964, 7 Indian soldiers are alleged to have been killed and 5 others wounded in fresh encounters with the so-

called "Mujahids" on August 22. The fact is that there was no such incident on the cease-fire line on this date in which any Indian soldier was killed or injured.

(c) Does not arise.

## COMMUNIQUE ISSUED BY PAKISTAN HIGH COMMISSION

**982. Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that a communique was issued on the 25th July, 1964 by the High Commissioner of Pakistan stating that the news of firing by Pakistani troops across the Indian border on the 25th, 26th, 27th and 28th June, 1964 was fabricated ;

(*b*) if so, whether the incidents, for which Pakistan has been held responsible, by the U. N. Observers, occurred on these dates ; and

(*c*) if so, whether Government have enquired into the misleading communique issued by the Pakistan High Commissioner, New Delhi.

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan)** : (*a*) Government are not aware of any such communique having been issued by the Pakistan High Commissioner on 25th July, 1964.

(*b*) During the period 25th to 28th June 1964, there were 28 firing incidents by Pakistan/Pakistan Occupied Kashmir troops and armed civilians. In respect of these incidents, the U. N. Chief Military Observer has so far awarded 9 violations of Cease Fire Agreement against Pakistan.

(*c*) Does not arise.

## पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, नागपुर

983. **डा० भा० श्री अणे** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ प्रदेश में काम करने वाले डाक तार विभाग के कर्मचारियों, उनके संघों तथा उस प्रदेश के लोगों ने विदर्भ के लिए एक अलग डाक-तार मण्डल बनाने के लिए जिसका मुख्य कार्यालय नागपुर में होगा, कई आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मन्त्री ने उन्हें यह भी बताया है कि नागपुर के निवासियों तथा नागपुर के डाक-तार कर्मचारियों में इसे भोपाल में ले जाने के विषय पर काफी चिन्ता है और क्या उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह विदर्भ प्रदेश के लिए नागपुर में एक अलग डाक तार मण्डल बना कर नागपुर शहर का महत्व बनाये रखे ; और

(ग) इस विषय में क्या निश्चय किया गया ?

**संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि विदर्भ इतना छोटा है कि एक अलग मण्डल उसके लिए उचित नहीं हो सकता और हमारी नीति यह है कि एक राज्य को दो मण्डलों में विभाजित न किया जाये ।

## PAY SCALES OF JAWANS AND OFFICERS

984. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(*a*) the ratio between the pay scales of Jawans and Commissioned Officers of the Army ;

(*b*) how this ratio compares with the ratio obtaining in foreign countries according to available statistics ; and

(*c*) whether Government proposed to reduce this ratio ?

**The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) :** (*a*) The lowest and highest rates of the emoluments (including basic pay, dearness allowance and national value of concessions) admissible to Jawans and to Indian Commissioned Officers of the Army, and the ratio between these emoluments are as follows :

| | Lowest rate | Highest rate |
|---|---|---|
| | Rs. p. m. | |
| Jawans (Junior Commissioned Officers and Other Ranks) | 133 | 440 |
| Indian Commissioned Officers | 490 | 3000 |
| Ratio | 27% | 14·7% |

(*b*) This varies from country to country and enough data is not available on the point.

(*c*) There is no such proposal.

### दिल्ली के डाक तार कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास स्थान

985. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि किसी भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसका दिल्ली में अपने कार्यस्थल से 16 किलोमीटर के अन्दर रिहायशी मकान हो, सरकारी आवासस्थान दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक तार बोर्ड ने दिल्ली और नई दिल्ली में अपने अधीन निवास स्थानों के संबंध में उपर्युक्त आदेशों का पालन करने का निश्चय किया है ;

(ग) एसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास डाक तार निवासस्थान संग्रह के विभिन्न प्रकार के मकान हैं;

(घ) डाक तार विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास मकान है लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों या दूसरे कर्मचारियों के साथ संग्रह के आवास स्थान में रहने की इजाजत दी गयी है; और

(ङ) राजधानी में रिहायशी जगह की भारी कमी को देखते हुए इन मकानों को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) 22 ।

(घ) 5 ।

(ङ) भारत सरकार ने जो निश्चय किया है उसके अनुसार एसे सभी कर्मचारियों को सरकारी आवास स्थान खाली करने की नोटिस दी जायेगी ।

**पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, नागपुर**

986. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय नागपुर से भोपाल ले जाने में और विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वह संभवतः कब तक कार्यान्वित होगा ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दफ्तर और रिहायशी क्वार्टर बनाने के लिये जमीन ले ली गयी है लेकिन आगे निर्माण कार्य संकट काल के कारण धन की कमी की वजह से शुरू नहीं किया जा सका । वर्ष 1964–65 में आवश्यक धन की व्यवस्था की गयी है । आवास स्थान का कार्यक्रम इस बीच मंजूर किया जा चुका है और ड्राइंग तैयार करने के लिये भेजा गया है इस समय ठीक ठीक तारीख बताना संभव नहीं है कि वह कब ले जाया जायगा ।

**विदशों में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण**

987. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या संचार मत्री निम्नलिखित बातें दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(1) 1962–63, 1963–64 और 1964–65 (अब तक) में विभिन्न सहायता / छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन विदेशों में प्रशिक्षण के लिये टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के कौन कौन पदाधिकारी चुने गये थे;

(2) प्रत्येक मामले में भारत सरकार कुल कितना खर्च (विदेशी मुद्रा सहित) उठायेगी; और

(3) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पदाधिकारी को कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (1) से (3) आवश्यक जानकारी लोक-सभा के टेबल पर रखे गये विवरण में दी हुई है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3197/64]**

## अन्तर्दूर संचार संगठन

988. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में टोकियो में आयोजित अन्तर्दूर संचार संगठन के सम्मेलन में भारत का कोई प्रतिनिधि गया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन थे ;

(ग) उसमें कुल कितना खर्च (विदेशी मुद्रा सहित) हुआ;

(घ) प्रतिनिधि मंडल के प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितदी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी; और

(ङ) प्रतिनिधि मंडल ने क्या क्या काम किये ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) 22 जुलाई, 1964 से 26 जुलाई, 1964 तक टोकियो में आयोजित दूर संचार विशेषज्ञों के एकक के कार्यकारी दल के दूसरे अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व हुआ था ।

(ख) भाग (क ) में उल्लिखित बैठक में जिस भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था उसमें निम्न व्यक्ति थे :—

श्री एस० एन० कालरा———समुद्र पार संचार सेवा के कार्यकारी महा निदेशक —नेता

श्री एस० एम० अग्रवाल—डाकतार विभाग के उपमहानिदेशक —सदस्य

(ग) भाग (क) में उल्लिखित बैठक के लिये 9350.00 रुपये का व्यय (2200.00 रुपये की विदेशी मुद्रा सहित) स्वीकृत किया गया था ।

(घ) प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी :—

श्री एस० एन० कालरा———210.00 रुपये

श्री एस० एम० अग्रवाल———180.00 रुपये ।

(ङ) दूर संचार विशेषज्ञों की सिफारिशें भारत में उपयुक्त मामलों में उन्हें कार्यान्वित करने की संभावना के दृष्टिकोण से तथा संशोधन, प्रशिक्षण तथा निर्मित साज सामान कम विकसित देशों को भेजने में भारत के अंशदान की संभावना के दृष्टिकोण से भी भारत के लिये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी । हमारे प्रतिनिधि मंडल के अंशदान का स्वागत किया गया और इन संभावनाओं से लाभ उठाने के लिये उचित वातावरण तैयार करने में उन्होंने मदद दी ।

## डाक जीवन बीमा

989. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक जीवन बीमा के संपूर्ण-जीवन-प्रीमियम टेबल 4 अप्रैल, 1961 को और 25 मार्च, 1963 को दो बार 16 मई, 1948 के बाद जारी की गयी पालिसियों के संबंध में और 3000 रु० और उससे ऊपर तथा 4000 रुपये और उस से ऊपर के मूल्य की आजीवन पालिसी के संबंध में मासिक प्रीमियम पर दी गयी छूट के संबंध में बदले गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि 16 मई, 1948 से पहले जारी की गयी आजीवन पालिसियों के संबंध में आजीवन प्रीमियम टेबल इस प्रकार नहीं बदले गये थे;

(ग) यदि हां, तो 16 मई, 1948 से पहले जारी की गयी पालीसियों के संबंध में इस प्रकार का भेदभावपूर्ण बर्ताव करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती):** (क) जी हां। सीमित भुगतान वाली डाक बीमा आजीवन पालिसियों की प्रीमियम दरें दिनांक 4 अप्रैल, 1961 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2282 पीटीआई/61 के अधीन 1 अप्रैल, 1961 से बदली गयी थीं। ये दरें आजीवन सीमित भुगतान पालिसियों के लिए जिनकी जगह 17 मई, 1948 से मृत्युपर्यन्त देय प्रीमियम वाली आजीवन पालिसियां जारी की गयीं, उस समय चालू दरों से कम थीं। 25 मार्च, 1963 को प्रीमियम दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन 1 अप्रैल, 1963 से दरों को निकटतम 5 पैसे तक मिला दिया गया ।

1 अप्रैल, 1961 से बीमा शुदा प्रति 1000 रुपये पर प्रति मास 3 पैसे की छूट 3000 रुपये या उससे ऊपर लेकिन 5000 रुपये से कम की पालिसियों पर दी गयी और बीमाशुदा प्रति 1000 रुपये पर प्रति मास 5 पैसे की छूट 5000 रुपये और उस से ऊपर की पालिसियों पर दी गयी । 5 पैसे तक मिला देने की आवश्यकता से छूट की दर 4000 रुपये या उस से ऊपर की सभी पालिसियों के लिए बीमाशुदा प्रति 1000 रुपये पर प्रति मास 5 पैसे की एक सी दर के तौर पर निश्चित की गयी ।

(ख) जी हा ।

(ग) जिस तारीख को नयी दरें चालू की गयी थीं, उसी दिन जारी की गयी पालिसियों पर ही नयी प्रीमियम दरें लागू होती हैं। पहले किये गये ठेकों पर वे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकतीं जैसा कि दरें बढ़ाये जाने पर बीमा कराये हुए व्यक्तियों से ऊंची दरें नहीं ली जा सकतीं । 16 मई, 1948 से पहले या उसके बाद जारी की गयी पालिसियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया छूट भी केवल उन्हीं पालिसियों पर लागू हो सकेंगी जो आर्डर निकाले जाने के बाद ली गई हों ।

(घ) इस मामले में कोई कार्यवाही न करने का विचार है क्योंकि कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

## काश्मीर में युद्ध विराम रेखा

990. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के दोनों ओर सैनिक कर्मचारियों से मुक्त 500 गज क्षेत्र बनाये रखने के लिये राष्ट्रसंघ के काश्मीर स्थित मुख्य सैनिक सलाहकार को कुछ नये प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख) सरकार ने ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं भेजे । वास्तव में युद्ध विराम करार के अन्तर्गत रेखा के दोनों ओर 500 गज क्षेत्र में सैनिकों के प्रवेश पर पहले से ही पाबन्दी है । परन्तु मुख्य सैनिक प्रेक्षक ने अक्तूबर, 1963 में इस क्षेत्र में सशस्त्र असैनिकों के प्रवेश पर पाबन्दी का प्रस्ताव रखा था । यह प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया है । पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की कोई जानकारी नहीं है ।

**भारत-नेपाल सीमा पर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय**

991. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार विभाग ने डाक तथा तार बोर्ड से भारत-नेपाल सीमा पर अधिक सार्वजनिक कार्यालय खोलने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की देश के अन्य भागों के इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने की कोई योजना है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) जी, हां ?

**नेफा प्रशासन द्वारा अनुदानों की राशि का लौटाया जाना**

992. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा प्रशासन ने संसद् द्वारा 1961–62 और 1962–63 में मंजूर किये गये अनुदानों की बहुत सी राशि लौटा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि लौटाई गई है ; और

(ग) वे कौन से मद हैं जिन के अन्तर्गत वह धन काम में न लाये जाने के कारण लौटा दिया गया ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) केवल 1961–62 में 1,44,800 रुपये की राशि लौटाई गई थी । 1962–63 में कोई राशि नहीं लौटाई गई ।

(ग) 1961–62 में वह राशि व्यय की "लेखा-तीन-समाज तथा विकास सेवायें—मुख्य शीर्षक '38' चिकित्सा बी–चिकित्सा (योजना) बी० 4. अन्य प्रकार" मद के अन्तर्गत लौटाई गई थी ।

**Expenditure in the Information and Broadcasting Ministry**

993. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) the amount spent by the Ministry over A. I. R., Press Information Bureau and Publications Division during 1962-63 and 1963-64 and the budgeted amount for the year 1964-65.

(*b*) the steps being taken by Government to reduce the expenditure in various departments ; and

(*c*) the present number of employees in Press Information Bureau as compared to that in the previous year ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi)** : (*a*) The required information is as follows :—

| Name of Media Unit | 1962-63 (Actuals) | 1963-64* (Provisional) | *1964-65 (Budget Grant) |
|---|---|---|---|
| | Rs. (lakhs) | Rs. (lakhs) | Rs. (lakhs) |
| (1) A.I.R. (Recurring) | 558.73 | 561.88 | 591.06 |
| (2) A.I.R. (Capital) | 240.57 .01 (charged) | 296.48 3.12 (charged) | 210.73 .25(charged) |
| (3) Total (1) & (2) | 799.31 | 861.48 | 802.04 |
| (4) P.I.B. | 41.33 | 42.91 | 44.32 |
| (5) Pub. Division. | 33.08 | 35.21 | 32.10 |
| (6) Total of (3) to (5) | 873.72 | 939.60 | 878.46 |

*The final figures are not yet available as the accounts have not been closed by A.G.C.R. finally.

(b) Following the Emergency, the expenditure position has been reviewed. Economies have been effected in several ways, *viz.*, abolition of certain posts, postponement of certain plan, schemes economies in the use of stationery, curtailment of contiugent expenditure, curtailment of foreigne delegation, tours and transfers, discontinuance of celebration programmes such as Radio Weeks, Weekly National Programmes in A.I.R., reduction in print order and free mailing lists in respect of journals and publications brought out by the Publications Division, etc. In terms of money the economies in these three organizations under reference in 1962-63 amounted to Rs. 1.63 lakhs and in 1963-64 to Rs. 5.58 lakhs respectively.

(c) The strength of the staff of the Press Information Bureau as on the 1st March 1964 was 987 as compared to 994 on the 1st March, 1963.

## आई० एन० एस० विक्रान्त

994. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **तिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के फ्लैगशिप 'आई० एन ० एस ० विक्रान्त' का एक विमान 12 अगस्त, 1964 को तिरुवन मियूर के पास समुद्र में गिर गया जिससे विमान के चालक के चोटें आईं; और

(ख) दुर्घटना के सम्बन्ध में हुई जांचों का क्या परिणाम निकला ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी हां। आई० एन० एस० विक्रान्त का एक विमान 12 सितम्बर, 1964 को मद्रास के पास स्थित पेरियन्नौलनहरईकुप्पम नामक स्थान के पास समुद्र में गिर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप चालक के सिर में चोट आई।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिये नियुक्त जांच बोर्ड की कार्यवाही का विवरण हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

## कुर्नूल में नया टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन

995. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नया टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन बनाने का निर्णय किया है जिसका मुख्य कार्यालय कुर्नूल, आन्ध्र प्रदेश में होगा ;

(ख) यदि हां, तो वह कब चालू होगा ; और

(ग) इस नये डिवीजन का क्षेत्राधिकार क्या होगा ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां।

(ख) शीघ्र ही।

(ग) नये डिवीजन में कुर्नूल, अनन्तपुर, कड़पा और चित्तूर के राजस्व जिलों के अन्तर्गत स्थित टेलीफोन तथा टेलीग्राफ की आस्तियां सम्मिलित होंगी।

## दूर संचार सम्पर्कों का ठप्प हो जाना

996. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच का आदेश किया है जिनके कारण 5 सितम्बर, 1964 को आसाम और शेष देश के बीच समस्त दूर संचार ठप्प हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जी नहीं। गड़बड़ का कारण कलकत्ता और आसनसोल के बीच भूमिगत तारों की खराबी थी। खराबी के कारण निश्चित करने के लिये विभागीय जांच चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## नेपाल के साथ डाक करार

997. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नेपाल से कोई डाक प्रतिनिधि मण्डल कुछ द्विपक्षीय डाक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कराने के लिये नई दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो जो करार हुए उनकी शर्तें क्या हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां।

(ख) करार पत्र-व्यवहार, इन्श्योर्ड पत्रों और पार्सलों से सम्बन्धित हैं। उनकी शर्तें प्राय: यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के करारों की लाइनों पर हैं। करारों की पुष्टि हो जाने पर उसकी प्रतियां शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

**कोठागुडियम में बहुप्रयोजन संस्था**

999. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोठागुडियम में बहुप्रयोजन संस्था के भवनों और कोयला खान कल्याण संगठन के कर्मचारियों के क्वाटरों के निर्माण की प्रगति बहुत मन्द है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ; और

(ग) भवनों के कब तक पूरा हो जाने की आशा है और जुलाई, 1964 तक कितना व्यय हुआ ?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) और (ख) कुछ समय से सीमेंट और इस्पात की कमी के कारण प्रगति मन्द पड़ गई है।

(ग) निर्माण कार्य का पूर्ण होना इस पर निर्भर है कि सीमेंट और इस्पात कब मिलता ह। संस्था के निर्माण पर 5,999 रुपये और रहने के क्वार्टरों पर 32,579 रुपये खर्च हुए हैं।

**सिंगरैनी की कोयला खानें**

1000. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1964 को मेसर्स सिंगरैनी कोलियरीज़ कम्पनी की कोयला खान कल्याण संगठन में आवास के खाते में कितनी राशि जमा थी ;

(ख) क्या कोई भुगतान किये जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके फैसले में देर होने के क्या मुख्य कारण हैं ?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) 1-4-64 को अनुमानत: 22.13 लाख रुपया जमा था। 1964-65 की अनुमानित आय 8.48 रुपये है।

(ख) जी हां।

(ग) बनाये गये कुछ मकानों में कुछ खराबियां पाई गई हैं। इस मामले का फैसला होते ही बकाया रकम के भुगतान की व्यवस्था कर दी जायेगी।

---

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

## *Re* : MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): पिछले कुछ दिनों में तीन कोयला खानों की तालाबन्दी हो चुकी है जिसके विषय में मैंने एक स्थान प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह बहुत महत्व का विषय है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। यदि माननीय सदस्य इसके कारण जानना चाहें तो मैं उन्हें बता सकता हूं।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### *Re*: CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### मंहगाई भत्ते के लिए एक सदस्यीय स्वतंत्र निकाय के निर्देश पदों में मंहगाई भत्ते के सूत्र के पुनरीक्षण के प्रश्न का सम्मिलित न किया जाना

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं वित्त मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :

" 'महंगाई भत्ते के लिये एक सदस्यीय स्वतन्त्र निकाय' के निर्देश-पदों में महंगाई भत्ते के सूत्र के पुनरीक्षण के प्रश्न का सम्मिलित न किया जाना।"

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : वेतन आयोग ने महंगाई भत्ता सम्बन्धी जिस सूत्र (फार्मूला) की सिफारिश की थी और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है उसमें यह व्यवस्था है कि जब कभी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 12 महीने के औसत में 10 की वृद्धि हो जा, तब सरकार महंगाई भत्ते की दरों पर नये सिरे से विचार करे। वेतन आयोग इस बात के पक्ष में नहीं था कि रहन-सहन के खर्च की वृद्धि के साथ महंगाई की दरों का सम्बन्ध अपने आप स्थापित हो जाया करे और आयोग ने यह बात सरकार पर छोड़ दी थी कि वह खास समय आने पर सभी संबद्ध परिस्थितियों का विचार करके यह निश्चय करे कि प्रत्येक अवसर पर भत्ते में कितनी वृद्धि की जाए।

केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों ने जुलाई, 1960 में जो हड़ताल की थी उसके शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने अपने इस फैसले की घोषणा की थी कि वह रहन-सहन के खर्च की वृद्धि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग की पूर्ति करेगी और यदि अतिरिक्त पूर्ति के सम्बन्ध में मतभेद होगा तो वह मामले को फैसले के लिए किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के सिपुर्द करेगी। 8 अगस्त, 1960 को इस सभा में इस फैसले की पुष्टि करते हुए स्वर्गीय पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त ने, जो उस समय गृह मन्त्री थे, यह स्पष्ट कर दिया था कि वेतन आयोग जैसे उच्चाधिकार सम्पण्न निकाय की आधारभूत सिफारिशों को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बल्कि, उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधान मन्त्री आयोग की सिफारिशों के दायरे में रहते हुए सब बातों पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार हैं।

कमचारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये अभ्यावेदनों से भी यह बात साफ हो जाती है कि इस निष्पक्ष फैसले के प्रस्ताव का सम्बन्ध केवल क्षतिपूर्ति की राशि से था, जिसके बारे में प्रत्येक अवसर पर निर्णय करना आयोग ने सरकार पर छोड़ दिया थ, आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों से नहीं। महंगाई में की गयी काफी वृद्धि से भी कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। वे प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री द्वारा 1960 में दिये गये आश्वासनों का हवाला देते रहते हैं। उनकी मांग को देखते हुए एक स्वतन्त्र निकाय स्थापित किया गया है जिसके एकमात्र सदस्य श्री एस ०के ० दास हैं। इस निकाय की रिपोर्ट और सिफारिश पर उसी तरह विचार किया जायगा जो इस स्तर के निकाय के योग्य है। निकाय के सम्मुख जो तथ्य और अभ्यावेदन रखे जायेंग उनके आधार पर, यदि वह चाहे तो, प्रसंगोचित सामान्य विचार भी प्रकट कर सकेगा। उन विचारों पर भी उचित रूप से ध्यान दिया जायेगा।

[श्री ब० रा० भगत]

पिछले चार या पांच वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके कारण उन आधारभूत सिद्धान्तों या सूत्रों की फिर से जांच करने की आवश्यकता हो जिनकी सिफारिश वेतन आयोग जैसे निकाय ने अतिशय ध्यानपूवक छानबीन करने के बाद—कर्मचारियों और इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा उसके सम्मुख व्यक्त किये गये विचारों और दूसरे देशों में अपनायी गयी प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद की थी। सरकार के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इनकी नये सिरे से जांच करना कैसे आवश्यक समझा जा सकता है।

**श्री नाथपाई** (राजापुर): मैं जानना चाहता हूं कि "काफी मात्रा में मूल्य वृद्धि के निराकरण" का क्या अर्थ है चूंकि मूल्य-वृद्धि का निराकरण या तो पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता।

**श्री ब० रा० भगत**: इसका अर्थ यह है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि करके मूल्य वृद्धि का निराकरण 70 से 75 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या यह सच है कि वेतन आयोग का पंचाट पांच वर्ष पूरे हो जाने पर, 1 जुलाई, 1964 को समाप्त हो गया था, और क्या मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि नया निकाय जो नियुक्त किया गया है 22 लाख सरकारी कर्मचारियों ने उसका बाईकाट कर दिया है? इस स्थिति में समस्या के समाधान के लिये क्या सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से एक बार फिर बातचीत करेगी ?

**श्री ब० रा० भगत**: यही कारण है कि नया निकाय सूत्र पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। यह तो महंगाई भत्त में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करेगा। सूत्र पर पुनर्विचार के लिये एक अन्य आयोग स्थापित करना होगा।

**श्री स० मो० बनर्जी**: मेरे प्रश्न के पहले भाग की दृष्टि से क्या सरकार का विचार एक नया वेतन आयोग स्थापित करने का है ?

**श्री ब० रा० भगत**: इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (QUERY)

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): श्री बीरेन मिश्र की उड़ीसा के मुख्य मंत्री पद पर पुनः नियुक्ति के बारे में मैंने एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी . . .

**अध्यक्ष महोदय**: मैं इस प्रश्न के इस प्रकार उठाये जाने की अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री हेम बरुआ**: मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्ग दर्शन करें। प्रधान मंत्री ने सभा में वक्तव्य दिया था।

**अध्यक्ष महोदय**: मैं इस प्रश्न को यहां उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

# पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**भारतीय टेलीग्राफ (पांचवां संशोधन) नियम, 1964, भारत सरकार और नेपाल नरेश की सरकार के बीच हुआ दूर संचार संबंधी समझौता, और मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण**

**संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 1074 में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (पांचवां संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3182/64]**

(2) भारत सरकार और नेपाल नरेश की सरकार के बीच हुआ दूर-संचार संबंधी समझौता की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3182/64)**

(3) तीसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1, आठवां अधिवेशन, 1964

**[पुस्तकालय में रखी गई । दखिये संख्या एल० टी०—3183/64]**

(दो) अनुपूरक विवरंण संख्या 4 सातवां अधिवेशन, 1964

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3184/64]**

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 7 छठा अधिवेशन, 1963

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3185/64]**

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 9 पांचवां अधिवेशन, 1963

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3186/64]**

**कोयला खनन संबंधी औद्योगिक समिति के नवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: मैं अगस्त, 1964 में कलकत्ता में हुए कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के नवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3187/64]**

## सदस्य की दोष सिद्धि

## CONVICTION OF MEMBER

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे एलुरू, आंध्र प्रदेश के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मुसिफ मजिस्ट्रेट का दिनांक 18 सितम्बर, 1964 का तार मिला था कि लोक-सभा की सदस्य श्रीमती विमला देवी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 और 353 के अंतर्गत 18 सितम्बर, 1964 को दोषी सिद्ध किया गया और क्रमश: एक सप्ताह और छ: सप्ताह के, साथ साथ चलने वाले, साधारण कारावास का दण्ड दिया गया । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 426(2क) के अन्तर्गत उन्हें 22 सितम्बर, 1964 तक जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

---

## प्रतिरक्षा मंत्री की अमरीका तथा रूस की यात्राओं के बारें में वक्तव्य

## STATEMENT *Re* DEFENCE MINISTERS VISITS TO USA AND USSR

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : यह वक्तव्य एक संक्षिप्त प्रतिवेदन के रूप में है जिसे पहले पढ़ने में 15 मिनट का समय लगेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप उसे सभा पटल पर रख दें ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है इसलिये उसे सभा में पढ़ा जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु यदि इसकी प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कर दी जायें तो वह इसे पढ़ कर बाद में यदि कोई स्पष्टीकरण चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं ।

**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3188/64]**

---

## पूर्वोत्तर सीमांत रलवे के कैथलकूची स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के बार में वक्तव्य

## STATEMENT *Re* RAILWAY ACCIDENT AT KAITHALKUCHI ON NEF RAILWAY

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : महोदय, मुझे अत्यन्त दु:ख के साथ सदन को सूचित करना है कि 19-9-1964 की शाम को लगभग 6 बजकर 45 मिनट पर नं० 5 अप कामरूप एक्सप्रेस पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुर द्वार जंकशन-गौहाटी सेक्शन पर कैथलकूची स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1 में दाखिल हुई और डाउन गोहाटी-लखनऊ एक्सप्रेस से आमने-सामने टकरा गयी । गोहाटी लखनऊ-एक्सप्रेस कछ ही पहले इस लाइन पर ली गयी थी ।

टक्कर के कारण कामरूप एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन और उसके ठीक पीछे का तीसरे दर्जे का लगेज-कम-ब्रेक वान पटरी से उत्तर कर उलट गये और उन से पीछे के दो डिब्बे जिन में से एक तीसरे

दर्जे का था और एक ऊंचे दर्जे का था, पटरी से उतर कर धंस गये। गोहाटी-लखनऊ एक्सप्रेस के इंजन को नुक्सान पहुंचा और इस गाड़ी में आगे लगा हुआ तीसरे दर्जे का लगेज-कम-ब्रेकवान पटरी से उत्तर धस गया। इंजन से पीछे के दूसरे डिब्बे को भी नुक्सान पहुंचा जो तीसरे दर्जे का सवारी डिब्बा था।

दुर्घटना स्थल पर 9 आदमी मारे गये जिन में दो रेल कर्मचारी थे। 5—अप कामरूप एक्सप्रेस के ड्राइवर और दो फायरमैनों सहित 35 व्यक्तियों को चोटें पहुंची। इनमें से 12 व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर मरहम-पट्टी के बाद अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हो गये। बाकी 23 व्यक्तियों को इलाज के लिए मेडिकल वान से गोहाटी भेज दिया गया। रास्ते में जाते हुए उनमें से एक व्यक्ति की मृत्य हो गयी। बाकी 22 व्यक्तियों को अस्पतालों में भर्ती किया गया, कछ को गोहाटी मेडिकल कालेज अस्पताल में और कुछ मालीगांव के रेलवे अस्पताल में। सबसे बाद में जो सूचना मिली है, उसके अनुसार, 8 घायल व्यक्तियों को अस्पताल से छट्टी दे दी गयी है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही रंगिया और अलीपुर द्वार जंकशन से मेडिकल वान और सहायता गाड़ियां अन्य डाक्टरी सहायता के साथ फौरन घटना स्थल पर भेजी गयीं। सहायता के काम की देख भाल करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवें के जनरल मैनेजर और दूसरे सीनियर अफ़सर भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये।

दोनों गाड़ियों के जिन डिब्बों पर दुर्घटना का कोई असर नहीं पड़ा था, कुछ देर रुके रहने के बाद उन्हें इमदादी इंजनों के साथ गन्तव्य स्टेशनों को भेज दिया गया।

मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

20-9-1964 को सवेरे रेलवे बोर्ड के एक सदस्य घायल व्यक्तियों और घटना-स्थल को देखने के लिए हवाई जहाज द्वारा दिल्ली से रवाना हो गये।

मेरे सहयोगी रेलवे राज्य-मंत्री, डा० राम सुभग सिंह, भी आज गोहाटी के अस्पतालों में घायल व्यक्तियों को देखने जायेंगे।

कलकत्ता स्थित रेलवे संरक्षा के एडिशनल कमिश्नर ने दुर्घटना की सांविधिक जांच शुरू कर दी है।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि): क्या सरकार इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करवायेगी जिसमें गैर-सरकारी लोग भी शामिल हों?

**श्री शामनाथ**: भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो रही है। इस विशेष दुर्घना की जांच रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त कर रहे हैं। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

**श्री नम्बियार**: हम चाहते हैं कि अभी से जांच उचित तौर से की जाये ताकि तथ्यों पर परदा डालने का किसी को अवसर न मिले।

**श्री हेम बरुआ** : यह दुर्घटना बड़ी लाइन पर हुई है जहां इंटरलांकिग पद्धति है । जब गाड़ी लाइन पर थी और सिगनल नहीं हुआ था तो यह दुर्घटना कैसे हुई ?

**श्री शामनाथ** : यह स्टेशन इंटर-लाक्ड नहीं है ।

**श्री हेम बरुआ** : मैं माननीय मंत्री की सूचनार्थ बताता हूं कि सभी मेन लाइनों पर इंटर-लाक्ड पद्धति है ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं कि मंत्री द्वारा गलत जानकारी दी गयी । तब मैं कार्यवाही करूंगा ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह एक तोड़ फोड़ की कार्यवाही नहीं थी ?

**श्री शामनाथ** : यह दुर्घटना किसी व्यक्ति की गलती से हुई । परन्तु जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने से पूर्व कुछ नहीं कहा जा सकता ।

**Shri Bade** (Khargone) : Did the medical aid reach a long time after the accident ?

**Shri Sham Nath** : Medical relief reached there immediately after the accident.

**Shri Bagri** (Hissar) : Do these accident occur because the railway tracks are old or the employees are negligent in the discharge of their duties and what measures Government are taking to check the recurrence of such accidents ?

**Shri Sham Nath** : Railway Board is taking every possible step to avoid such accidents. So far as Railway tracks are concerned we are trying to replace them as early as possible,

**Shri Gulshan** (Bhatinda) : What is the number of persons killed and injured who were given assistance immediately ?

**श्री शामनाथ** : जो लोग सहायता प्राप्त करने के हकदार थे उन्हें अनुग्रहीत सहायता देदी गयी थी ।

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar) : Whether the Railway authorities will also keep in view the suggestions mnde by Accident Enquiry Committee while investigating this accident and also whether all the killed there have been identified ?

**Shri Sham Nath** : Recommendations of the Accident Enquiry Committee are being implemented. Regarding the persons killed and injured there no detailed information is yet available,

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह दुर्घटना इस कारण हुई कि गाड़ी की रफ्तार निर्धारित रफ्तार से अधिक थी ?

**श्री शामनाथ** : गाड़ी की रफ्तार अधिक होने का यहां प्रश्न नहीं है ।

**श्रीमती सावित्री निगम** (बांदा) : यह कहां तक ठीक है कि मृत एवं घायल व्यक्तियों की जो संख्या मंत्री महोदय ने बताई है वह समाचार पत्रों की खबर के आधार पर गलत है ?

**श्री शामनाथ** : मृत लोगों की संख्या केवल आठ है । मैं समझता हूं कि समाचार पत्रों में मिना संख्या नहीं दी गयी है ।

**Shri Y. S. Chaudhury** (Mahendragarh) : By what time the report of the Enquiry is likely to be submitted ?

**Shri Sham Nath :** I think the Preliminary Report is likely to be received within a month.

---

## निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य

## STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : चालू वर्ष की 10 तारीख को गौंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चनाओं सम्बन्धी चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में मैंने पूछा था कि श्री जवाहरलाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखे गये नेहरू पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ।

तब विधि मंत्री ने कहा था कि वह पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु सामाचारपत्रों में उत्तर प्रदेश के मख्य मंत्री के नाम से यह खबर छपी है कि वह पत्र प्रकाशित नहीं किये गये थे। इसलिये विधि मंत्री का कहना गलत था । मैं चाहता हूं कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण दें ।

**विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित निर्वाचन याचिका पर निर्वाचन न्यायाधिकरण के निर्णय के बारे में श्री एस० एम० बनर्जी की ध्यान दिलाने की सूचना पर 10 सितम्बर, 1964 को मेरे वक्तव्य के पश्चात हुई चर्चा में मैंने कहा था कि :—

वर्तमान प्रधान मंत्री को, जो उस समय गृह मंत्री थे और भूतपूर्व प्रधान मंत्री को इस निर्वाचन से सम्बंधित आरोपों से अवगत करा दिया गया था। स्वयं मैंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री से मिलकर उन्हें इस बात की सूचना दी थी। मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ वर्तमान प्रधान मंत्री के पास गया था। वर्तमान प्रधान मंत्री और भूतपूर्व प्रधान मंत्री दोनों को इन आरोपों की सूचना मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा और मेरे द्वारा दी गयी थी। इस पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने एक पत्र लिख कर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इन गम्भीर आरोपों की सूचना दी और उन पर चिन्ता प्रकट की। उसका उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश में पहिले ही प्रकाशित कर दिया है जिसमें वर्तमान मुख्य मंत्री के पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को लिखा था कि वे स्वयं भी बड़े चिन्तित हैं और यदि निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिये और दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये। मुझे वे शब्द तो ठीक ठीक याद नहीं हैं परन्तु पत्र मौजूद है। किन्तु उन्होंने यह कहा था कि विधि के अनुकल उन्हें यह परामर्श मिला है कि इस मामले का अवधारण कराने के लिये फौरन तो निर्वाचन न्यायाधिकरण ही होगा जिसकी स्थापना अविलम्ब कर दी गई थी और इन सब आरोपों की जांच हो चुकी है ."

इससे ऐसा लगता है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेइस निर्वाचन के बारे में लगाये गये गम्भीर आरोपों के विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था और अपनी ओर से चिन्ता व्यक्त की थी तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उस पत्र का उत्तर दिया था। मुझे खेद है कि मेरी ओर से एक गलती हुई। वास्तव में पत्र तो पहिले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को लिखा था जिस में उन्हें आरोपों की सूचना दी थी और यह सुझाया था कि इस मामले की विस्तारपूर्वक पड़ताल की जानी चाहिये और भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को उत्तर लिख कर आरोपों पर खेद प्रकट किया था और कहा था कि उनके ख्याल से यह मामला निर्वाचन याचिका दायर करके उठाया जाएगा ।

इस गलती के कारण जो गलतफहमी हुई हो, उसका मुझे खेद है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : अब आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है इसलिये उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

**श्री अ० कु० सेन** : मैं उन पत्रों को इसी सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दूंगा ।

---

## केरल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये प्रतिवेदन का सारांश
## SUMMARY OF REPORT OF THE GOVERNOR OF KERALA TO THE PRESIDENT

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : मैं केरल के राज्यपाल के दिनांक 8 सितम्बर, 1964 के प्रतिवेदन के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**—3198/64]

---

## केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
## KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS BILL

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : मैं श्री नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**श्री हाथी** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

## समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक

## COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि समवाय अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक का पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, 1956, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय :"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### तीसवां प्रतिवेदन

**संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवदन से, जो 18 सितम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो 18 सितम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक बिधेयक चंकि बहुत महत्व का है इसलिये इसके लिये 10 घंटे का समय नियत किया जाना चाहिये ।

**श्री नाथपाई** (राजापुर) : मैं भी श्री त्रिवेदी के सुझाव का समर्थन करता हूं । इस विधेयक के लिये अधिक समय नियत किया जाना चाहिये ।

**श्री सत्य नारायण सिंह** : इस विषय के सभी पक्षों पर विचार करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस विधेयक के लिये 5 घंटे का समय नियत किया जाय। चूंकि हमारे पास समय इस सत्र में कम है इसलिये मुझे खेद है कि समय नहीं बढ़ाया जा सकता । यदि सभा अधिक समय तक बैठने के लिये तैयार हो तो ऐसा सम्भव हो सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा यह सुझाव है कि जब सभा में इस विधेयक पर चर्चा हो उस समय यदि आवश्यक हो तो समय बढ़ाया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो 18 सितम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted**

---

## समवाय (संशोधन) विधेयक

## COMPANIES (AMENDMENT) BILL

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवाय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा गत 5 जुलाई को लागू किये गये अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि समवाय अधिनियम की धारा 10क के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी किसी समवाय की छानबीन किये जाने वाली अवधि के दौरान उन कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना है । हमने देखा है कि सरकार के निरीक्षक यदि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत किसी समवाय के कर्मचारियों से तथ्यों की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह नहीं प्राप्त कर सकते चूंकि संबंधित समवायों के कर्मचारियों को यह भय रहता है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । समवाय अधिनियम में समवायों के कर्मचारियों को ऐसी स्थितियों में संरक्षण प्रदान करने संबंधी कोई उपबंध नहीं था इसलये राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया था और अब सरकार इस संशोधन विधेयक को ला रही है ।

समवाय अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से एक नयी धारा 635 ख जोड़ी जा रही है जिसके अनुसार यदि किसी समवाय के विषय में छानबीन चल रही हो या उस का मामला न्यायाधिकरण के पास लम्बित हो उस अवधि में यदि वह समवाय अपने किसी कर्मचारी को नौकरी से अलग करना चाहेगा या उसे किसी प्रकार का दण्ड देना चाहे गा तो उसे समवाय विधि बोर्ड को उस बारे में पूर्व सूचना देनी होगी । यदि तीस दिन के अन्दर-अन्दर बोर्ड उस पर आपत्ति नहीं करता तो संबंधित समवाय अपनी कार्यवाही कर सकता है और यदि समवाय विधि बोर्ड द्वारा की गयी आपत्ति पर संबंधित समवाय को अपील करनी हो तो वह न्यायाधिकरण को ऐसा कर सकेगा जिस का निर्णय उस विषय में अन्तिम होगा ।

समवाय विधि बोर्ड किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर आपत्ति उसी सूरत में करेगा यदि उसे विश्वास हो जाय कि वह कार्यवाही संबंधित कर्मचारी द्वारा निरीक्षक को कोई उपलब्ध की गयी जानकारी के परिणामस्वरूप ही की जा रही है । इसके अतिरिक्त न्यायाधिकरण का निर्णय बोर्ड एवं समवाय दोनों के लिये बाध्य होगा । मुझ आशा है कि सभा इसका समर्थन करेगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि समवाय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

**श्री नारायण दांडेकर** (गौंडा) : समान्यत्: मैं इस संशोधन विधेयक के सिद्धांत से सहमत हूं। परन्तु मुझे संशोधन प्रस्तुत इस कारण करने पड़े कि ऐसे सूचना उपलब्ध करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए जो ईमानदारी से सब कुछ कहते हैं परन्तु साथ ही साथ जो अच्छे नियोजक हैं उन को खराब नहीं किया जाना चाहिए या किसी प्रकार से तंग नहीं किया जाना चाहिए।

पहली बात यह स्पष्ट होनी चाहिए कि कार्यवाही कब आरम्भ की गयी और छानबीन कब आरम्भ की गयी। दूसरे, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि छानबीन संबंधी कार्यवाही कब समाप्त हुई ताकि यह सब पक्षों को स्पष्ट हो जाय कि संरक्षण का समय कौन सा है। मेरे संशोधन का दूसरा सिद्धांत यह है कि इस प्रकार के विलम्ब काल का समय भी निश्चित होना चाहिए।

विधेयक के बारे में सामान्य बात मुझे यह कहनी है कि आजकल यह प्रवृति है कि कार्यपालक निकायों या न्यायिक न्यायाधिकरणों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। इस संशोधन विधेयक द्वारा भी न्यायाधिकरण को अन्तिम निर्णय देने की शक्ति प्रदान की जा रही है जो सर्वथा अनुचित है। ऐसे उपबन्धों के कारण लोग स्वतंत्र न्यायपालिका के पास अपील नहीं कर सकते। अत: ऐसा उपबन्ध नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करता हूं।

**श्री प्रभात कार** (हुगली): मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रस्तुत विधेयक समिति प्रयोजन के लिये लाया गया। किन्तु विधेयक में किये गये उपबन्धों से वांछित उद्देश्य की पूर्ति होना असम्भव है। इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि पूरी तरह जांच करने के लिये किसी समवाय अथवा उद्योग के मामले में तथ्यों की पूरी तरह जानकारी होना अनिवार्य है। किन्तु जब तक जानकारी देने वाले कर्मचारी को पूर्णरूप से संरक्षण नहीं दिया जाता तब तक इस निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी के समय में कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी जाने के डर से पूरी जानकारी नहीं देगा। यदि सरकार पूरी तरह जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो विधेयक में तथ्य देने वाले कर्मचारियों को पूर्ण तथा स्थायी संरक्षण देने के लिए उपबन्ध किया जाये। यदि इस विधेयक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाये तो यह तथ्य सामने आयेगा कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर निष्ठावान कर्मचारी भी रोटी का प्रश्न सामने आने पर झूठ बोलने के लिये विवश हो जायेंगे क्योंकि सूचना देने वाले कर्मचारियों को जांच के दौरान ही संरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। जांच पूरी हो जाने पर समवाय उस कर्मचारी को किसी भी मामले में दोषी ठहरा कर नौकरी से निकाल सकता है।

दूसरी बात यह है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम केवल निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें समवाय अथवा उद्योग के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहती है। 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले तथा अन्य उत्तरदायी पदाधिकारियों पर उक्त अधिनियम लागू नहीं होता अत: वह जानकारी देने में हिचकिचाते हैं। मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है समवाय विधि प्रशासन किसी कर्मचारी को निकालने पर तभी हस्तक्षेप करेगा जब उसे पूरी तरह विश्वास हो जाये कि कर्मचारी को जांच के मामले में जानकारी देने के कारण निकाला गया है। ऐसा सावित करना कठिन कार्य है।

अत: मेरा अनुरोध है विधेयक को कुछ व्यापक बनाया जाये और सही तथा पूरी जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से जानकारी देने वाले कर्मचारियों को पूर्ण तथा स्थायी संरक्षण दिया जाये इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री हेडा** (निजामाबाद) : यह सराहनीय बात है कि विधेयक का सभी दलों के सदस्यों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सरकार इस विधेयक द्वारा कुछ शक्तियां प्राप्त करके बहुत अच्छा कार्य

[श्री हेडा]

कर रही हैं । किन्तु इसके साथ साथ यह अनिवार्य है इन शक्तियों को कागज तक ही सीमित न करके वांछनीय उद्देश्य के लिये उचित कार्य रूप दिया जाये ताकि समवायों में होने वाले कदाचरण को दूर किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

विधेयक में जानकारी देने वाले कर्मचारियों को स्थायी और पूर्ण संरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः कर्मचारी सही जानकारी नहीं देंगे । वे सब से पहले अपने रोजगार की चिन्ता करेंगे । जब तक उन्हें समवाय विधि-बोर्ड के विचारों का पता न लग जाये कि वह इस मामले में क्या कार्रवाई करना चाहती है, वे जानकारी देने के लिये आगे नहीं आयेंगे । जब गैर-सरकारी सेवाओं में पहले से ही नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, वे जानकारी देकर एक नया खतरा लेने की अपेक्षा चुप रहना ही पसंद करेंगे ।

मैं श्री दाडेंकर की इस बात से सहमत हूं कि समवायों की जांच के मामलों में न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होना चाहिये क्योंकि यह कर्मचारियों और नियोजकों, दोनों को मान्य होगा । ऐसे मामले नहीं के बराबर होंगे जिनमें उच्च न्यायालयों अथवा उच्चत्तम न्यायालय में जाने की आवश्यकता पड़ेगी ।

सरकार यदि वास्तव में विधेयक का उद्देश्य पूरा करना चाहती है तो जानकारी देने वाले कर्मचारियों को पूरा संरक्षण देने का उपबन्ध किया जाये । यदि किसी कर्मचारी को जो जानकारी देता है, नौकरी से निकाल दिया जाये तो उसे उसी वेतन पर किसी और समवाय में काम दिया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

**Shri Bade** (Khargon): Mr. Deputy Speaker, this is commendable that this Bill is purported to protect the employees coming forward to disclose the information in respect of any act of victimisation by the Companies whose affairs are being investigated by the inspectors. But the Bill is silent about the situation after the proceedings of the investigations are over. It provides protection to the employees during the pendency of the proceedings of the investigation. Actually the Government are providing nothing for the employees. This kind of temporary protecton will not serve the desired purpose of the Government.

There is another provision in the Bill that a company desiring to terminate the services of an employee will intimate to the company Law Board to this effect. If the Board fails to reply within 30 days of receipt of notice, the company will be at liberty to terminate the services of the employee or take any action against him. In such cases the employees should have the right of appeal to the Companies Tribunal. In this report the employees should be treated at part with the employer.

The aim of the Bill is laudable but the protection being given to the employees is temporary.

**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई-मध्य दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है किन्तु सरकार द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये जो कठिनाइयां अनुभव की जा रही है, यह विधेयक अपने वर्त्तमान रूप में उन्हें दूर नहीं कर सकता है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Debas) : There is no quorum in the House.

**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बज रही है.... अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

**श्री व० बा० गांधी** : विधेयक में कर्मचारियों को जो संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त और लाभदायक नहीं है, क्योंकि उनको सदा यह चिन्ता बनी रहेगी कि जांच पूरी हो जाने के बाद जब संरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा तो उन पर क्या बीतेगी। अतः विधरक में जब तक कर्मचारियों को पूर्ण तथा स्थायी संरक्षण देने का उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक कर्मचारी सही जानकारी देने के लिये आग नहीं आयेंगे।

मूल अधिनियम में पहले से ही इस बात का पर्याप्त उपबन्ध है कि जिन समवायों के मामलों की जांच हो रही हो उनसे जांच अधिकारी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस उपबन्ध का समुचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री उमानाथ** (पुट्टूकोटै): यद्यपि प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय प्रतीत होता है किन्तु वास्तविकता यह है कि सरकार सच्चे दिल से कर्मचारियों को संरक्षण देना नहीं चाहती है। विधेयक में केवल जांच की अवधि के दौरान तक ही संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। जांच पूरी हो जाने पर जानकारी देने वाले व्यक्ति को किसी भी रूप में तंग किया जा सकता है अथवा नौकरी से निकाला जा सकता है। जांच के बाद कर्मचारियों के हितों का ध्यान विधेयक में नहीं रखा गया हैं। जांच के दौरान भी संरक्षण सम्बन्धी तथा कथित उपबन्ध भ्रामक है क्योंकि नियोजक दण्ड देने के अतिरिक्त कर्मचारी के विरुद्ध को और अन्य कार्रवाई करके उसे तंग कर सकते हैं। इस कार्रवाई के लिये इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार किसी भी जानकारी देने वाले कर्मचारी को इस कठिनाई के युग में अनेक मुसीबतों का सामना करना होगा। अतः कोई भी कर्मचारी सही जानकारी देने के लिये जांच अधिकारियों के सामने नहीं आयेगा।

यदि सरकार को इस विधेयक का प्रारूप करते समय इन कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था उसे कर्मचारी संघ के नेताओं को बुलाकर इन समस्याओं पर उनकी सलाह लेनी चाहिये थी।

प्रधान मंत्री महोदय ने मंत्रि परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते समय कहा है कि सरकार समाज के कमजोर वर्ग को उठाने के लिये कटिबद्ध है। किन्तु इस प्रकार के विधेयक लाये जाने पर ऐसा लगता है कि सरकार वास्तव में निर्धन वर्ग के लिये कुछ करना नहीं चाहती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से वांछित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। यदि सरकार वास्तव में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना चाहती है तो उन्हें पूर्ण तथा

स्थायी संरक्षण दिया जाये जिससे वे निर्भीक हो कर जांच अधिकारियों के सामने सच्ची और पूरी जानकारी दे सकें ।

**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर ) : यह सराहनीय बात है कि किसी समवाय के मामले की जांच करते समय किसी कर्मचारी द्वारा तथ्यों के बारे में सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये विधेयक में कर्मचारियों को जांच के दौरान संरक्षण देने का उपबन्ध किया जा रहा है। किन्तु इसके साथ-साथ विधेयक के उपबन्धों के वर्तमान स्वरूप का अर्थ यह निकलता है कि किसीसमवाय को उसके कर्मचारी द्वारा की गई घोर अनुशासनहीनता, चोरी आदि के मामलों में भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के अधिकार से बंचित रखा गया है । ऐसे मामलों में प्रबन्धकों को पहले स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच सम्बन्धी कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाना चाहिये और तब उसके बाद उस मामले को समवाय विधि बोर्ड को सौंपा जाना चाहिये और बोर्ड का निर्णय नियोजक तथा कर्मचारी दोनों को मान्य होना चाहिये ।

प्रस्तुत विधेयक में किये गये वर्तमान उपबन्धों से नियोजकों का छंटनी करने का अधिकार समाप्त हो जाता है जो विधेयक के उद्देश्यों के प्रतिकूल है । नियोजकों द्वारा की जाने वाली छंटनी सम्बन्धी मामलों को विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिये क्योंकि इस सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम में पहले से ही उचित व्यवस्था है ।

इन शब्दों के साथ मैं विधयक का समर्थन करता हूं । मुझे विश्वास है सभी दलों के सदस्य इसका समर्थन करेंगे ।

**Shri Bagri** (Hissar) : The aim and objects of the Bill are laudable but the provisions contained therein are not happily worded.

The Bill makes it clear that the protection is limited to the duration of the pendency only. It disown the responsibility to protect the employee, if he is victimised after the investigation is over. In view of the position, if any employee discloses any information about the company in which he is employed first of all he will be black-listed for life. After the investigation is over, the management will pounce on the employee with all fury and dispense with him under one pretext or another. Therefore the employee should be protected against any action by the employer not only during investigation by the Inspector or during the pendency of any proceedings before the Tribunal but thereafter also. The provision regarding temporary protection of employees is by no means adequate. If Government really want to have full and factual information about the affairs of company at the time of investigation the employees should be granted full and permanent protection.

Government should enforce the laws more effectively.

The Capitalist class in the country exploit the poor. But Government do not dare to investite the afiffairs of these capitalists such as Birlas and Goinkas or take any action against them

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिये । वे कृपा करके अपने शब्द वापिस ले लें ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या हम बिड़ला हाउस का उल्लेख नहीं कर सकते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** नामों का उल्लेख नहीं होना चाहिये । हमें शिष्ट ढंग से चर्चा करनी चाहिये ।

**श्री हेडा :** मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि किसी माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक बिरला का प्रतिनिधि है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** उन्होंने यह तो नहीं कहा ।

**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** यह ठीक है हमें किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिये । मेरा निवेदन इतना ही है कि हमें सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहिये ।

**Shri Bagri :** I want to submit that there is great corruption prevalent in the Companies. Arrangement may be made that no party should get donations for fighting election. If this is not done then there is no sense in passing this Bill. and with this I finish.

**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा ) : उद्देश्यों और कारणों के बारे में दिये गये वक्तव्यों में यह कहा गया है, "निदेशपदों के अनुसार दालमिया जैन समवायों के प्रशासन की जांच करने वाले आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं।" यह विधेयक बोस आयोग के प्रतिवेदन का परिणाम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किस विधेयक पर बोल रहे हैं ।

**श्री गो० ना० दीक्षित :** मैं समवाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1964 पर बोल रहा हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** हम विधेयक संख्या 53 पर चर्चा कर रहे हैं । श्री काशी राम गुप्त ।

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar) : I am of the opinion that in spi te of my best intention we will not be able to give adequate protection to the employees. Inquiries will also be done with a revengeful spirit. I want to draw the attention of Minister towards the inadequate phraseology. Something more ought to be added to it according to the suggestion of previous speaker.

What about those who open big secrets before the inspectors ? How are they to be protected ? I hope the Honourable Minister will devise some means to protect such persons. As it is very difficult tocome forward against the employers, we must also know that employers have also become very alert, they also see that nobody goes against them. We should not create situation by which the source may become impossible. Employees are also now up to meet this challenge. Therefore all possible efforts should be made to give protection to the employees who would like to show some patriotic spirit.

**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड-उत्तर) : गत कुछ वर्षों में समवाय विधि में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किये गये हैं। धारायें लगभग दुगनी हो गई हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार

[डा० सरोजिनी महिषी]

को समवाय विधि में संशोधन करने वाला इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व काफी विचार कर लेना चाहिये था। यह जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है इसके अनुसार धारा 635 (क) में कुछ धाराओं को सम्मिलित करना है। इसके अन्तर्गत जो संरक्षण कर्मचारियों को दिया जाने वाला है मेरे विचार में वह अपर्याप्त और अस्थायी है।

मेरा निवदन है कि अब तक कर्मचारियों को, इंस्पेक्टर को जानकारी देने में अपने नियोजकों की अप्रसन्नता मोल ले कर भविष्य में अपने संरक्षण का खतरा बना रहेगा, वे जानकारी देने के लिये तैयार नहीं होंगे। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कर्मचारियों को दिये जाने वाले संरक्षण का दुरुपयोग न हो क्योंकि इस से कर्मचारियों में अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा की भावना पैदा हो जायेगी।

नियोजकों को संरक्षण देना सरकार का कर्त्तव्य है। अतः मेरा निवेदन है कि यद्यपि यह संशोधन बड़ा सरल और छोटा है परन्तु परिणाम बड़े जटिल निकल सकते हैं। इसलिए अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाना चाहिये

**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु इस दिशा में एक बात मैं विशष रूप से कहना चाहता हूं। वह यह कि ठीक है कि कर्मचारियों को संरक्षण मिलना चाहिए। परन्तु इसके साथ यह आवश्यक है कि नियोजकों को अनावश्यक तौर पर तंग नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार में इस कानून के अन्तर्गत और विशेष है इस संशोधन के स्वीकार हो जाने के पश्चात् कर्मचारी तो सुरक्षित हैं परन्य नियोजकों को अधिकारी अवश्य परेशान करते हैं। मेरा निवदन है कि विधेयक के उपबन्धों को उचित रूप से रखा जाना चाहिए ताकि विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सके। और विधेयक को कार्यान्वित करते समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे इस निवेदन की ओर ध्यान देंगे और अन्तिम निर्णय करते समय इन बातों को अवश्य अपने समक्ष रखेंगे।

**श्री ब० रा० भगत** : मैं सदन का आभार मानता हूं कि उसने एक मत से इस विधान का समर्थन किया है। जो भी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बात यह है कि कर्मचारियों को तंग किये जाने के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं है। और दूसरा यह कि विधान को इतना अवश्य स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि ठीक चल रहे मालिकों को अपने कर्मचारियों के गलत कृत्यों का नियंत्रण करने का अवसर उन्हें अवश्य मिलता रहे।

धारा 334 के अन्तगत : यह आशंका कि रजिस्ट्रार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सूचना मांगी जाने का अर्थ यह होगा कि उस समवाय की जांच होगी और असली नियोजक कठिनाई में फंस जायेगा, सर्वथा निर्मूल है क्योंकि मूल अधिनियम में भी इस भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। रजिस्ट्रार द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी अन्ततः जांच का अंग नहीं बनेगी। यदि यह प्स्तावित उपबन्ध किसी प्रकार वर्तमान रूप में विधेयक में न जोड़ा जाए तो बेईमान नियोजक स्थिति का अनुचित लाभ उठायेंगे।

सरकार की यह इच्छा है कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से जानकारी देगा, उसे जांच पूरी हो जाने पर भी अनुचित ढंग से न निकाला जाये। इस समय इसका यही उपाय सोचा गया कि कम से कम जांच के दौरान कर्मचारियों को परेशान न किया जाये। सदा के लिये संरक्षण के विचार को कानूनी रूप देने में कुछ व्यावहारिक कठिनाई है। तथापि, सरकार इस बारे में और विचार करेगी कि क्या बाद में ऐसा करना संभव हो सकेगा। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस कानून के द्वारा नियोजकों पर, जब कि उन के पास इसकी जानकारी रखने के साधन नहीं हैं, कोई उत्तरदायित्व थोपने का इरादा नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन के समक्ष परा:स्थापित करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

खंड 2. (नया उपशीर्षक लगाना, तथा अधिनियम 1, 1956 की धारा 635(क) के बाद धारा जोड़ना।)

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

मेरा निवेदन यह है कि जिस व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जा रहा है उसे यह अवश्य पता रहना चाहिए कि ऐसा किस दिन से हुआ है मैं इस बात पर सहमत हूं कि यह सिद्धांत रूप से ठीक है और यह दायित्व कब समाप्त हो जाता है, उस तिथि का भी कर्मचारी को पता होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त समवाय अधिनियम की धारा 235 और 237 के अन्तगत दायित्व इंस्पैक्टर के नियुक्त होने की तिथि से ही आरम्भ हो जाता है।

यह बहुत आवश्यक है कि जांच उस तिथि को आरम्भ हुई मानी जानी चाहिये जिस तिथि को कि समवाय को निरीक्षक की नियुक्ति की सूचना मिले अथवा जिस तिथि को कि समवाय को सरकार को जानकारी देने के लिये कहा जाये। सरकार को इस संशोधन को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि सरकार कोई अन्य ठीक ठीक परिभाषा सुझाने के लिये तैयार है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार कर लूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि किसी समवाय के विरुद्ध इस नई विधि के अन्तर्गत कोई कार्यवाही किये जाने की तिथि के बारे में उस समवाय को निश्चित जानकारी होनी चाहिये।

मेरे पहले संशोधन के दूसरे तथा तीसरे भाग का अभिप्राय यह है कि जांच की अवधि स्पष्ट की जानी चाहिये और इस सब को अनिश्चित नहीं रखा जाना चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन इस आशय का है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिये। इस प्रकार का कानून पास करना उचित नहीं है जो न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात करता हो।

**श्री ब० रा० भगत** : ऐसी बात नहीं है कि समवाय जांच के दौरान अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है परन्तु उसे समवाय विधि बोर्ड को ऐसा करने के कारणों से अवगत कराना होगा। माननीय सदस्य का कहना है कि पूर्व सूचना दिये जाने पर ही समवाय को जवाबदेही के लिये कहा जा सकता है। परन्तु हमारे पास ऐसे उदाहरण

[श्री ब० रा० भगत]

हैं कि अध्यादेश के जारी होने से केवल एक दिन पहले यह कार्यवाही की गई । समवायों को किसी न किसी तरह यह मालूम हो जाता हैं। इस विधान का उद्देश्य बुरी नीयत से की गई कार्यवाही को रोकना है । अच्छी भावना से किये गये मामलों में इससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होने वाली है । समवाय को अपनी शिकायत की सुनवाई के लिये बहुत से साधन उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिये । जब इस धारा को बनाया गया तो अधिनियम में यह उपबन्ध था कि न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध केवल विधि से सम्बन्धित बातों के आधार पर अपील की जा सकती है तथा वास्तविक स्थिति के आधार पर नहीं । चूंकि इन मामलों का विधि से कोई सम्बन्ध नहीं होता है इसलिये न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

जांच की अवधि एक वर्ष निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि अधिकांश मामलों में समवाय जांच के काम में सहयोग नहीं देते और न्यायालयों में अपना मामला ले जाते हैं जहां पर मामले के निर्णय में दो दो, तीन तीन वर्ष लग जाते हैं। जब जांच निकाय नियुक्त किया जाता है, अवधि पहले ही निर्धारित कर दी जाती है ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 तथा 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**Amendment Nos. 1 and 2 were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 2 was added to the Bill.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**Clause 3 was added to the Bill.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

**Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted.**

---

## अनुदानों की अनूपूरक मांगें (सामान्य) 1964–65

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1964-65

वर्ष 1964–65 के लिये सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 53 | दिल्ली . . . . . | 50,00,000 |
| 78 | पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 3,43,44,000 |
| 93 | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . . . | 4,25,00,000 |
| 126 | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . | 1,000 |
| 129 | उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . . . . | 10,00,000 |
| 131 | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय का पूंजी व्यय . . | 50,00,000 |
| 134 | श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय . . . | 8,25,000 |
| 136 | इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी व्यय . | 1,000 |
| 139 | असैनिक उड्डयन मंत्रालय का पूंजी व्यय . . . | 1,000 |
| 141 | लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी व्यय . . . | 1,00,00,000 |

वर्ष 1964–65 के लिये सामान्य आयव्ययक के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | रुपये |
| 53 | 4 | श्री स० मो० बनर्जी | दिल्ली में बदअमनी रोकने के लिये पुलिस उपायों को कड़ा करने की आवश्यकता | 100 |
| 78 | 5 | श्री स० मो० बनर्जी | तेल के मूल्य तथा विदेशी समवायों के साथ समझौता | 100 |
| 93 | 6 | श्री स० मो० बनर्जी | पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न शिविरों में उचित रूप से बसाने की आवश्यकता | 100 |
| 126 | 7 | श्री स० मो० बनर्जी | सस्ती दुकानों के जरिए वितरण के लिए उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में विदेशी गेहूं देने में असफलता | 100 |
| 129 | 8 | श्री स० मो० बनर्जी | सीमेंट का ठीक प्रकार से वितरण करने की आवश्यकता | 100 |
| 134 | 9 | श्री स० मो० बनर्जी | कोयला तथा अभ्रक खान श्रमिकों के लिये उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोलना | 100 |
| 139 | 10 | श्री स० मो० बनर्जी | असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा विमान नियंत्रण प्रणाली का लागू किया जाना | 100 |

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभी अनुपूरक मांगें तथा कटौती प्रस्ताव सभा में विचार के लिये प्रस्तुत हैं ।

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मांग संख्या 53 पर बोलते हुए मैं अपराध जांच विभाग को सुदढ़ करने की पुरजोर सिफारिश करूंगा । भारत की राजधानी नई दिल्ली में अभी हाल में भारत के सालीसिटर-जनरल श्री सान्याल की नृशंस हत्या कर दी गई । इस तरह के अन्य बहुत से मामले हैं जिनमें अभी तक अपराधी का पता नहीं लगाया गया है । यह बड़ी विचित्र बात है कि इस विभाग द्वारा की जाने वाली जांच के विरुद्ध कुछ लोग आपत्ति करें । 11 सितम्बर, 1964 के "स्टटसमैन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उड़ीसा के कुछ मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनके नाम "सीराज्जुद्दीन" नाम की फर्म के बहीखातों में पाये गये थे, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये भेजे गये अपराध जांच विभाग के अधिकारियों के काम में सब तरह की बाधायें उपस्थित की गईं और उनके भेजे जाने पर असन्तोष प्रकट किया गया । इस सम्बन्ध में मेरे स्थगन प्रस्ताव को नियम बाह्य ठहरा दिया गया । परन्तु यह विभाग गह-कार्य मंत्रालय का एक अंग है और संसद का यह कर्त्तव्य है कि यह विभाग प्रभावशाही ढंग से कार्य करे और राष्ट्र के पैसे को लूटने वाले तथा अन्य अपराधियों को पकड़ कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करे । मैं "स्टटसमन" में प्रकाशित इस समाचार से भी चकित हुआ हूं कि श्री अतुल्य घोष ने, जो इस सभा के सदस्य होने के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, कहा है कि पुलिस अधिकारियों के उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये भेजे जाने के प्रति उड़ीसा कांग्रेस ने बहुत नाराजगी जाहिर की है । श्री घोष का मत है कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों को इन आरोपों की जच करने के लिये भेजा जाना चाहिये था । सत्तारूढ़ दल को पुलिस के कार्य में रुकावट डालने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार को खत्म करना प्रत्येक देशवासी का कर्त्तव्य है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि मंत्रियों को सशय रहित होना चाहिये और आरोप लगाये जाने पर उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिये । परन्तु उड़ीसा के मुख्य मंत्री जैसे व्यक्ति ने प्रधान मंत्री के इस कथन की अवहेलना की है । इस सभा के कुछ सदस्यों तथा उड़ीसा विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार को पेश किये गये आरोप-पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सरकार की ओर से ढील बरते जाने के परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों के हौंसले बढ़ गये हैं और मेरे राज्य उड़ीसा में आतंक का बोलबाला है । विधि मंत्रालय तथा भूतपूर्व सालीसिटर-जनरल श्री सान्याल ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया था कि 1952 के अधिनियम के अन्तर्गत इस मामले की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये और कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि मामले के दायर किये जाने से जांच आयोग के नियुक्त किये जाने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । इन वाकयात के पश्चात् पुलिस की सहायता से लोगों पर जुल्म ढाये जा रहे हैं और इस प्रकार केवल विरोधी सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के व्यक्तियों से सरकार की बकाया राशि वसूल की जा रही है । सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि वह 1952 अधिनियम के अन्तर्गत जांच आयोग नियुक्त करने जा रही है अथवा नहीं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं भी माग संख्या 53 पर बोलना चाहती हूं जिसका सम्बन्ध अपराध जांच विभाग तथा दिल्ली पुलिस से है । भारत के सालिसिटर-जनरल श्री सान्याल को प्रधान मंत्री के घर से थोड़ी ही दूरी पर बड़ी बेरहमी से मार डाला गया । जिस प्रकार इस मामले की जांच की जा रही है उससे लोगों में आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं । सभी समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी श्री सान्याल जिन्दा थे । जब उन्होंने उसको जल्दी से अस्पताल ले जाने के लिये ड्राइवर से कार लाने के लिये कहा तो ड्राइवर ने कह दिया कि कार खराब है जब कि अगली सुबह वह बिल्कुल ठीक पाई गई । यह तथ्य बताये जाने पर भी ड्राइवर को हिरासत में नहीं लिया गया है अपितु पुलिस अधिकारी उसका पक्ष ले रहे हैं । श्री सान्याल के एक सम्बन्धी के अनुसार श्री सान्याल ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक दरबान रखने की इच्छा प्रकट की थी और अपने कमरे में टेलीफोन कनेक्शन भी लगवा लिया था । श्री सान्याल के एक रिश्तेदार ने पुलिस को यह भी कहा था कि उनकी मृत्यु से तीन दिन पहले श्री पटनायक उनके घर पर गये थे और श्री पटनायक का उनसे झगड़ा हो गया था । परन्तु इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । ड्राइवर दुबे ने श्री सान्याल के हस्तपताल ले जाने के बाद श्री सान्याल की भतीजी को टेलीफोन पर "हरि ने मार डाला ।" शब्द कहे जाने पर भी पुलिस ने उससे कोई तहकीकात नहीं की है । श्रीचन्द के मामले को सदाचार समिति के सामने ले जाये जाने से भी हमारे मन में सन्देह पैदा हो गया हैं क्योंकि यदि वह बम्बई जाना चाहता था तो शाहदरा जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ।

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : क्या माननीय सदस्या यह सब कहना उचित समझती है ?

**श्री प्र० के० देव :** यह मामला अभी न्यायाधीन नहीं है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : समाचारपत्रों में परस्पर विरोधी समाचार आ रहे हैं । मजिस्ट्रट के सामने श्री ब्रह्मदत्त ने, जिसे पहले शर्मा कहा जाता था, कहा है कि उसने श्रीचन्द को गृह मंत्री के घर जाने के लिये यह कह कर उकसाया था कि वह वहां पर एक डाक्टर को जानता है जो उसे सर्टीफिकेट दे देगा । यह बयान पुलिस के महानिरीक्षक के बयान से भिन्न है । पुलिस आरम्भ से ही यह कहती रही है कि यह चोरी का मामला है परन्तु धन की चोरी तो दिन में भी की जा सकती थी जब कि वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था । अपराध जांच विभाग को इन सब बातों के बारे में छानबीन करनी चाहिये ।

जिस ढंग से श्री सान्याल की हत्या की गई है उसे देहली में जनजीवन को खतरा पैदा हो गया है । हो सकता है कि बहुत कम लोगों के घर में 75,000 रुपये हों, किन्तु यदि यह हत्या राजनीतिक कारणों से की गई है तो यह खतरा प्रत्येक के लिये सदैव बना ही रहेगा । जिस प्रकार इस हत्या के मामले की जांच की जा रही है उससे लोगों के मन में आशंकायें पैदा हो गई हैं । संसद को तथा जनता को इस बात का पता लगना चाहिये कि क्या पुलिस वास्तविक अपराधियों का पता लगाने के लिये सचमुच कार्रवाई कर रही है ।

अब मैं अनुदानों के लिये अनुपूरक मांग संख्या 93 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह मांग दण्डकारण्य से सम्बन्धित है । इस बारे में मैंने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना भी दी थी किन्तु मंत्री महोदय ने वक्तव्य सभापटल पर रख दिया जिससे हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने

का अवसर नहीं मिला। वहां पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों को जो भूमि दी गई है वह ऊसर और छिद्रल है। वहां पर एक बड़ी सिंचाई योजना तो चालू की गई है किन्तु अभी तक कोई भी छोटी सिंचाई योजना चालू नहीं की गई है। अनेक स्थानों पर पानी का बहुत अभाव है। सरकार ने उन लोगों को भी, जिन्हें दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के माना शिविर में ले जाया जा रहा है, भूमि देने में असमर्थता व्यक्त की है। उन्हें अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा है।

वहां पर शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ब्लैक बोर्डों, पुस्तकों आदि की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। जहां तक नगरीय और अर्द्ध-नगरीय पुनर्वास का सम्बन्ध है, वहां पर यह देखा गया है कि उन औद्योगिक परियोजनाओं में जिन पर बहुत अधिक धन व्यय किया गया है, लोगों को बसाया नहीं जा सका है। इन औद्योगिक परियोजनाओं से बहुत कम लाभ हुआ है।

यह दुःख की बात है कि दण्डकारण्य प्रशासन पर प्रतिवर्ष अनावश्यक रूप से काफी राशि व्यय की जाती है। किन्तु वहां पर लोगों को बसाने का कार्य संतोषजनक नहीं हो रहा है। इस धन के अपव्यय को रोकने के लिये वहां पर सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी होने चाहिये।

यह उचित नहीं है कि दण्डकारण्य प्रशासन में योग्य प्रशासकों को टिकने नहीं दिया जाता है। वहां पर भाई भतीजावाद चल रहा है। यह बात न्याय संगत नहीं है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के प्रशासक का पद, प्रधान के होते हुए पृथक रखा गया है। हम नहीं चाहते कि नीति निर्माता और उसको क्रियान्वित करने वाले पृथक व्यक्ति हों। कोई कारण नहीं कि पूर्ण कालिक प्रधान को नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने के पूरे अधिकार न सौंपे जायें। इन बातों से जनता में असंतोष है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

(श्री सोनावने पीठासीन हुए
Shri Sonavane *in the Chair*)

इस प्रकार की विभिन्नता को शीघ्र दूर किया जाये तभी वहां पर कार्य सुचारु रूप से चल सकता है।

अब मैं अनुपूरक मांग संख्या 136 के बारे में कुछ कहूंगी। आयल इण्डिया को 9 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश की प्रत्याभूति दी जाती है जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। इस से हमारे राजकोष पर बहुत बड़ा भार पड़ता है।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : महोदय, मैं केवल माग संख्या 31. 53, 126 और 129 पर बोलूंगा। यह प्रशंसनीय बात है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को उचित रूप से कार्य करने के लिये अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं।

आज बहुत से धनी तथा प्रतिष्ठावान व्यक्ति विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन करने के दोषी पाये गये हैं। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि ऐसे कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं जिनमें विदेशी मुद्रा विनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये गये हैं। पिछले दिनों प्रवर्तन

[श्री स० मो० बनर्जी]

निदेशालय ने कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में बहुत से छापे मारे हैं । ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के घरों पर तथा व्यापारिक स्थानों पर छापे मारे हैं उनमें मंत्रिमंडल के सदस्यों के सम्बन्धी शामिल हैं। जिनके घरों पर छापे मारे गये थे उन में से कुछ को छोड़ कर शेष व्यक्तियों के नाम नहीं बताये गये थे । सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिये और सबके नाम बताने चाहिये ।

श्री सन्याल की हत्या रहस्यमय ढंग से हुई प्रतीत होती है । मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या स्वर्गीय श्री सन्याल के पास उड़ीसा से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे । क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा पूछ ताछ के लिये उड़ीसा भेजे गये केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कर्मचारी की वहां की जनता ने किसी प्रकार की सहायता नहीं की ? सरकार इसके कारणों के बारे में स्पष्टीकरण दे । वर्ष 1946 में आई० सी० एस० के एक वरिष्ठ अधिकारी की भी इसी तरह उड़ीसा में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई थी । अतः सरकार को स्थिति स्पष्ट करके जनता के संदेह को दूर करना चाहिये ।

यह दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति अत्यन्त गंभीर है । उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने अपने संवाददाता सम्मेलन में यह स्वीकार किया है कि वहां पर विशेषतः पूर्वी जिलों में, बड़ी संख्या में लोग चाहे भूखों नहीं मर रहे किन्तु वे केवल दिन में एक बार भोजन कर रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्र से उचित ढंग से खाद्यान्नों का वितरण न किये जाने के कारण वहां पर स्थिति खराब हुई है । इसके बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था जो अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । सरकार को उत्तर प्रदेश के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न देने चाहिये अन्यथा वहां पर अकाल की स्थिति पैदा हो जायेगी जिसके परिणाम अत्यन्त गंभीर होंगे ।

यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि कलकत्ता से प्राप्त समाचारों के अनुसार वहां पर खाद्यान्न सड़ रहे हैं और उन्हें जमीन के नीचे दबाया जा रहा है । सरकार इस मामले की जांच करे ।

सरकार को विभिन्न स्थानों में खाद्यान्न के भांडागारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज जमा करना चाहिये । यह तभी संभव हो सकता है जब वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाये ।

सरकार को बताना चाहिये कि पूर्वी क्षेत्र के खाद्य निदेशालय के 1200 कर्मचारियों को फालतू घोषित क्यों किया गया है ।

सरकार उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में, जहां पर आयात किया हुआ गेहूं उपलब्ध नहीं है, उचित मूल्य की दुकान खोलने की दिशा में क्या कदम उठा रही है ।

अब मैं सीमेन्ट के बारे में कुछ कहूंगा । मुझे बताया गया है केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को सीमेन्ट का कोटा दिया जाता है । केन्द्र द्वारा दिये गये कोटे का दस प्रतिशत भी ग्रामीण

क्षेत्रों में कुंए बनवाने के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता है । इसका यह परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो 25,000 कुंएं बनने नहीं बन सके और पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में यह अभाव बना ही रहा । अतः मेरा अनुरोध है कि सारा सीमेन्ट बड़े भवनों के निर्माण के प्रयोग में न ला कर कम से कम 40 प्रतिशत सीमेन्ट कुओं के निर्माण में प्रयोग किया जाना चाहिये ।

अब मैं उपभोक्ता सहकारी समितियों की दुकानों बारे में मंत्री महोदय से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं । वर्ष 1963 में यह निर्णय किया गया था कि सभी उद्योगों द्वारा अपने श्रमिकों को सस्ते भाव पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं देने के लिये उपभोक्ता सहकारी समितियां बनाई जायं । किन्तु अभी तक किसी भी नियोजक ने इस निर्णय को कार्यरूप नहीं दिया है । इससे आज उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय को अपने दिये हुए बचन का पालन करना चाहिये ।

कुछ उद्योगों में जहां पर सस्ते मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं वहां पर काफी सफलता पूर्वक कार्य चल रहा है । यह निश्चित है कि खाद्यान्नों के मूल्य कम नहीं होंगे । अतः सरकार को देश में अधिक से अधिक संख्या में उचित मूल्य वाली दुकानें खोलनी चाहियें और इन दुकानों पर राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न बेचे जाने चाहिये ।

अन्त में मैं उन 114 बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिनकी मृत्यु मई और जून 1964 के बीच पारगमन में हुई थी । ये बच्चे शरणार्थियों के थे । मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाली सूचना अस्वीकृत कर दी गई थी । उस समय कहा गया था जलवायु अनुकूल न होने से इन बच्चों की मृत्यु हुई थी । मंत्री महोदय बतायें कि माना शिविर की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं और क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि अब किसी बच्चे की मृत्यु शिविर की खराब स्थिति के कारण नहीं होगी ?

**श्री व० वा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण ) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 31, 39, 53, 104 और 133 के बारे में जिनका सम्बन्ध सरकार और ठेकेदारों के बीच होने वाले लेन देन से है, कुछ कहना चाहता हूं । ये मांगें प्रायः इस लिए प्रस्तुत की गई हैं क्योंकि सरकार के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी के पक्ष में दी गई डिक्रियों का भुगतान करने के लिये धन की आवश्यकता है । ऐसे अनेक मामले सामने आये हैं जिनमें सरकार को प्रतिकर के रूप में काफी धन लोगों को देना पड़ता है । ऐसे मामलों में जहां तक संभव हो, न्यायालयों की शरण न लेकर समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिये जिस से ऐसा प्रतीत न हो कि इस प्रकार के कार्यों से किसी को किसी प्रकार परेशान किया जा रहा है ।

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*}

अनेक मामले ऐसे होते हैं जिनमें सहानुभूति की आवश्यकता होती है उनमें सहानुभूति से निपटारा किया जाये ।

**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा ) : अध्यक्ष महोदय मैं विशेष रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित मांग संख्या 93 पर बोलना चाहती हूं । यह प्रसन्नता की बात है कि श्री महावीर त्यागी जैसे उदार और उत्साही व्यक्ति ने पुनर्वास मंत्रालय का भार

[श्रीमति रेणुका राय]

संभाला है । उन्होंने जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चालू किया है वह एक सराहनीय कार्य है । इससे अनेक समस्यायें हल करने में काफी सहायता मिलेगी । पश्चिम बंगाल में शणार्थियों की अवशिष्ट समस्याओं को अभी तक हल नहीं किया गया है । सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि जो लोग पहले आये हैं और जिनको पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें नहीं मिली हैं, उनको अब ये सुविधायें दी जायें ।

यह बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार पर जितनी राशि व्यय की गई है उसको मात्रा को देखते हुये पता चलता है कि इसे समुचित लाभ नहीं हुआ है । इस प्रकार धन का अपव्यय करना शरणार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करना है । मैं मंत्री महोदय से पूछती हूं कि यात्राभत्तों तथा दैनिक भत्तों के लिये इतना धन क्यों दिया जाता है ? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि सारे मामले पर पुनर्विचार किया जाये जिससे उस प्राधिकार की हालत सुधर सके ।

प्राधिकार का भार श्री सुकुमार सेन तथा श्री शेबल जैसे योग्य तथा उदार व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिये । ये लोग सच्चे अर्थों में लोगों के दुःखों को अनुभव करके उनकी मदद करते हैं । आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दे कर प्राधिकार को उन्नत बनायेंगे जिससे समस्यायें आसानी से हल हो सकेंगी ।

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी)** : विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा की गई ठोस आलोचना का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी माननीय सदस्य शरणार्थियों के शुभ चिन्तक हैं । शरणार्थियों की दशा सुधारने तथा उनको बसाने के बारे में सभा के किसी भी वर्ग की ओर से यदि कोई ठोस सुझाव दिया जाता है तो मैं उसका सहर्ष स्वागत करूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का यह सोचना गलत है कि सरकार दण्डकारण्य प्राधिकार में बंगाल के अधिकारी नहीं चाहती है । इस प्रकार प्रान्तीयता की भावना पैदा करना उचित नहीं है । हम सब एक राष्ट्र हैं कहीं के भी अधिकारी वहां पर नियुक्त किये जा सकते हैं ।

श्री बनर्जी तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने श्री गुप्ता द्वारा दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की घटना के बारे में कुछ आपत्ति प्रकट की है । ऐसा कहा गया है कि मैंने उन्हें त्यागपत्र देने के लिये उत्तेजित अथवा मजबूर किया है । किन्तु ऐसा सोचना गलत है । मैंने वहां पर एक बैठक में अध्यक्ष के अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण दिया था जिससे वह सहमत नहीं हुए और वह चाहते थे कि वह प्रत्येक छोटे से छोटे काम में भी हस्तक्षेप करे। इस पर उन्होंने अपना त्यागपत्र भेज दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया ।

पुराने शरणार्थियों के लिये 22 करोड़ रुपये मंजूर किये जाने थे परन्तु नये शरणार्थियों को बसाने और उन की सहायता करने की तरफ हमारा ध्यान चला गया इसलिये वह योजनायें वहीं रह गयीं । 9 करोड़ रुपया हाल ही में मंजूर किया गया है और 13 करोड़ और लगभग मंजूर किया जा चुका है । हम पुराने शरणार्थियों की ओर पूरा ध्यान देंगे । यदि श्रीमती रेणुका राय कोई सुझाव दें तो मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करूंगा ।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि श्री गुप्त ने जिन शिक्षा संबंधी कमियों की चर्चा अपने त्याग पत्र में की यदि वह कमियां पाई गयीं तो उन्हें अवश्य दूर किया जायगा । उन शिविरों में 189 स्कलों में 14,455 छात्र हैं । यह कहना गलत है कि शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है ।

प्रशासन का व्यय 110 लाख था परन्तु श्री गुप्त ने बजाय इसे कम करने के स्वयं जो प्रस्ताव भेजे थे वह 110 लाख की बजाय 124 लाख रुपये के थे । श्री गुप्त ने कभी इस व्यय के बारे में मंत्रालय को नहीं लिखा । इसलिये प्रशासन व्यय की आलोचना करना आश्चर्य की बात है । श्री गुप्त ने यात्रा भत्ते सम्बंधी बिलों की भी आलोचना की है । मैं सभा को बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्री सुकुमार सेन का जो तब डी० डी० ए० के प्रधान थे, यात्रा भत्ता प्रति मास 536 रुपये आता था जब कि स्वयं श्री गुप्त का 916 रुपये प्रति माह आता था । परन्तु इस के बावजूद भी मैं इस मामले की जांच करूंगा । भ्रष्टाचार पाये जाने के बारे में जो कुछ कहा गया है उसकी भी समुचित ढंग से छानबीन की जायेगी ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये 144 गांव स्थापित किये जा चुके हैं और 50 गांव पहले ही हैं । 48,000 एकड़ भूमि विस्थापितों को और 18,000 एकड़ आदिम जातियों के लोगों को दी गयी है । सड़कें काफी बनी हुई हैं और सिंचाई सुविधाओं के लिये पूरे प्रयास किये जा रहे हैं ।

**श्री बड़े** : परन्तु वहां पर 1000 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है । अस्पताल नहीं हैं, डाक्टरों की कमी है ?

**श्री त्यागी** : हमें खेद है कि श्री गुप्त उन शिविरों के इनचार्ज थे और वहां कठिनाईयां हुई परन्तु अब स्थिति में सुधार हो गया है ।

पंकजने टैंक से 1300 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । मलकनगिरी बांध से 37,500 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । परालकोटे बांध पर भी काम हो रहा है । यह सभी सिंचाई योजनायें सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करेंगी ।

इन शब्दों के साथ मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उन पर विचार किया जायगा ।

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : The Chief Minister of U. P. who belong to Congress Party, gave a statement recently that the Centre failed to keep its promise for the supply of foodgrains because of which there was scarcity of food in the rural areas. This is most deplorable state of affairs and therefore I believe that the present situation is man-made and not God-made.

**Shri Tyagi :** The Chief Minister of U. P. came to New Delhi recently and it was decided to supply them one lakh and 5 thousand tons of food-grains. The shortage will be met shortly.

**Shri Yashpal Singh** : The Chief Minister of U. P. gave this statement only two or three days back. Government should ensure people that food-grains would be supplied and they would be saved from starving.

Today we find people standing in long queues for almost all the essential commodities. The cup of patience of the masses is full to the brim. I want to know the definite reasons why Government have failed to meet the situation, why it has failed to save people from starvation. Even if our

[Shri Yashpal Singh]

Government give a definite assurance that the situation will be faced satisfactorily we shall be satisfied with that. But the Spokesmen of the Government, our Ministers and Shrimati Vijayalaxmi Pandit and even our President has admitted that our Government have failed and its policies have proved abortive. It has failed to come upto the expectations. On the defence front as well as on the food front its efforts have ended in fiasco. Therefore Government should formulate and make public a definite policy regarding the supply of food.

The Zonal system of foodgrains has proved harmful to the interests of the nation and hence it should be ended forthwith.

Our Government is punishing poor people for minor lapses on their part but it failed to take effective action against smugglers, hoarders and profiteers. Unless Government are able to check this kind of corruption situation cannot improve.

**Shri Sheo Narayan** (Bansi): Our Congress Government are responsible for starvation which has spread in the eastern parts of U. P. especially. The statement of U. P. Chief Minister is very painful in this connection. The Centre has failed to keep its promises in regard to supply of foodgrains to U. P.

**Shri Rameshwara nand** (Karnal) : On a point of Order, Sir. Congress Members join in the Opposition in severely criticising the Government but at the time of Division during the No Confidence Motion they vote for the Government. Do such Members deserve to be Members of Parliament who vote against their conscience ?

**Mr. Speaker :** It is not a question of disobeying the voice of conscience. Members try to make each others understand things but their views undergo a change when they hear speeches from the other side.

**Shri Sheo Narayan** : We only give suggestions, so that our Government work along right lines. In keeping with the assurance given by Shri Tyagi Government should arrange to send foodgrains to U. P. immediately.

Government should remove the difference in salaries of State and Central employees so that the resentment in them may be gone and they may work sincerely.

Government should provide irrigation facilities in the rural areas by implementing small irrigation schemes and by establishing small scale industries it should make available chances of employment.

I hope our Government under the leadership of Shri Shastri will be able to rise up to the occasion and mitigate the miseries of the people.

With these words I support the Supplementary Demands for Grants.

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : I want to speak on Demands Nos. 37, 53, 126, 136 and 141. I think the amount earmarked for the rehabilitation of refugees is not adequate and more funds should be allocated for this purpose.

No doubt there are about 189 schools but the students there are not provided with required articles like slates and books. Moreover school buildings are so dilapidated. Similarly in the hospitals conditions are worse. Somewhere there are no doctors and at other place there are no medicines. The figures in connection with the schools and hospitals are there only on the papers. In fact the conditions are most deplorable. Recently about a thousand children died as a result of lack of medical and other facilities. In Dandakaranya there is no adequate arrangement of water. People are given pulse worth an anna and quarter seer of rice each. This is not a good arrangement. They should be given cash money.

Lands should be distributed among the displaced persons on equitable basis. There should not be any favouritism in this matter. Security measures ought to be strengthened.

Politechnics should be opened in larger numbers in order to accommodate students desirous of getting technical education. Their present number is inadequate.

The condition of students of scheduled castes who are living in hostels is pitiable. Articles of necessity are not supplied to them adequately. It should be remedied.

Irrigation and power facilities are not adequate. Dams should be so constructed that they may withstand the onslaughts of natural calamities.

Government have failed to increase production in the country and consequently for foodgrains we have been forced to defend on U. S. A. We have no adequate arrangement of taking out foodgrains from the ships. For that also we are dependent on foreigners. This is a very deplorable state of things. Government should therefore lay more emphasis on food production. Farmers should be given more facilities with that end in view.

**Mr. Speaker:** While speaking in this House the hon. Members should avoid expressions like ' Are Baba ".

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : पुलिस सुरक्षा की अधिक सुदृढ़ बनाने के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं हम उनका स्वागत करते हैं । हमने कई कदम इस सिलसिले में उठाये भी हैं ।

श्री सान्याल की मृत्यु शोकजनक स्थिति में हुई । जहां मैं सुरक्षा व्यवस्था को सुदढ़ करने संबंधी सुझावों का स्वागत करता हूं वहां मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समाचारपत्रों के आधार पर इस मामले की छानबीन संबंधी जिस साक्ष्य की सूचना उन्हें मिली है उसकी चर्चा न करें । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कुछ इस प्रकार के तर्क दिये जो बचाव पक्ष की ओर से दिये जा सकते हैं । जैसे, उन्होंने बताया कि जब श्री सान्याल को अस्पताल में ले जाना था तो उनके नौकर ने बताया कि कार खराब है परन्तु बाद में वह कार ठीक स्थिति में पाई गयी । इसलिये उस नौकर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? ऐसे तर्क सभा में नहीं दिये जाने चाहिएं । मैं उनका उत्तर नहीं दे सकता ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं । यदि किसी सदस्य के पास कुछ सूचना है तो उसे दे देनी चाहिए परन्तु साक्ष्य संबंधी चर्चा सभा में यदि की जाती है तो उससे जांच पर प्रतिकूल

[अध्यक्ष महोदय]

प्रभाव पड़ सकता है। इस विषय में सभा के निश्चित नियम हैं। मुझे खेद है कि उनका पालन नहीं किया गया ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं तो यह कहना चाहती थी कि पुलिस जल्दी में निष्कर्ष पर पहुंच गयी और कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिनका जांच के दौरान ध्यान नहीं रखा जा रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय**: पुलिस द्वारा जांच की गयी और वह एक निष्कर्ष पर पहुंची। परन्तु न्यायालय को अभी उस निष्कर्ष की पुष्टि करनी है। यदि इस अवस्था में सभा में इस बारे में बहस की जाती है तो उसका इस मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सभा में साक्ष्य के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

**श्री बड़े** : क्या दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस करते समय उदाहरण नहीं दिये जा सकते ।

**अध्यक्ष महोदय** : जिस मामले की जांच की गयी है, जो गवाह पेश हुए हैं और साक्ष्य के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, इन सब बातों के बारे में यहां बहस नहीं होनी चाहिए ।

**श्री हाथी** : जहां तक इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की बात है हम ने कई उपाय किये हैं, जैसे नौकरों के क्वार्टरों आदि में अचानक गश्त करना, वायरलेस गाड़ियों द्वारा गश्त करना, गश्त करने वाले कांस्टेबुलों को अधिक उपयोगी बैटरियां उपलब्ध करना आदि आदि। इनके अतिरिक्त जो सुझाव दिये गये हैं उनको भी ध्यान में रखा जायेगा। हम इस विषय में पूर्णतः सचेत हैं ।

**श्री उमानाथ** : भारतीय तेल शोधक कारखानों द्वारा खरीदे गये कच्चे तेल पर लगी अंश पूंजी पर जो कम से कम 9 प्रतिशत देने की गारन्टी दी गयी थी उस आयल इंडिया को देने के लिये 3.5 करोड़ रुपये की मांग रखी गयी है जिसका वास्तविक लाभ बर्मा आयल कम्पनी को होगा। परन्तु विदेशी हितों को 9 प्रतिशत देने की क्या जरूरत थी जब कि तेल के आयात मूल्यों में वह पहले ही हमारे देश में लूट मचा रहे हैं। तेल में उन्हें बहुत अधिक मुनाफा होता है। इसके बावजूद अतिरिक्त 9 प्रतिशत की गारन्टी देना बहुत आपत्तिजनक है और हमारे देश के हित में नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में विदेशियों को सहकारिता की अनुमति दे कर सरकार ने अपनी नीति के अनुकूल काम नहीं किया है। सरकार ने गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों को विस्तार की अनुमति इसलिये नहीं दी चूंकि विदेशी यह चाहते थे कि वह सम्भरण के स्रोतों का चुनाव स्वयं करे। यह बात देश के हित की नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त कोचीन के तेल शोधक कारखाने में विदेशी सहकारियों द्वारा साम्य पूंजी में अल्प भागिता का भी बहुत लाभ उठाया जा रहा है। हमें फिलिप्स पेट्रोलियम वालों को भारत में की गयी सेवाओं के लिये प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपया देना पड़ता है। इसके अलावा कच्चे तेल पर भी वह मुनाफा कमाते हैं। 25 प्रतिशत साम्य पूंजी पर भी लाभ होता है। सरकार की इस नीति से देश को बहुत हानि हो रही है। सरकार को तेल उद्योग में विदेशी सहकारिता का अन्त करना चाहिए और समूचे तेल वितरण कार्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ।

उद्योग मंत्रालय की मांग का सम्बंध एक सरकारी सीमेंट निगम का निर्माण करना है। इस सम्बंध में एक नोट में कहा गया है। निगम या तो सीमेंट निर्माण का एकक स्थापित करेगा अथवा

गैर सरकारी क्षेत्र को करने देगा । यह बात बहुत ही आपत्तिजनक है । इस समय सीमेंट का निर्माण गैर सरकारी क्षेत्र में चल रहा है और उस का विस्तार नहीं किया जा रहा । और निर्माता उससे काफी नफा कमाने की चिन्ता में है । गैर सरकारी क्षेत्र इस मामले में जानबूझ कर विस्तार के रास्ते में रुकावट डाल रहा है । इस मामले में देश के प्रतिरक्षा नियम भी कुछ नहीं कर रहे । देश की 72 प्रतिशत सीमेंट उत्पादन तीन दलों के हाथ में है और यह एकाधिकार ही उस उद्योग के विकास में सब से बड़ी रुकावट है । इस एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए और किसी भी नये एकक को गैर सरकारी क्षेत्र में चालू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । और भारत के सीमेंट निगम को इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए ।

सलेम इस्पात संयंत्र का स्थापित किया जाना निश्चित ही था । परन्तु पता नहीं क्यों उसमें देरी की जा रही है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि किसी बहाने इस संयंत्र की स्थापना करने में विलम्ब करने अथवा इसे छोड़ देने से सारे मद्रास राज्य के लोग सरकार का कड़ा विरोध करेंगे । सरकार को चाहिए कि वह तमिलनाड के लोगों का डर निवारण करे ।

**उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विमुधेन्द्र मिश्र) :** 129 संख्या की मांग के सम्बन्ध में केवल दो ही व्यक्ति बोले हैं । किसी ने सीमेंट निगम की स्थापना का विरोध नहीं किया । श्री उमानाथ की आपत्ति के सम्बंध में निवेदन है कि यदि गैर सरकारी क्षेत्र ने यह विश्वास दिला दिया कि वह चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तब ही सरकार इस निश्चय पर पहुंचेगी कि निगम की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं । अनुमान यह है कि 1970–71 में सीमेंट की मांग 230 लाख टन तक पहुंच जायेगी । तीसरी योजना का निर्धारित लक्ष्य चौथी योजना के प्रथम वर्ष में पूरा होगा । 100 लाख टन की कमी भी अगले चार बरसों में पूरी करनी होगी ।

बड़ी स्पष्ट बात है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के विचार से ही सीमेंट निगम स्थापित किया जा रहा है । सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का विचार सीमेंट उत्पादन करने का है । निगम का उद्देश्य चूने का पत्थर निकालना तथा गैर सरकारी भारतीय उपक्रम करने वालों को अपनी क्षमता बढ़ाने अथवा नये एकक स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहन देना है । इस निगम का स्वामित्व पूर्ण रूप से भारत सरकार का होगा, यह एक पब्लिक लिमिटेड संस्था होगी ।

वितरण के सम्बंध में निवेदन है कि 40 प्रतिशत उत्पादन केन्द्र में रेलवे, प्रतिरक्षा, जल विद्युत् आयोग तथा केन्द्रीय निर्माण विभाग इत्यादि विभागों के काम में आयेगा । 10 प्रतिशत तकनीकी महा निदेशक को दिया जायेगा और बाकी 50 प्रतिशत राज्यों को सामान्य वितरण के लिए दिया जायेगा । वैसे हम यह पूरा यत्न कर रहे हैं कि योजना के लक्ष्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लिया जाय ।

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar) : I want to speak on demand No. 53. It has been stated that as nobody came forward to start a College in Delhi in private sector therefore it ws started in public sector. My submission is that Government should not depend upon private bodies for starting new Colleges in Delhi ; it should go ahead with its own Colleges. Together with that I may state that security measures in the Capital should be tightened.

In connection with the demand No. 78 I may state that it is not proper for the Government to make good the difference, year after year, between the chargeable price of crude oil supplied by Oil India Limited to Indian Refineries

[Shri Kashi Ram Gupta]

Limited and the price payable by the Indian Refineries Limited for it, to enable them to pay the guaranteed minimum dividened of 9 per cent. on their share capital. Together with that I am of the opinion that it is unnecessary to entrust the Cement Corporation with the prospecting of lime stone deposits because the work was being done by the Geological Survey of India, Indian Bureau of Mines and other agencies.

As far as the demand No. 134 is concerned, I have to state that it does not appear to me proper that Central Government Fund be given to stores of Coal Mines. This is meant for welfare works. As far for demand No. 141 I have to state that Government should see that the amount which is being spent on the construction of tenements for refugees was not imposed on them for repay ment as loans.

**Shri P. L. Barupal** (Ganganagar): I want to put forward some suggestions in connection with the demand No. 126. I support this demand. I am of the opinion that there is great discontentment and crisis as far as the food problem is concerned. I am also aware of the high prices. My submission is, if the Government could formulate a plan to reclaim the vast desert areas in Rajasthan by providing tube-wells and other irrigation facilities, that State could produce so much that the food requirements of the entire country can be met.

**Shri Balmiki** (Khurja) : I want to say something regarding these supplementary demands. I may state that in spite of all what we talk, the conditions of Harijans are really deplorable. I want to urge the Government should pay the special attention to this problem. The rehabilitation of the people belonging to the backward classes should form the part of Government's policy. Good number of such people has come to India from East Pakistan.

Now I come to the demand No. 126. Food situation has not yet improved. In U. P. the food situation is very grave, especially in the rural areas. Central Government should immediately take some action to avoid deterioration. The distribution system is not working well. It should be set right. We should talk less and do more.

श्री सुब्बारामन (मदुरै) : मैं इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करता हूं । कुछ ठेकों का उल्लेख किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन कल के लिए स्थगित होता है । कल मैं किसी माननीय सदस्य को नहीं, मंत्री महोदय को ही बोलने के लिए कहूंगा और उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के लिए पूरा समय दिया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 22 सितम्बर, 1964/भाद्र 31, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 22nd September, 1964/Bhadra 31, 1886 (Saka)**

---

GMGIPND—LS III—1348 (Ai) LSD—11-11-64—600.